लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
18-8-92
Fumigated
On 15-2-84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 13 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XIII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 28, गुरुवार, 20 अप्रैल, 1972/ 31 चैत्र, 1894 (शक)
No. 28, Thursday, April 20, 1972/ Chaitra 31, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
481 कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 में कठोर उपबन्धों की व्यवस्था	Stringent Provisions in Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 ...	1—5
483 दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विस्तार करने के लिये विदेशी सहायता	Foreign Assistance for Expansion of Durgapur Steel Plant ...	5—6
486 माना कैम्प के शरणार्थी	Mana Camp Refugees	6—7
487 बिहार के पलामऊ जिले से बाक्साइट तथा चूना पत्थर ले जाने पर प्रतिबन्ध	Ban on Lifting of Bauxite and Lime Stone Ores from District Palamau (Bihar) ...	7—8
489 काश्मीर के मामले में भारत पाक वार्ता	Indo-Pak Talks on Kashmir ...	8—9
490 इंडियन माइनिंग फेडरेशन, कलकत्ता द्वारा कोयला परिवहन पद्धति की आलोचना	Criticism by Indian Mining Federation Calcutta regarding Trasport System of Coal ...	9—11
492 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिक अशान्ति	Labour Situation in Public Sector undertakings ...	11—14
494 जेनेवा निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में चीन को शामिल करना	Inclusion of China in Geneva Disarmament Conference ...	14

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योकत है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		Subject	पृष्ठ/Pages
495	औद्योगिक रोजगार में वृद्धि	Increase in Industrial Employment ...	14—17
499	नौरोजाबाद (मध्य प्रदेश) स्थित ए. सी. सी. कोयला खान का बन्द हो जाना	Closure of ACC Colliery, Naurozabad (M. P.) ...	17—18
500	भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को मुख्यालय भत्ता दिया जाना	Headquarters Allowance to IFS Officers ...	18—19
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
482	रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित रिक्त स्थानों के बारे में सर्वेक्षण	DGE & T. Survey of Vacancies Reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ...	19—21
484	रत्नगिरी (महाराष्ट्र) में एल्यूमिनियम परियोजना की स्थापना	Setting up of Aluminium Project at Ratnagiri (Maharashtra) ...	21—22
485	इस्पात के लिए विकास योजना	Development Plan for Steel	
491	टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Tata Iron and Steel Company Ltd. ...	23
493	नए इस्पात संयंत्रों के बारे में राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् का प्रतिवेदन	Report of National Council of Applied Economic Research regarding New Steel Plants ...	23
496	दुर्गापुर इस्पात परियोजना के लिये मशीनों का आयात	Import of Machinery for Durgapnr Steel Project ...	24
497	पश्चिम जर्मनी द्वारा भारत को इस्पात सम्बन्धी विशेष जानकारी देने की पेशकश	West Germany's Offer of Special Steel know how to India ...	2
498	भिलाई इस्पात कारखाने में वृहत प्लेट मिल का लगाया जाना	Installation of Large Plate Mill at Bhilai Steel Plant	24—2

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3359	एश्यिन रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड में उत्पादन	Production in Asian Refractories Ltd. ...	25
3360	कोयला और गैर कोयला खनन उद्योग के लिये उपकरणों का आयात	Import of Equipments for Coal and Non Coal Mining Industry ...	26
3361	मध्य प्रदेश में एल्युमीनियम कारखाने की स्थापना	Setting up of Aluminium Plant in Madhya Pradesh ...	26
3362	बर्मा और श्री लंका के विस्थापितों के लिये "ओल्ड पीपल्स होम"	"Old Peoples Home" for Refugees from Burma and Ceylon ...	26—27
3363	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश में खानों के विकास पर हुआ व्यय	Expenditure incurred on Development of Mines in Madhya Pradesh by NMDC ...	27
3364	मध्य प्रदेश में सूती कपड़ा मिलों और अन्य उद्योगों में कर्मचारी भविष्य निधी	EPF in Cotton Textile Mills and other industries in Madhya Pradesh ...	27—28
3365	मध्य प्रदेश के कपड़ा मिलों में परिवार पेंशन योजना	Family Pension Scheme in Textile Mills in Madhya Pradesh ...	28
3366	मध्य प्रदेश में प्राइवेट कोयला खानों द्वारा कोयला खान मजूजी बोर्ड की सिफारिशें क्रियान्वित किया जाना	Implementation of Coal Mines Wage Board Recommendations by Private Coal Mines in Madhya Pradesh ...	29
3367	शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये मंत्री द्वारा बंगला देश का दौरा	Minister's visit to Bangla Desh for Settlement of Refugees ...	29
3368	पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य पुनर्विलोकन समिति का पुनर्गठन	Reorganisation of Committee on Review of Rehabilitation work in West Bengal ...	29—30

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3369	भारतीय रेड क्रास द्वारा बंगला देश के शरणार्थियों के लिये धन एकत्र किया जाना	Collection of Funds by Indian Red Cross for Bangla Desh Refugees ...	30
3370	मैग्नीशियम का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन	Production of Magnesium on Commercial Scale ...	30—31
3371	दिल्ली रोजगार कार्यलयों में दर्ज बेरोजगारों की संख्या	Unemployed Registered with Employment Exchanges in Delhi ...	31
3372	भारत और बंगला देश के बीच सम्बन्ध खराब करने के लिये प्रयत्नशील देश	Foreign Countries creating Estrangement between India and Bangla Desh ...	32
3373	श्रमिकों को सरकारी उपक्रमों के शेयर खरीदने की अनुमति	Holding of Shares by Workers in Public Sector Undertakings ...	32—33
3374	अमरीका का झूठा प्रचार	False US Propaganda	33
3375	बंगला देश को शरणार्थियों की वापसी के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहायता	International help for return of Refugees to Bangla Desh	33
3377	कोयम्बटूर में कपड़ा मिलों में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Textile workers in Coimbatore ...	34
3378	हिन्दुस्तान स्टील डिपो इन्दौर (मध्य प्रदेश) द्वारा इस्पात का वितरण	Distribution of Steel by Hindustan Steel Depot, Indore (Madhya Pradesh) ...	34
3379	सरकारी इस्पात कारखानों में इस्पात का उत्पादन घटना	Decline in Production of Steel in Public Sector Steel Plants ...	34—35
3380	खेतड़ी तांबा परियोजना की उत्पादन क्षमता	Production Capacity of Khetri Copper Project ...	35
3381	त्रिपुरा में पारपत्र प्राधिकरण की स्थापना	Establishment of Passport Authority in Tripura ...	35—36

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3382	अल्मोड़ा जिले (उत्तर प्रदेश) में खनिज के निक्षेप	Mineral Deposits in Almora District (U. P.) ...	36
3383	अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश) में मैग्नेसाइट कारखाने की स्थापना	Setting up of Magnesite Factory in Almora (U. P.) ...	36
3384	उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश से बंगला देश के शरणार्थियों की वापसी	Return of Bangla Desh Refugees in Orissa and Madhya Pradesh ...	36—37
3385	भिलाइ में दूसरे सिंटरिंग संयंत्र का निर्माण	Construction of Second Sintering Plant at Bhilai ...	37
3386	भिलाई में रेफ्क्टरी संयंत्र	Refractories Plants at Bhilai	37
3387	ढल्ली खानों का मशीनी करण	Mechanisation at Dalli Mines ...	37—38
3388	राऊरकेला में कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरियंटेड शीटों के उत्पादन के लिये संयंत्र	Plant to Manufacture CRGO Sheets at Rourkela ...	38
3389	भारत पाक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं के लिये नौकरियां	Jobs for Widows of Military Personnel killed in Indo-Pak War ...	38—39
3390	बंगला देश से भारतीय सेनाएं न हटाने के बारे में अमरीकी प्रचार	US Propaganda alleging Non withdrawal of Indian Forces from Bangla Desh ...	39
3391	पाकिस्तान में भारतीय युद्ध बन्दियों से दुर्व्यवहार	Maltreatment of Indian P.O.Ws. in Pakistan ...	39—40
3392	विदेश मंत्री द्वारा विदेशों की यात्रा	External Affairs Minister's visits to Foreign Countries ...	40
3393	श्रम न्यायालय	Labour Courts ...	40—41
3394	वर्ष 1971 में घेराब की घटनाओं में वृद्धि	Increase in Gheraos in 1971 ...	41

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3395	विदेशों से भारत आये भारत मूलक व्यक्ति	Repartriates from Foreign Countries ...	41—42
3397	केरल की फर्मों और फैक्टरियों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की बकाया राशि	EPF and ESI dues in Kerala Firms and Factories ...	43—44
3400	मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में केन्द्रीय सरकार के अधिकारी	Central Government Officers in Employment Exchanges in Madhya Pradesh ...	43
3401	गैर मान्यता प्राप्त मजदूर संघ	Unrecognised Unions ...	43—44
3402	दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र द्वारा क्रोमियन स्टेनलैस स्टील का उत्पादन	Production of Choromium Stainless Steel by Durgapur Alloy Steel Plant ...	44
3403	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के वेतनमानों में वृद्धि	Increase in Pay—Scale of E.P.F.O. Employees ...	44—45
3404	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बोर्ड के लिये प्रतिनिधियों की वृद्धि	Increase in Representation on Board for EPF Organisation ...	45
3405	केन्द्रीय न्यास बोर्ड और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	Central Bobrd of Trustees and EPF Organisation ...	45—46
3406	सरकारी उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों को शामिल करना	Workers' participation in Management in Public Sector Undertakings ...	46
3407	श्रमिकों के कानूनों में संशोधन	Amendment of Labour Laws ...	46—47
3408	बून्दी राजस्थान में खनिज निक्षेपों का सर्वेक्षण	Survey of Mineral Deposits in Bundi Rajashtan ...	47
3409	क्षेत्रीय हुनर सर्वेक्षण योजना	Scheme for Area Skill Surveys ...	48

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3410	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा कुछ बड़े राज्यों में दूसरा स्टाक यार्ड खोलने का प्रस्ताव	Proposal for Opening of Second Stock-yard by Hindustan Steel Limited in some Large States	48—49
3411	सोवियत रूस-पाकिस्तान संबंध	USSR Pak relations	49
3412	अपंग जवानों के लिये नौकरियों के आरक्षण सबंधी योजना	Scheme for Reservation of jobs for Disabled Jawans	49—50
3413	भारत पाकिस्तान वार्ता	Indo Pak Talks	50
3414	बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण	Construction of Bokaro Steel Plant	51
3415	इस्पात टेक्नालौजी में आत्म निर्भरता	Self Reliance in Steel Technology	51—53
3416	पश्चिम बंगाल में सूती कपड़ा मिलें	Cotton Textile Units in West Bengal	53—54
3417	कच्चे लोहे का निर्यात	Export of Pig Iron	55
3418	आजीविका परामर्शदाता कार्यक्रम	Career Counsellig Programme	55—56
3419	फेरो वैनेडियम का उत्पादन करने के लिये आशय पत्र जारी करना	Issue of Letters of Intent for Production of Ferro Vanadium	56—57
3420	कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स मिश्रित इस्पात और स्टेनलैस स्टील स्ट्रिप्स के उत्पादन के लिपे आशय पत्र जारी	Issue of Letters of Intent for Production of Cold Rolled Strips Alloy Steel and Stainless Steel Strips	57
3421	मैसर्स इलैक्ट्रो स्टील कासिस्टग द्वारा वायर राड का उत्पादन	Production of Wire Rods by M/s Electro Steel Casting	57—58
3422	राजस्थान के पहाड़ों में खनिजों के बारे में सर्वेक्षण	Survey of Minerals in mountains of Rajasthan	58
3423	कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन द्वारा चलाये जा रहे आयुर्वेदिक औषधालय	Ayurvedic Dispensaries run by Coal Mines Labour Welfare Organisation	58—59

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3425	गया जिला (बिहार) में खनिजों के बारे में सर्वेक्षण	Survey of Minerals in Gaya District (Bihar)	... 59
3426	बंगला देश से आये शरणार्थियों के लिये विदेशी सहायता का प्रयोग किया जाना	Utilisation of Foreign Aid for Bangla Desh Refugees	... 59—60
3427	दिल्ली में खुदरा विक्रेताओं को कोयले का वितरण	Distribution of Coal to Rethil Dealers in Delhi	... 60
3428	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा किये गये विज्ञापनों पर व्यय	Expenditure incurred on Advertisment by Hindustan Steel Ltd.	... 60—61
3429	हड़तालों और तालाबन्दियों के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति दिनों की हानि	Man days lost due to Strikes and Lock outs	... 61—62
3430	खेतड़ी तांबा परियोजना के लिये ब्रिटिश सहायता	British Aid for Khetri Copper Project	... 63—64
3431	तमिलनाडु में इल्मेनाइट और गानेट सैन्ड के निक्षेप	Deposits of Ilmennite and Garnet Sands in Tamil Nadu	... 64—65
3432	भारतीय दूतावासों में हिन्दी में कार्य करना	Work in Hindi in Indian Embassies	... 65—66
3433	थाईलैंड के साथ सम्बन्ध	Relations with Thailand	66
3434	अविभाजित पंजाब और हिमाचल प्रदेश के निवासियों की दुकानों के बारे में भारत के कस्टोडियन जनरल के पास पड़े अनिर्णीत मामले	Cases pending with Custodian General of India regarding shops owned by Residents of Undivided Punjab and Himachal Pradesh	... 66—67
3435	उड़ीसा में लोहे अयस्क खनन उद्योगों के लिये केन्द्रीय मजूर बोर्ड की सिफारिसों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Central Wage Board for Iron Ore Mining Industries in Orissa	... 67—68
3436	भिलाई इस्पात कारखाने की प्लेट मिल के लिये डिजाइनों का आयात	Import of Design Drawings for Plate Mill of Bhilai Steel Plant	... 68

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3437 खेतड़ी तांबा परियोजना के छिद्रण विभाग में पदों पर नियुक्तियां करना	Filling up of Posts in Drilling Department of Khetri Copper Project	... 68 69
3438 खेतड़ी तांबा परियोजना के लिये खनिकों का चयन	Selection of Miners in Khetri Copper Project	... 69—70
3439 खेतडी तांबा परियोजना के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of study Group on Khetri Copper Project	... 70
3440 नई दिल्ली स्थित चीन दूतावास द्वारा प्रचार सामग्री का वितरण	Distribution of Publicity Material by Chinese Embassy in New Delhi	... 70—71
3441 तमिलनाडू में जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक का कम होना	Fall in Post of Living Index in Tamil Nadu	... 71
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	... 71
भारत में पाकिस्तानी रज़ाकारों के घुस आने का समाचार	Reported infiltration of Pakistani Razakars into India	... 71—75
श्री आर. वी. बड़े	Shri R. V. Bade	... 71—73
श्री कृष्ण चन्द्र पंत	Shri K. C. Pant	... 73—75
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	... 75
36 वां प्रतिवेदन	Thirty sixth Report	... 75
अनुदानों की मांगें, 1972-73	Demands for Grants, 1972-73	... 75—104
गृह-मंत्रालय	Ministry of Home Affairs	... 76
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	... 76—81
श्री श्याम नन्दन मिश्र	Shri Shyamanandan Mishra	... 81—91
श्रीमती सुभद्रा जोशी	Shrimati Subhadra Joshi	... 91—92
श्रीमती टी. लक्ष्मीकांतमा	Shrimati T. Lakshmikanthamma	... 92—93
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	... 93—95
श्री के. सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	... 95—96
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Nawal Kishore Sharma	... 96—97

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्रीमती शीला कौल	Shrimati Sheila Kaul	... 97—98
श्री सी. टी दंडपाणि	Shri C. T. Dhandapani	... 98—100
श्री एच. के. एल. भगत	Shri H.K.L. Bhagat	... 100—101
श्री एन. ई. होरो	Shri N. E. Horo	... 101—102
श्री डी. एन. तिवारी	Shri D. N. Tiwary	... 102—103
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh	103
श्री अमर नाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar	... 103—104
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	... 104

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3437	खेतड़ी तांबा परियोजना के छिद्रण विभाग में पदों पर नियुक्तियां करना	Filling up of Posts in Drilling Department of Khetri Copper Project	... 68 69
3438	खेतड़ी तांबा परियोजना के लिये खनिकों का चयन	Selection of Miners in Khetri Copper Project	... 69—70
3439	खेतडी तांबा परियोजना के बारे मे अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of study Group on Khetri Copper Project	... 70
3440	नई दिल्ली स्थित चीन दूतावास द्वारा प्रचार सामग्री का वितरण	Distribution of Publicity Material by Chinese Embassy in New Delhi	... 70—71
3441	तमिलनाडू में जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक का कम होना	Fall in Post of Living Index in Tamil Nadu	... 71
	अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	... 71
	भारत में पाकिस्तानी रज़ाकारों के घुस आने का समाचार	Reported infiltration of Pakistani Razakars into India	... 71—75
	श्री आर. वी. बड़े	Shri R. V. Bade	... 71—73
	श्री कृष्ण चन्द्र पंत	Shri K. C. Pant	... 73—75
	लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	... 75
	36 वां प्रतिवेदन	Thirty sixth Report	... 75
	अनुदानों की मांगें, 1972-73	Demands for Grants, 1972-73	... 75—104
	गृह-मंत्रालय	Ministry of Home Affairs	... 76
	श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	... 76—81
	श्री श्याम नन्दन मिश्र	Shri Shyamanandan Mishra	... 81—91
	श्रीमती सुभद्रा जोशी	Shrimati Subhadra Joshi	... 91—92
	श्रीमती टी. लक्ष्मीकांतमा	Shrimati T. Lakshmikanthamma	... 92—93
	श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	... 93—95
	श्री के. सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	... 95—96
	श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Nawal Kishore Sharma	... 96—97

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्रीमती शीला कौल	Shrimati Sheila Kaul	...	97—98
श्री सी. टी दंडपाणि	Shri C. T. Dhandapani		98—100
श्री एच. के. एल. भगत	Shri H.K.L. Bhagat	...	100—101
श्री एन. ई. होरो	Shri N. E. Horo	...	101—102
श्री डी. एन. तिवारी	Shri D. N. Tiwary	...	102—103
श्री शंकर दयाल सिंह	Shri Shankar Dayal Singh		103
श्री अमर नाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar	...	103—104
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	...	104

लोक सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 20 अप्रैल, 1972/ 31 चैत्र, 1894 (शक)
Thursday, April 20, 1972/Chaitra 31, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
The Deputy-Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 में कठोर उपबन्धों की व्यवस्था

*481. **श्री एन० ई० होरो : क्या श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ दण्ड सम्बन्धी उपबन्धों को और अधिक कठोर बनाने की बात दृष्टि में रखते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 में संशोधन करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के दण्ड सम्बन्धी उपबन्धों को अधिक कठोर बनाने के प्रस्ताब विचाराधीन हैं।

श्री एन. ई. होरी : प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं और क्या यह विधान चालू सत्र में लाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : हमारा अनुभव है कि बकाया राशि बढ़ती जा रही है और अधिनियम में कठोर उपबन्ध नहीं है। अतः हम इन सब उपबन्धों को कठोर बनाना चाहते हैं। हम इस ओर प्रयत्नशील हैं और विधान यथा सम्भव शीघ्र लाना चाहते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 1976 के चुनावों से पहले ?

श्री एन. ई. होरो : मेरा प्रश्न था कि क्या इसे इसी सत्र में लाया जायेगा ।

श्री आर. के. खाडिलकर : इसे शीघ्रातिशीघ्र चालू सत्र में लाने का हर सम्भव प्रयत्न किया जायेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि निरन्तर अपराधी नियोजकों को दण्ड देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में कहा है कि आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने के अधिनियम के उपबन्धों की इन्हें इसकी जद में लाने के लिये लागू किया जायगा ? यदि हां, तो क्या इन नियोजकों को दण्ड देने के लिये निवारक नजरबन्दी अधिनियम लागू करने संबंधी इसी प्रकार का उपबन्ध इस सभा में प्रस्तुत किया जायगा ?

श्री आ. के. खाडिलकर : मैंने यह समाचार पढ़ा हैं । हम अवश्य ही इसका ध्यान रखेंगे और इसका परीक्षण करेंगे ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय ने 2 जून, 1971 के अपने एक वक्तव्य में यह कहा था कि "अपराधियों को कठोर दण्ड देने के लिए भविष्य निधि अधिनियम का संशोधन करने वाले विधान को प्रस्तुत करने का विचार है ।" इस वक्तव्य को दिये अब एक वर्ष होने को है, तो इस दौरान इस सम्बन्ध में क्या कुछ किया गया ? क्या यह सच नहीं है कि वकाया राशि बढ़ती जा रही है ? ब्लिट्ज में कोयला खान भविष्य निधि संस्थान के ट्रस्टी बोर्ड के सम्बन्ध में एक सनसनीखेज समाचार छपा था कि इसमें हजारों अनियमितताएं हुई हैं, जिसमें श्री एम. आर. नायक, आई. सी. एस. जैसे व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं । सभा को कृपया यह बताया जाये कि इस सम्बन्ध में राज्यवार कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सीधा सा प्रश्न है कि क्या सरकार ने कोई विधान बनाने का निश्चय किया है । जहां तक यह प्रश्न है कि कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया है इसके लिए वे कृपया अलग से सूचना दें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय उत्तर देने को तैयार हैं । यह एक बड़ी ही चिन्ता की बात है । 28 करोड़ रुपया रुका पड़ा है और वह लगातार बढ़ रहा है । परन्तु सरकार आंखें मूंदे हुए है ।

श्री आर. के. खाडिलकर : मैं यह बताने को तैयार हूं कि कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया पर महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने बहुत ही नर्मी का रुख अपनाया और मुश्किल से कोई व्यक्ति जेल भेजा गया तथा जुर्माने भी नाम मात्र किए गए । हमारे सामने यह कठिनाई है । कुल 43,996 मुकदमें चलाये गये, 21,105 व्यक्ति अपराधी पाये गये, 1,908 को छोड़ दिया गया; 6,866 मामले वापिस लिए गये, 592 मामले खारिज हो गये । अर्थात कुल 29,661 मामले चले ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जून 1971 में मंत्री महोदय ने कहा था कि एक विधेयक लाया जा रहा है, पर पिछले एक वर्ष में इस सम्बन्ध में क्या किया गया ?

श्री आर. के. खाडिलकर : मैंने ऐसा कहा था । पर मार्ग में आने वाली सभी कठिनाइयों को पार करना है । मुख्य कठिनाई इस समय यह है कि हम मुकदमा चलाने की स्थिति में नहीं है । हमारे आयोग के पास कोई शक्ति नहीं है । ऐसे मामलों में सम्बिन्धित राज्य सरकार को कार्यवाही करनी होती है और इस कारण तत्सम्बन्धी विधान बनाना हमारे लिए बड़ा कठिन है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 26 जून 1971 को माननीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से दिल्ली में यह वक्तव्य दिया था कि वे शीघ्र ही एक विधान बनाने जा रहे हैं जिसके द्वारा अपराधियों को कठोर दण्ड दिया जायेगा । मैं यही जानना चाहता हूं कि जब गत एक वर्ष में इस दिशा में क्या किया गया । सभा के सम्मुख अभी तक कोई बिधेयक न लाये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री आर. के. खाडिलकर : माननीय सदस्य को ज्ञात होना चाहिए कि इस प्रकार के विधान की रूपरेखा त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन द्वारा तैयार की जाती है । (**व्यवधान**) उसके पश्चात ही हम इस प्रकार का विधान बना सकते हैं ।

श्रीज्योतिर्मय वसु : चुनाव निधि में चन्दा (**व्यवधान**) यह सरकार देखते-देखते गरीब मजदूरों के मूल्य पर, जो अपने खून पसीने की कमाई इसमें दे रहे हैं, 28 करोड़ रुपये का गबन किया गया । इस सरकार ने इस सब में अपराधियों का साथ दिया है । इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई । हर बात की एक सीमा होती है । उन लोगों को फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए ।

श्री बयालार रवि : भविष्य निधि का करोड़ों रुपया बकाया पड़ा है तो क्या सरकार एक पूर्ण कालिक अध्यक्ष जो कम-से-कम श्रमिक विरोधी नहीं होगा, के अन्तर्गत एक भविष्य निधि ट्रस्टी बोर्ड का पुनर्गठन करने पर विचार करेगी ।

श्री आर. के. खाडिलकर : यह एक सुझाव है ।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Hon. Minister has accepted the fact that there are many difficulties before us. We cannot take strict action against them. The question of laying down future policy in this regard has been raised in this House on a number of occasions and the hon. Members have expresed their concern over the non-payment of even that money by employers which was deducted from the pay of the workers, what to speak of their own share. Are the Government going to make any arrangements to ensure early deposit of the contribution of the workers and to introduce a legislation for the early payment of their share by the employers ?

No action is taken against them because the penalty is Rs. 100-200 or 500, when the interest saved by them is in lakhs of rupees. The only difficulty before the Government in this connection is that they have taken a big amount from them as election fund, and, therefore, they do nct want to take action against them.

श्री आर. के खाडिलकर : मैं यह अनुभव करता हूं कि बकाया राशि बढ़ रही है और वह अब 17 करोड़ रुपये से भी अधिक हो गई है । इसका 60 प्रतिशत कपड़ा उद्योग से आना है तथा 11 प्रतिशत इंजीनियरिंग उद्योग से । चुनाव निधि को इसमें लाना बिल्कुल बेबुनियाद है ।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Money had been accepted from them during elections and they had been given a word then, that is why this lie is being uttered here. A year back Government gave an assurance but nothing has been done so far (*Interruptions*)...A mill owner who swallows five lakhs is penalised only for hundred rupees, what is this ? (*Interruptions*)...By this money of the workers, industries are being developed (*Interruptions*). This useless Government do not do anything even after giving assurance . . . (*Interruptions*)

श्री ज्योतिर्मय वसु : यह सरकार अपराधियों के साथ है। मंत्री महोदय झूठ बोल रहे हैं और सभा को गुमराह कर रहे हैं तथा इस बात को एक छोटी सी बात मान रहे हैं...यह निश्चय ही एक धोखा है (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस तरह चिल्लाते रहेंगे तो कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी नहीं सम्मिलित किया जायेगा ..(**व्यवधान**) मैं इसे सहन नहीं कर सकता। मंत्री महोदय आंकड़े बताने के इच्छुक हैं, कृपया उन्हें सन्तुष्ट कीजिए।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कृपया मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इस समय कितना रुपया बकाया है ? छः महीने बाद हम इस प्रश्न को फिर उठाएंगे और तब सरकार के रवैये का पता चल जायेगा।

श्री आर. के. खाडिलकर : मैं कुल बकाया राशि बता रहा हूं। मैंने बताया था कि राशि बढ़ रही है। 1967 में यह 5.59 करोड़ रुपये थी, सितम्बर 1971 में यह राशि 17.61 करोड़ रुपये थी। बिधान प्रस्तुत करने से पहले हमें सभी प्रक्रियात्मक मामलों की जांच करनी पड़ती है।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : The hon. Minister has not yet given the answer. What stringent measure Government want to adopt for the realisation of these arrears ? When this money will be realised ? (*Interruptions*) . . . The workers get their money deducted but they cannot get the loan whenever they want to. They cannot utilize their own money. Will the Government like to bring some legislation with a view to realise this money from the employers within 4 to 6 months . . . (*Interruptions*)

श्री ज्योतिर्मय वसु : मैंने इस बात का स्पष्ट उत्तर मांगा था कि मंत्री महोदय इस सभा में इस बात का आश्वासन देंगे कि छः महीने के अन्दर विधेयक लागू कर दिया जायेगा ? हम इस प्रकार अपने आप को और अधिक गुमराह नहीं होने दे सकते। यदि मंत्री महोदय, जो समस्त मंत्रिमण्डल का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमें सन्तुष्ट नहीं कर सकते तो त्यागपत्र दे दें।

श्री आर. के. खाडिलकर : मैं फिर बता दूं कि प्रारम्भिक कार्रवाई पूरी हो गई है और इस विधेयक को यथाशीघ्र लाने का हमारा प्रयत्न रहेगा। मैं कोई वायदा नहीं करना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह सब और अधिक सहन नहीं कर सकता।

श्री ज्योतिर्मय वसु : हम इस सरकार को कैसे सहन कर सकते हैं, जो गरीब लोगों को धोखा दे रही है ? हम इस बात का स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं कि छः महीने के अन्दर विधेयक सभा के समक्ष लाया जायेगा। आप कृपया हमारी और मजदूरों की मदद करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी पर्याप्त मदद कर चुका, अब और नहीं कर सकता ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विस्तार करने के लिये विदेशी सहायता

*483. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की वर्तमान क्षमता का विस्तार करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के प्रयोजन से क्या इस इस्पात संयंत्र की क्षमता का विस्तार करने के लिए कोई विदेशी सहायता ली गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस. मोहन कुमारमंगलम्) : (क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने की क्षमता के विस्तार का प्रश्न विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

श्री रामसहाय पांडे : दुर्गापुर इस्पात कारखाने में लगी इतनी अधिक पूंजी को देखते हुए, अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में इसका वर्तमान उत्पादन क्या है ? क्या यह कम हो रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री एस. मोहन कुमारमंगलम् : 1971-72 का अनुमानित उत्पादन 7,00,000 मीट्रिक टन था । यदि हम इसकी तुलना पिछले वर्ष से करें तो यह सुधार है क्योंकि 1970-71 में 6,34,000 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था यद्यपि यह उससे पिछले वर्ष की अपेक्षा कम था ।

श्री रामसहाय पांडे : इस समय वहां श्रमिकों की क्या स्थिति है, क्या वे सहयोग दे रहे हैं, क्या वहां हड़ताल हुई है तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति क्या है ?

श्री एस. मोहन कुमारमंगलम् : हमारे सामने कुछ समस्याएं हैं और मैं नहीं कह सकता कि सभी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है, पर पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री डा० गोपालदास नाग ने हाल ही में दुर्गापुर इस्पात कारखाने और मिश्रित इस्पात कारखाने के सभी मजदूर संघों से बातचीत करने की पेशकश की है और हमें आशा हैं कि इसके परिणामस्वरूप स्थिति में सुधार होगा ।

श्री पोपटलाल (मि० जोशी) : अनुमानित क्षमता को पूरा करने के लिए पिछले साल में सरकार ने क्या कार्यवाई की ?

श्री एस. मोहन कुमारमंगलम् : हम हर सम्भव कार्रवाई कर रहे हैं । कोक ओवन संयंत्र की मरम्मत करने और उसे बदलने की योजना है तथा हमने उस क्षत्र में कुछ सुधार किया है । हमने

खुली भट्टी में आक्सीजन का उपयोग करने का निर्णय किया है। भट्टी तेल आदि का भी उपयोग किया जा रहा है जिससे कि कोक ओवन गैस के उत्पादन की कमी को पूरा किया जा सके। श्रमिक सम्बन्धों जैसी महत्वपूर्ण समस्या को हल करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय ने बताया कि पश्चिमी बंगाल में अपने साथी के सहयोग से उन्होंने दुर्गापुर इस्पात कारखाने की श्रमिक समस्या को बड़ी मुस्तैदी से हाथ में लिया है। पर कल पश्चिम बंगाल में 'अमृत बाजार पत्रिका' में एक समाचार छपा कि एक कर्मचारी को छः घन्टे में दो बार पदोन्नति दी गई। क्या पदोन्नति के सम्बन्ध में ऐसी अजीब नीति का पालन किया जाता है और यदि हां, तो इस संबंध में मंत्री महोदय का कौन-से ठोस कदम उठाने का विचार है ?

श्री एस. मोहनकुमार मंगलम् : मैंने वह समाचार नहीं पड़ा है और न ही कोई विशेष कारण इसे सही मानने का है। यदि माननीय सदस्य मुझे जानकारी दें, तो मैं इसकी जांच करूंगा और उन्हें तथ्यों से आवगत कराऊंगा।

श्री डी० एन० तिवारी : क्या सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताब है कि जब तक कोई संयंत्र अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त नहीं करता तब तक उसका विस्तार न किया जाये जिससे कि वहां क्षमता बेकार न रहे ?

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम् : किसी कारखाने के विस्तार के लिए हम इसे पूर्व शर्त नहीं मानते, पर किसी कारखाने का विस्तार करते समय इन बातों में से यह एक है जिन पर विचार किया जाना है।

Mana Camp Refugees

*486. DR. LAXMINARAIN PANDEY : will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the number of refugees who were living at Mana Camp in Madhya Pradesh even before the influx of refugees from Bangla Desh and who are still staying there; and

b the period for which they have been staying in the said Camp and the estimated expenditure likely to be incurred on them during the next two years ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI BALGOVIND VERMA) : (a) There were 85,131 refugees living at Mana Camp before the influx of refugees from Bangla Desh and of those 63,305 are still living there.

(b) 55,474 refugees have been staying in the said camp for a period varying from 1 to 2 years and the rest namely, 7,831 have been staying for the last 3 to 8 years. It is estimated that an expenditure of about Rs. 6.00 crores is likely to be incurred on them during the next two years.

DR. LAXMINARAIN PANDEY : For how much period the refugees are kept there ? How many refugees had gone to Bangla Desh after the creation of Bangla Desh.

SHRI BALGOVIND VERMA : Mana is a transit camp and the in coming persons are first kept in Mana Camp. Afterwards, they are sent somewhere else. Most of them are agriculturists and arrangement for giving them land have to be made. We have written for this to every State Government. We get the survey done by sending teams there. Land is allotted to them after reclamation and then the refugees are sent there. On account of all this, delay is there. I do not have the correct figures with me but it is estimated that about 12,000 persons had gone to Bangla Desh.

DR. LAXMINARAIN PANDEY : I wanted to know as to how long refugees are kept in the Camp, but the hon. Minister has not given any reply to that.

Is the expenditure on these refugees incurred only on their lodging or on other connected matters also such as education etc. ?

SHRI BALGOVIND VERMA : I would like to inform the hon. Member that by 25th March, 1971 11 lakh 14 thousand persons came to India from East Bengal. Out of them 85,000 remained in Mana. Therefore, the question that for how long they will live there does not sound well. The hon. Member should also know that we do not have sufficient land for them. We have to ask the State Government for providing them with land and after doing proper survey and reclamation, we allot land to them. So far as the expenditure is concerned, we give them every facility.

DR. LAXMINARAIN PANDEY : I asked a very clear question as to whether there is any policy regarding the time for which they are to be kept there. He could have given a simple reply, but he is not giving that.

SHRI BALGOVIND VERMA : There is no question of not giving the answer. They are kept there until we get land for them.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Please ask the hon. Minister to give direct reply.

अध्यक्ष महोदय : मैं यह सहन नहीं कर सकता ।

श्री बी० के० दास चौधरी : माननीय मंत्री के अनुसार 63,305 व्यक्ति कैम्प में रह रहे हैं और अगले दो सालों में उन पर 3 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से 6 करोड़ रुपया खर्च होगा । क्या मंत्री महोदय प्रशासन के तथा अन्य प्रकार के व्यय के सम्बन्ध में ब्योरा बताएंगे ?

SHRI BALGOVIND VERMA : For this I require a separate notice.

बिहार के पालामऊ जिले से वाक्साईट तथा चूना पत्थर ले जाने पर प्रतिबन्ध

*487. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार बिहार के पालामऊ जिले से वाक्साइट तथा चूना पत्थर को पालामऊ से अन्य स्थानों पर ले जाने पर प्रतिवन्ध लगाने का है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : जिला पालामऊ (बिहार) के वाक्साइट और चूना पत्थर अयस्क को पालामऊ से अन्य स्थानों को ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

KUMARI KAMLA KUMARI : Bihar has already been declared an industrially backward State. Bauxite and limestone exploited from this area are being exported. May I know whether the Government has considered to set up a plant in Palamau so that the Bauxite and limestone is not lifted therefrom and it so, by what time it will be set up ? If Bauxite and lime stone can be lifted from there why it is not being considered that the Plant is set up in Palamau ?

श्री एस. मोहन कुमारमंगलम् : जहां तक पालामऊ में वाक्साइट का सम्बन्ध है, इसका उत्पादन बहुत कम हुआ है। वर्ष 1967 और 1968 के दौरान क्रमश: 127 और 238 मीटरी टन उत्पादन हुआ है। यातायात सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण उत्पादन की इस थोड़ी सी मात्रा को भी स्थानांतरित नहीं किया गया है। इसे निकालने वाले निगम अर्थात एल्यूमिनियम कारपोरेशन आफ इन्डिया को समाप्त कर दिया गया है। अत: पालामऊ जिले से इसके निर्यात का प्रश्न ही नहीं उठता है। जहां तक पालामऊ में संयंत्र स्थापित करने का प्रश्न है मेरे विचार से राज्य सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से व्यवहार्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन तैयार करने को कहा है और हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

KUMARI KAMLA KUMARI : Two years ago, an aluminium plant was proposed to be set up in Palamau. May I know as to why the setting up of the plant has been transferred to Hindal Co. when Palamau has already been declared a backward area ?

श्री एस. मोहन कुमारमंगलम् : मुझे बिहार के पालामऊ जिले में एल्यूमिनियम का कारखाना स्थापित करने सम्बन्धी निर्णय के बिषय में पता नहीं हैं।

———

Indo-Pak Talks on Kashmir

*489. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are prepared to discuss Kashmir issue with Pakistan; and

(b) if so, whether Government would discuss about Pakistan-occupied Kashmir or about the whole of Kashmir ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). हम जम्मू तथा कश्मीर राज्य के एक हिस्से पर पाकिस्तान के गैर-कानूनी कब्जे से उत्पन्न स्थिति पर विचार-विमर्श करने को तत्पर रहेंगे।

SHRI PHOOL CHAND VERMA : May I know whether the Government of India still maintain that Jammu and Kashmir is an integral part of India ?

SHRI SWARAN SINGH : Yes, Sir. Why does he doubt about it ?

SHRI PHOOL CHAND VERMA : May I know whether the attention of the Foreign Minister has been drawn to a recent statement of President Bhutto in which it is said that last time, when there was a discussion about Kashmir, Shri Swaran Singh proposed a Cease-fire line under which some part of Kashmir were to be handed over to Pakistan ? If so, which was that Ceasfire line ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने राष्ट्रपति भुट्टो का वकतव्य पढ़ा है। वार्ता के दौरान बहुत से प्रस्ताव रखे गये थे। जब प्रस्ताव रखे गये थे तब से अब बहुत समय व्यतीत हो गया हैं। वे प्रस्ताव समन्वेयी थे और उस समय के प्रस्तावों को मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं।

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH : May I know whether the problem of Kashmir will also be included in the discussions which are going to be held on 25th April between the emissaries of both the countries ?

श्री स्वर्ण सिंह : काश्मीर की समस्या पर बात हो सकती है।

———

इंडियन माइनिंग फेडरेशन, कलकत्ता द्वारा कोयला परिवहन पद्धति की आलोचना

*490. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इंडियन माइनिंग फेडरेशन, कलकत्ता द्वारा 22 मार्च, 1972 को की गई रेलवे प्रशासन की आलोचना सम्बन्धी समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो, उद्योग को किन कठिनाइयों के कारण इस स्थिति का सामना करना पड़ा है;

(ग) क्या कोयला परिवहन संबंधी "मनमानी पद्धति" के परिणामस्वरूप पिछले 2 वर्षों में कोयले के उत्पादन में 80 लाख मीट्रिक टन से अधिक की कमी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उद्योग की कायापलट करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) और (ग). कोयला उद्योग द्वारा, विशिष्टतया बंगाल-बिहार कोयला क्षेत्रों में, सामना की गई प्रमुख कठिनाई में रेल परिवहन की अनुपलब्धता थी। परिणामस्वरूप 1969-70 में लगभग

760 लाख टन उत्पादन की तुलना में 1971-72 में उत्पादन लगभग 700 लाख टन (अनुमानित) हुआ। पूर्वी क्षेत्र में विद्यमान असामान्य हालतों से रेल परिवहन प्रभावित हुआ था, बंगाल/बिहार क्षेत्रों में विधि और व्यवस्था की स्थिति खराब होने के कारण सितम्बर, 1970 से कोयले के लदान के लिए बेगनों की आपूर्ति रुक गई जिसके परिणामस्वरूप ऊपरी तारों, वैगनों के पूर्जों की चोरी हुई, हड़तालें और बन्ध हुए, अतिवृष्टि बाढ़ और दरारों ने, रेल व्यवस्था को भी प्रतिकूलतः प्रभावित किया। भारत पाक युद्ध के पूर्व वास्तबिक लदाई के दौरान आपात संचलनों और युद्ध के पश्चात् आवश्यक संचलनों अर्थात् हमारी सेना और शस्त्रों की वापिसी, युद्ध बंदियों और शरणार्णियों के परिवहन आदि से भी कोयला उद्योग को वैगनों की आपूर्ति अत्यधिक रूप से प्रभावित हुई।

संचलन के लिये सुव्यवस्थीकृत परियोजना के अधीन और मांगों को प्रयोजित करने की प्रक्रिया के अनुसार रेलवे द्वारा कोयले का परिवहन किया जाता है और यह अनेकानेक वर्षों से प्रचलित रहा है।

(घ) सरकार, कोयला उद्योग द्वारा सामना की जा रही कठिनाई से अवगत है और वैगन-आपूर्ति को संबंधित करने के लिए समस्त सम्भाव्य कदम उठा रही है। वैगनों की उपलब्धता की दशा, जनवरी 1972 के मध्य से, पहले ही सुधार की ओर प्रवृत्त हैं, जबकि आपातोत्तर संचलन परिसमाप्ति पर थे।

श्री पी० गंगादेव : क्योंकि कोयले की कमी से विद्युत उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप देश की कपड़ा मिलें तथा बहुत से कारखाने बन्द हो गए हैं तो बंगाल-बिहार कोयला खानों से दूर स्थित क्षेत्रों में निरन्तर रूप से कोयले की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि सुनिश्चित कराने के लिए कौन से ठोस कदम उठाने का विचार है ?

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम् : जहां तक कोयले की कमी से विद्युत उत्पादन की कठिनाईयों का प्रश्न है, माल डिब्बे अधिक संख्या में उपलब्ध कराने के लिये सभी प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं और गत वर्ष की तुलना में वर्तमान स्थिति में काफी सुधार हो गया है। बंगाल-बिहार क्षेत्र में गतवर्ष औसतन 5646 मालडिब्बे उपलब्ध हुये थे और इस वर्ष मार्च 1972 में यह संख्या 6060 तक पहुंच गयी। मुझे आशा है कि स्थिति को सुधारने के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप यह संख्या और बढ़ेगी।

श्री पी० गंगादेव : कोयले का शतप्रतिशत लदान कब तक आरम्भ हो जायेगा जिससे मुहानों पर एकत्र हुये कोयले के भंडार समाप्त किये जा सकें ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मैं यह निश्चित तिथि बताने की स्थिति में नहीं हूं जब तक हम उस लक्ष्य पर पहुंच जायेंगे जबकि कोयला खानों पर जमा हो गये कोयले के भंडारों में कमी होने लगेगी। परन्तु कोयला शीघ्र उठाये जाने के लिये कार्यवाही की जा रहीं है।

डा० रानेनसेन : विवरण में मंत्री महोदय ने मालडिब्बों की सप्लाई में कमी, बाढ़, आपत-कालीन स्थिति तथा युद्ध को इस स्थिति के लिए उत्तरदायी ठहराया है। क्या मंत्री महोदय को पता

है कि भारत में पिछले कुछ वर्षों से माल डिब्बों के उत्पादन में कमी आ गई है। जिससे माल डिब्बों की सप्लाई में कमी आई है ? क्या उन्हें यह बात भी ज्ञात है कि सामान्य रूप में माल डिब्बे बनाने वाली फर्में माल डिब्बों के उत्पादन में असफल हो जाने के कारण लगभग बन्द पड़ी हैं, यदि ऐसा है, तो मालडिब्बों की सप्लाई की कमी से सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था को प्रभावित होने से बचाने के लिए सरकार का विचार कौन से कदम उठाने का है ?

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरकों के रूप में ऐसे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है जिनमें जानकारी की गई हो। आप मंत्री को जानकारी दे रहे हैं। सीधा प्रश्न क्यों नहीं पूछते ?

डा० रानेन सेन : मंत्री महोदय ने जो विवरण दिया है उसी से यह प्रश्न बनता है ?

अध्यक्ष महोदय : आप सीधा प्रश्न पूछिये ?

डा० रानेन सेन : मेरा सीधा प्रश्न इस प्रकार है। माल डिब्बों की कमी से सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था प्रभावित हो गई है, सरकार का अब इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : सरकार का विचार यह है कि माल डिब्बों की वास्तविक रूप में कोई कमी नहीं है। प्रश्न ठीक प्रकार से माल डिब्बे उपलब्ध होने का है। ठीक प्रकार से उपलब्ध न होने के कारण मूल प्रश्न के उत्तर में विस्तार से बता दिये गये हैं।

SHRI LALJI BHAI : May I know the quantity of coal required for the industries of the country and the reasons for inadequate supply ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : मेरे विचार से यदि सभी उद्योगों को नहीं तो अधिकांश उद्योगों को कोयले की सप्लाई की जा रहा है। परन्तु जिन कुछ स्थानों पर सप्लाई की कमी है उसके कारण मूल प्रश्न के उत्तर में बता दिये गये हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिक अशान्ति

*492. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972 में हवाई परिवहन उद्योग में श्रमिक अशांति रही और औद्योगिक संबंध तनावपूर्ण रहे;

(ख) श्रमिक अशांति से, उग्र रूप से प्रभावित उपक्रम कौन से हैं; और

(ग) इन सरकारी उपक्रमों में श्रमिक संबंध सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री वाल गोविन्द वर्मा) : (क) आल इण्डिया इंजीनियरिंग एसोसिएशन और इंडियन एयर लाइन्ज के प्रबन्ध मण्डल के बीच हुए विवाद को छोड़कर 1972 के दौरान सामान्यतया हवाई परिवहन उद्योग में श्रम स्थिति शान्ति पूर्ण रही है।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र में, आंध्र बैंक लिमिटेड, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया में हड़तालें होती रही हैं।

(ग) औद्योगिक विवादों को, समझौते, मध्यस्थता और न्यायनिर्णयन द्वारा निपटाने के लिए तंत्र की व्यवस्था औद्योगिक विवाद अधिनियम में की गई है। इसके अलावा, श्रम मंत्री की मध्यस्थता भी उपयोग में लाये जाते हैं। सरकार, राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशों और उन विचार-विमर्शों के प्रकाश में, जो कि उसके बाद विभिन्न सम्बन्धित हितों के बीच हुए, औद्योगिक सम्पर्क तंत्र योजना की पुनरीक्षा के प्रस्तावों की जांच कर रही है।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इण्डियन एयर लाइन्स तथा आल इण्डिया एयर क्राफ्ट इंजीनियरिंग एसोसिएशन के प्रबन्धकों में 17 अप्रैल 1972 को एक समझौता हुआ है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ? क्या कोई ऐसी मद भी शेष है जिस पर परस्पर सहमति नहीं हुई है और क्या इण्डियन एयरलाइन्स तथा आल इण्डिया एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग एसोसियेशन के प्रबन्धकों से मतभेद समाप्त हो जायेंगे

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : जी, हां। यदि आप चाहते है तो मैं इसकी एक प्रति सभा पटल पर रख सकता हूं अथवा इसे पढ़कर सुना सकता हूं। यह लम्बा बिवरण नहीं है। समझौते को 17 अप्रैल, 1972 के प्रातः 10 बजे अन्तिम रूप दिया गया था।

फिर भी, एक मद ऐसी रह गई जिस पर परस्पर सहमति नहीं हो सकी परन्तु मुझे आशा है कि अगले कुछ दिनों में इस सम्बन्ध में भी हम एक निश्चय पर पहुंच जायेंगे। अन्त में इसमें कहा गया है :

> "जिस सद्भावना के वातावरण में ये बातचीत हुई तथा विभिन्न मामलों को सुलझाने के लिये दोनों ओर से जो सहयोग प्राप्त हुआ उसे दृष्टि में रखते हुए एसोसिएशन—अर्थात मैं, विश्वास दिला सकता हूं कि वे एयरलाईन्स के सुचारु रूप से चलने में प्रबन्धकों के साथ पूर्ण सहयोग करेंगे।"

इस पर इण्डियन एयरलाईन्स की ओर से एयर वाईस मार्शल, श्री हुसैन ने तथा आल इण्डिया एयर क्राफ्ट इंजीनियरिंग एसोशियेशन की ओर से श्री सेन गुप्ता ने हस्ताक्षर किये हैं।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्रम मंत्रालय ने औद्योगिक विकास मंत्रालय से तथा अन्य मंत्रालयों से औद्योगिक सम्बन्ध सुधारने के लिये आधुनिक लाभ-भागीय प्रोत्साहन योजनायें बनाने की सिफारिश की है और यदि हां, तो उसके प्रति मंत्रालयों की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री आर० के० खाडिलकर : यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्द्ध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रसन्नता है कि आप ने स्वयं ही इस बार ऐसा कह दिया है ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न संगत है (**व्यवधान**) :

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है । मैं मंत्री महोदय के मत से सहमत हूं ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : अभी मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया कि विमान इंजीनियरों के साथ सोमवार को सुबह 10 बजे एक समझौता हुआ किन्तु जहां तक मुझे स्मरण है उस दिन अर्थात् सोमवार 12 बजे ह्यानाकर्षण सूचना का उत्तर देते समय, नागर विमानन मंत्री ने इस समझौते का जिक्र तक नहीं किया । मैं इस विषय के सम्बन्ध में मंत्री महोदय से पहले मिल चुका हूं । इस बात पर बहुत से लोग उत्तेजित हैं कि नागर विमानन मंत्री ने सभा में सही वक्तव्य नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : समझोता उनमें और श्रम मंत्री के बीच हुआ है ।

श्री आर० के० खाडिलकर : स्थिति यह है कि प्रबंधक एवं श्रमिक वर्गों—दोनों पक्षों ने समझौते के सम्बन्ध में मुझे पत्र लिखा है । मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं कि नागर विमानन मंत्री ने इस सदन में क्या वक्तव्य दिया था ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : आप मुझे यह मामला उठाने की अनुमति दें । वस्तुत: यह बहुत गंभीर मामला है । कई सदस्य इस प्रश्न पर अत्यधिक उत्तेजित हैं । श्रम मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि समझौता सोमवार सुबह 10 बजे हुआ और नागर विमानन मंत्री को इस समझौते के बारे में पूरी जानकारी थी ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है । मामला संबद्ध मंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे प्रसन्नता है कि बातचीत के बाद माननीय मंत्री 17 अप्रैल को समझौता करने में सफल हो गए । इंण्डियन एयरलाईन्स और आल इंडिया एयरक्राफ्ट इंजिनियर्स एसोसियेशन के बीच एक समझौता हुआ या मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या समझौते की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इन्डियन एयरलाईन्स में श्रमिक एवं प्रबंधक वर्ग के बीच दुबारा मतभेद न होने देने के लिए संयुक्त सलाहकार की योजना शुरू करने की कोई संभावना है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं एक प्रति सभा-पटल पर रख दूंगा । जहां तक संयुक्त सलाहकार व्यवस्था का संबन्ध है, मतभेद समाप्त होने पर संभवत: इस बात पर विचार किया जाएगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने वह प्रति सभा-पटल पर इसलिये रखने की मांग की थी कि नागर विमानन मंत्री ने भिन्न वक्तव्य दिया था। वक्तव्य स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी था।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने कहा है कि समझौता—10 बजे हुआ और नागर विमानन मंत्री ने अपना वक्तव्य लोक सभा की बैठक शुरू होने के बाद दिया।

श्री एस० एम० बनर्जी : लेकिन एक प्रति सभा-पटल पर रखी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

जेनेवा निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में चीन को शामिल करना

*494. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेनेवा निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में चीन को शामिल करने के प्रश्न पर हाल ही में विचार-विमर्श हुआ था;

(ख) क्या भारत ने उक्त सम्मेलन में चीन को शामिल किए जाने का विरोध किया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे अन्य देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस सम्मेलन में चीन को शामिल किए जाने का विरोय किया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) निःरशस्त्रीकरण से संबद्ध समिति के सम्मेलन में कई प्रतिनिधियों ने अपने वक्तव्यों के दौरान इस प्रश्न की ओर संकेत किया।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) किसी भी देश ने चीन के भाग लेने का विरोध नहीं किया है।

औद्योगिक रोजगार में वृद्धि

*495. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन मासों में औद्योगिक रोजगार में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि कोई वृद्धि हुई है तो उसमें से कितनी वृद्धि बन्द मिलें पुनः खोले जाने के कारण हुई; और

(ग) क्या राज्यों में शेष बन्द मिलें पुनः चालू करने के लिए सरकार का कोई निश्चित समय-वद्ध कार्यक्रम हैं; और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). संबंधित सूचना अब तक उपलब्ध नहीं है ।

(ग) यद्यपि श्रम मंत्रालय का बन्द पड़े कारखानों को पुनः खुलवाने की तरह का कोई समय बद्ध कार्यक्रम नहीं है, इसने हाल में राज्य सरकारों को उन सभी एककों के, जो श्रम संकटों के कारण बन्द हुए थे, प्रत्येक मामले का अध्ययन करने और इस प्रकार के एककों को पुनः खुलवाने हेतु प्रयत्न करने के लिए अनुरोध किया है ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य से ज्ञात होता है कि उन्हें गत तीन माह में औद्योगिक रोज़गार के बारे में हुई वृद्धि के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं । अतः स्पष्ट है कि औद्योगिक रोज़गार में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

इस पृष्ठभूमि में, मैं जानना चाहता हूं कि बन्द पड़ी मिलों को पुनः चालू कराने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में एक समिति गठित करने का है जो इस बात पर विचार करे कि घाटे में चल रही मिलों और वे मिलें जो लगभग बन्द होने वाली है, बन्द न होने पाये तथा बन्द पड़ी मिलों को पुनः चालू कराने के लिए भी कुछ उपाय किए जाएं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : इस सम्बन्ध में सदन में एक विधान लाया गया था जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि यदि मालिक मिल बन्द करना चाहते हों तो उन्हें 60 दिन का नोटिस देना होगा । मिलें बन्द होने से रोकने और उनके चालू रहने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने तथा उन्हें चालू रखने मे सहायता देने हेतु यही एक उपाय था ।

जहां तक प्रश्न के अन्य भाग का संबंध है, प्रत्येक मामले पर विचार करने तथा अगर संभव हो तो अपने नियंत्रण मे लेने का कार्य राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : चौथी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में कहा गया है कि गैर-सरकारी उद्योगों मे औद्योगिक रोज़गार कम हुआ है । इन उद्योगों में औद्योगिक रोज़गार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसा कि मैंने अभी कहा, गत तीन महीनों के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं । जहां तक इस विवरण का संबंध है मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राज्यवार बन्द हुई मिलों का ब्यौरा क्या है और इन बन्द पड़ी मिलों को कम से कम समय में पुनः चालू करने के बारे में कितनी राज्य सरकारों से मंत्री महोदय को रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यदि माननीय सदस्य आंकड़ों में रुचि रखते हैं तो मैं आंकड़े एकत्र करके सभा-पटल पर रख दूंगा । इस समय मेरे पास यह उपलब्ध नहीं ।

जहां तक राज्य सरकारों, विशेष कर पश्चिम बंगाल सरकार का संबंध है, हम इस बात के लिए पुरजोर प्रयत्न कर रहे हैं कि यदि श्रमिक वर्ग समर्थन और सहयोग दे तो बन्द बड़ी मिलों को शीघ्र खोला जाये ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर रही ।

श्री वसंतराव पुरुषोत्तम साठे : देश में लगभग 70 मिलें बन्द पड़ी हैं और कई मिलें बन्द होने वाली हैं । मिलों में कपड़े का उत्पादन काफी कम हो रहा है । इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार इन मिलों को अपने नियंत्रण में लेने तथा उन्हें भली प्रकार फिर से चालू करने संबंधी किसी योजना पर विचार कर रही है ताकि कपड़े के उत्पादन में तथा रोज़गार में वृद्धि हो ?

श्री आर० के० खाडिलकर : लगभग 60 मिलों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया है और उनमें से कुछ राहत उपक्रम है ।

जहां तक कपड़े के उत्पादन तथा अन्य पहलुओं का सम्बन्ध है, यह प्रश्न विदेश व्यापार मंत्री से पूछा जाना चाहिये ।

SHRI K. C. PANDEY : I want to know the name of the State in which the maximum number of mills have been closed down or going to be closed ? Have sugar and cotton mills been closed down in maximum number in U. P. ? If so, the reasons therefor ?

MR. SPEAKER : The hon. Minister says that the information will be laid on the Table of the House.

श्री था किरूतिनन : क्या यह सच है कि कई राज्य सरकारें बन्द पड़ी मिलों को इस कारण खोलने में समर्थ नहीं, कि उन्हें केन्द्र सरकार ने इसके लिए अनुमति नहीं दी ? साथ ही क्या भारत सरकार ने 51 प्रतिशत हिस्सों की भी स्वीकृति नहीं दी है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह कहना सही नहीं है । यदि प्रारम्भिक जांच के फलस्वरूप पता चलता है कि मिल को चालू किया जा सकता है तो राज्य सरकार निश्चय ही उसके पुनः खोले जाने के लिए प्रोत्साहन देती है। तमिलनाडु में भी एक दो मिलें पुनः खोली गई हैं । सरकार अपने वित्तीय उत्तरदायित्व को निभा रही है ।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : The mills which are closing down are mostly old ones. The owners of these take loan from the Government in the name of that industry but divert it to some other industries, and it is for this reason that these industries are closing down. I want to know as to what action the Government have taken for stopping such closure ?

श्री आर० के० खाडिलकर : माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि कई मिलें कुप्रबन्ध के कारण बन्द हो गई हैं, क्योंकि मिल मालिकों ने उनसे पूरा फायदा उठाकर उन्हें संकट की स्थिति में छोड़ दिया है या उन्हें चलने की स्थिति में नहीं छोड़ा है । यह बात सही है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 496, श्री वेंकट सुब्बया—अनुपस्थित ।

प्रश्न 497, श्री बाल इन्द्रायुतम—अनुपस्थित ।

प्रश्न 498, श्री वरके जार्ज—अनुपस्थित ।

तीनों सदस्य अनुपस्थित हैं । वे प्रश्न कर देते हैं, लेकिन सदन में मौजूद नहीं होते ।

———

Closure of A. C. C. Colliery, Naurozabad (M.P.)

*499. SHRI DHAN SHAH PRADHAN : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether A. C. C. Colliery, Naurozabad in Shahdol district of Madhya Pradesh has been closed down, if so, the reason therefor;

(b) whether about 6000 employees working therein have been rendered jobless; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to provide livelihood to the 6000 employees and their families ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग). खान में आग लग जाने के कारण और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, खान निरीक्षणालय ने 28 फरवरी, 1972 से खान में सामान्य कार्य बन्द करने का आदेश दिया । लगभग 1300 कर्मचारी प्रभावित हुऐ हैं । कोलियरी के कार्य को पुन: आरम्भ करने के लिए सरकार उपायों और साधनों की जांच कर रही है । आशा है कि एक इन्कलाइन में शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा और लगभग 500 श्रमिक नियुक्त किये जायेंगे । इस बीच में प्रभावित श्रमिकों के लिए इसी प्रबन्धमण्डल की निकटवर्ती कोलियरी में काम ढूंढ़ने की संभावनाओं का निरीक्षण किया जा रहा है । श्रमिकों के लिए अग्रिमों आदि के रूप में वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के प्रश्न की भी जांच की जा रही है ।

SHRI DHAN SHAH PRADHAN : What the inspectors and mining staff was doing when fire broke out in A. C. C. Colliery of Naurozabad on the 28th February and do the Government propose to take any action against them ? I also want to know as to what steps the Government are taking to prevent the fires that break out off and on in the coal mines of the country ?

SHRI BALGOVIND VERMA : It has always been the effort of the Government to take every possible precaution against fire. The inspectors regularly superwise the working of the mines. The hon. Member is well aware that coal produces gas which catches fire easily and no body sets fire. Therefore, no question of taking action against anyone arises.

SHNI DHAN SHAH PRADHAN : In Juhla Colliery, wood is used to support the roof, there is rubbish and filth around and people smoke bidies & cigarettes too. These are the reasons for breaking out of fires. I want to know as to what action Government propose to take to prevent such incidents ?

SHRI BALGOVIND VERMA : The Government has prohibited smoking in coal mines. Coal is also kept soaked in water to prevent it from catching fire and if inspite of this fire breaks out, inquiry is made and if any one is found guilty, he is duly punished.

SHRI R. N. SHARMA : The hon. Minister has stated that workers are being provided with jobs in other collieries of A. C. C. I want to know the name of such a colliery. I also want to know whether gas which caught fire was produced due to negligence of the Department or the management ? What the labour Department has done for payment of lay off compensation to the workers ?

SHRI BALGOVIND VERMA : I am not in a position to give the name of the Colliery.

SHRI R. N. SHARMA : There is no other A. C. C. colliery.

SHRI BALGOVIND SHARMA : I have been told that for the time being, 300 workers are going to be provided with jobs. Regarding the breaking out of fire, inquiries are held and whosoever is found guilty, is duly punished. Mine owners are duty bound to follow the rules framed in this regard. It anyone violates the rules, he is punished. Action is being taken for securing the payment of wages of the workers during the lay off period.

भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को मुख्यालय-भत्ता दिया जाना

*500. **श्री शशिभूषण** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विदेश सेवा (ए) के अधिकारी जब कभी दिल्ली में नियुक्त होते हैं तो उन्हें मुख्यालय-भत्ता मिलता है;

(ख) क्या यह मुख्यालय-भत्ता भारतीय विदेश सेवा (बी) के अधिकारियों को नहीं दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है, और भारतीय विदेश सेवा (दी) के अधिकारियों को भी उक्त भत्ता देने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क). भारतीय विदेश सेवा (क) के अधिकारियों को कोई 'मुख्यालय भत्ता' नहीं दिया जाता है, किन्तु मुख्यालय में अवर सचिव अथवा उप सचिव के पद पर जब इनकी नियुक्ति होती है तो वे क्रमशः 200 रु० तथा 300 रु० प्रति माह विशेष वेतन पाने के हकदार होते हैं ।

(ख) भारतीय विदेश सेवा (ख) के अवर सचिव की नियुक्ति जब मुख्यालय में होती है, तो वे किसी विशेष वेतन के हकदार नहीं होते ।

(ग) भारतीय विदेश सेवा (क) के वेतन का ढांचा तथा विशेष वेतन की व्यवस्था भारतीय प्रशासनिक सेवा के पैटर्न पर है । भारतीय विदेश सेवा (ख) के वेतन ढांचा का गठन अगस्त 1956 में मोटे तौर पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कनिष्ठ सेवा के अनुरूप हुआ था । केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कोई भी अवर सचिव/उप सचिव 200 रु० / 300 रु० का विशेष वेतन पाने के हकदार नहीं है । विदेश सेवा के वेतन-मान के ढांचों में संशोधन तथा इससे सम्बद्ध मामले तृतीय वेतन आयोग के विचाराधीन हैं ।

SHRI SHASHI BHUSHAN : The officers of I. F. S(a) cadre used to be given head-quarter allowance. After 1961, this was termed as special pay. I want to know as to why there is difference between the salaries of under-secretaries and deputy secretaries of I. F. S. (A) and I. F. S. (B) cadres when they put in equal amount of work ?

SHRI SURENDRA PAL SINGH : I have told you that the grade structure and special pay of I. F. S. (A) cadre comes under the regulations of I. A. S. The Government has taken same decision about I. F. S(B) cadre and the Second Pay Commission has agreed to that. They should refer their case to the Third Pay Commission which will decide about it.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न करने वाले आधे माननीय सदस्य अनुपस्थित थे । पिछले कुछ दिनों से मैं यही बात देख रहा हूं । यदि माननीय सदस्य हमें समय पर अपनी अनुपस्थिति की सूचना दे दें तो सूची में अन्य प्रश्न रखे जा सकते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रक्षित रिक्त स्थानों के बारे में सर्वेक्षण

*482. **श्री वी० मायावन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय ने केन्द्रीय सरकार के संस्थानों तथा उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों के लिए रक्षित रिक्त स्थानों के बारे में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) आधार सामग्री तैयार कर ली गई है और रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ख) सर्वेक्षण के कुछ प्रारम्भिक परिणाम सदन की मेज़ पर रखे विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

समाज कल्याण विभाग के अनुरोध पर रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय ने केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों/उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों का सर्वेक्षण किया ।

समाज कल्याण विभाग द्वारा घोषित सर्वेक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित थे :—

(क) न भरे गए पदों के प्रकार और प्रतिशत मालूम करना,

(ख) पद खाली रहने के कारण मालूम करना,

(ग) रोजगार कार्यालय के चालू रजिस्टर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों की विशिष्टताएं मालूम करना,

(घ) सभी आरक्षित पद भरने के उपाय प्रस्तुत करना,

(ङ) रिक्त स्थानों के लिए भेजे गये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के बारे में नियोजकों के विचार और ऐसे उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के उन के कारण मालूम करना / प्राप्त सूचना पर आधारित कुछ प्रारम्भिक परिणाम नीचे दिए गए हैं :—

(i) लगभग 60 प्रतिशत अकुशल रिक्त स्थान रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों से भरे गए/न भरे गए रिक्त स्थानों का अनुपात दस्तकारों के संबंध में केवल 17 प्रतिशत, परिवहन संचार श्रमिकों के बारे में 10 प्रतिशत और व्यावसायिक एवं तकनीकी श्रमिकों के संबंध में 23 प्रतिशत है ।

(ii) अनपढ़ों के मामले में अनिसूचित रिक्त स्थानों के प्रति भरे गए रिक्त स्थानों का अनुपात अधिकतम था (अनुसूचित जाति के लिए 54 प्रतिशत और अनुसूचित जन जाति के लिए 40 प्रतिशत) । चूंकि आरक्षित रिक्त स्थानों के लिए शैक्षिक आवश्यकताएं बढ़ गईं, इसलिए भरे गए रिक्त स्थानों के अनुपात में ह्रास होता गया ।

(iii) अक्तूबर-दिसम्बर, 1969 की तिमाही के दौरान रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित अधिकांश रिक्त स्थान (60 प्रतिशत) क्लर्कों या अकुशल नौकरियों के संबंध में थे ।

(iv) अधिकांश अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों (71 प्रतिशत) और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों (59 प्रतिशत) को कोई वृत्तिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण या पहले काम करने का अनुभव प्राप्त नहीं था ।

(v) जिन रिक्त स्थानों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी योग्यताओं की आवश्यकता थी उनके लिए उम्मीदवार सीमित संख्या में उपलब्ध थे। विशेषकर अनुसूचित जन जातियों में रोजगार कार्यालय उन्हें अधिसूचित किए गए 52 रिक्त स्थानों के लिए केवल 33 उम्मीदवारों की सिफारिश कर सके।

(vi) काफी उम्मीदवारों (लगभग 40 प्रतिशत) ने रोजगार कार्यालयों द्वारा उन्हें भेजी गई कालों का प्रत्युत्तर नहीं दिया।

(vii) 15-5-70 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज अनुसूचित जाति के 69 प्रतिशत व्यक्ति और अनुसूचित जन-जाति के 79 प्रतिशत व्यक्ति मैट्रिक से कम पढ़े लिखे थे। स्नातक तथा स्नाकांचर केवल 2 से 3 प्रतिशत थे।

(viii) नियोजकों ने सूचित किया कि आरक्षित पदों के भरे जाने में बाधक मुख्य कारण भी थे :—(क) उम्मीदवारों द्वारा लिखित/मौखिक परीक्षा में निर्धारित स्तर तक न पहुंचना (ख) चुने गए उम्मीदवारों में गतिशीलता की कमी (ग) मेडिकल अनफिटनेस, (घ) योग्यता प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध न होना और (ड) अपेक्षित योग्यताओं वाले उम्मीदवारों से पर्याप्त प्रत्युत्तर का अभाव।

रत्नगिरि (महाराष्ट्र) में एल्यूमिनियम परियोजना की स्थापना

*484. **श्री एम. एस. शिवस्वामी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्नगिरि (महाराष्ट्र) में कोई एल्यूमिनियम परियोजना स्थापित करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है तथा उन पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) यह कब तक स्थापित की जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस. मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां।

(ख) रत्नगिरि (महाराष्ट्र) में स्थापित किए जाने वाले ऐलूमिनियम संयंत्र से ऐलूमिनियम धातु के 50,000 टन और ई. सी. ग्रेड तार छड़ों के 25,000 टन का वार्षिक उत्पादन होगा।

इसमें बाक्साइट खनन और ऐलूयिना संनिर्माण के लिए सहायक सुविधाएं होगी। एकीकृत प्रायोजना की पूंजीगत लागत का लगभग 68 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ग) संयंत्र के प्रावस्थाओं में चालू होने की संभावना है जो 1975-76 से प्रारंभ होगी।

इस्पात के लिए विकास योजना

*485. **श्री एम. एम. जोजफ :**

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन इन्जीनियरिंग एसोसिएशन ने हाल में इस्पात के लिए एक दस-वर्षीय विकास योजना का सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस. मोहन कुमारमंगलम्) : (क) इण्डियन इन्जीनियरी एसोसियेशन ने इस विषय में सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। फिर भी 29 मार्च, 1972 को संगठन के वार्षिक अधिवेशन में भाषण देते हुए इण्डियन इन्जीनियरी एसोसियेशन के अध्यक्ष ने सुझाव दिया था कि सरकार को इस्पात के विकास की 5 और 10 वर्ष की योजना बनाने और उसे प्रकाशित करने पर विचार करना चाहिए।

(ख) इण्डियन इन्जीनियरी एसोसियेशन के अध्यक्ष ने इस्पात विकास की 5 और 10 वर्ष की योजना बनाने और प्रकाशित करने के सुझाव के अलावा यह भी सुझाव दिया था कि उत्पादन में वृद्धि के विचार से सभी प्राप्त साधनों का उपयोग करना चाहिए जिनमें निजी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की क्षमता का विस्तार भी शामिल हो तथा इस्पात के अनुभागों को युक्तिसंगत बनाना चाहिए और इस्पात पर आधारित उत्पादन तथा निर्यात की वृद्धि के लिए अनुसंधान और विकास कार्य सुव्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए।

सरकार इन मामलों पर पूरी तरह ध्यान दे रही है। 1980 तक तथा इसके बाद इस्पात की मांग के अस्थायी अनुमान तैयार किये गये हैं। उत्पादन क्षमता में वृद्धि का आयोजन करते समय निजी क्षेत्र के वर्तमान इस्पात कारखानों के विस्तार को भी ध्यान में रखा गया है। सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में इस्पात अनुभागों को बेलन के लिए युक्तिसंगत बनाने का कार्य एक सतत प्रक्रिया है जिसकी समय-सयय पर समीक्षा की जाती है। केन्द्रीय लोहा और इस्पात अनुसंधान बोर्ड की स्थापना के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण

*491. **श्री डी. पी. जदेजा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नए इस्पात संयंत्र के बारे में राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् का प्रतिवेदन

*493. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :**

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने सलेम, होसपेट और विशाखा-पत्तनम में नए इस्पात संयंत्रों के लिए 'प्राडक्ट-मिक्स' के बारे में अपना अन्तिम प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख). जुलाई 1970 में राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् से 1975 और 1980 में सभी प्रकार के लोहे और इस्पात की राष्ट्रीय मांग के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् को सेलम, विशाखापत्तनम् और मैसूर राज्य में हास्पेट के निकट (विजयनगर इस्पात कारखाना) स्थापित किये जाने वाले नये इस्पात कारखानों के लिए विशेष रूप से प्राडक्ट मिक्स के बारे में ही रिपोर्ट तैयार करने को नहीं कहा गया था परन्तु नये इस्पात कारखानों के 'प्राडक्स-मिक्स' के बिभिन्न विकल्प तैयार करने हेतु 1980 में इस्पात की मांग के पूर्वानुमान के बारे में इसकी रिपोर्ट का लाभ उठाने का विचार था और ऐसा किया भी गया। प्रत्येक नये इस्पात कारखाने के 'प्राडक्स-मिक्स' के बारे से अन्तिम रूप से निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

दुर्गापुर इस्पात परियोजना के लिये मशीनों का आयात

*496. **श्री पी० वेंक्टासुब्बया** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भण्डार करने की कोई पूर्व योजना बनाए बिना दुर्गापुर इस्पात परियोजना में तीन करोड़ रुपये की मशीनों का आयात किया गया था;

(ख) क्या इन्हें खुले में रख दिया गया था और जब इन्हें लगाने के लिए इनकी आवश्यकता हुई तब वे मरम्मत योग्य भी नहीं रहीं थी; और

(ग) इस लापरवाही के क्या कारण है और इस मामले में उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

———

पश्चिम जर्मनी द्वारा भारत को इस्पात सम्बन्धी विशेष जानकारी देने की पेशकश

*497. **श्री के. तालदन्डायुतम** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम जर्मनी ने भारत को इस्पात सम्बन्धी विशेष जानकारी देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने वह पेशकश स्वीकार कर ली है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

———

भिलाई इस्पात कारखाने में वृहत प्लेट मिल का लगाया जाना

*498. **श्री वरके जार्ज** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात की चौड़ी प्लेटें बनाने के लिए, जिनकी जहाज बनाने और भारी इंजीनियरी कार्यों के लिए आवश्यकता पड़ती है, भिलाई इस्पात कारखाने में एक वृहत प्लेट मिल लगाने का कोई प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो प्लेट मिल की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) क्या सेंट्रल इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्यूरो द्वारा अमेरिकन लाइसेंसर्स के साथ किए गए खर्चीले डिजाइन जानकारी के करार के फलस्वरूप यह ब्यूरो आधुनिक प्लेट मिल का डिजाइन तैयार कर सकेगा ?

इस्पात और खानमंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां । चौड़ी प्लेटें तैयार करने वाली प्रस्तावित मिल में तैयार की जाने वाली प्लेटें बहुत से उद्योगों में जिन में जहाज बनाने तथा भारी इंजीनियरी के कारखाने भी शामिल है काम में लायी जाएंगी ।

(ख) मिल की लागत के अनुमान विस्तार योजना के लिए विस्तृत प्रयोजना प्रतिवेदन तैयार हो जाने के पश्चात् ही उपलब्ध हो सकेंगे । केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन ब्यूरो इस समय यह रिपोर्ट तैयार कर रहा हैं ।

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लि० (केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन ब्यूरो) द्वारा अमरीका की युनाइटेड इंजीनियरिंग एण्ड फाउण्ड्री कम्पनी के साथ किए गए करार में बेलन मिल उपकरणों (चौड़ी प्लेट मिल के उपकरण भी शामिल है) के रूपांकन और निर्माण की जानकारी के स्थानांतरण की भी व्यवस्था है ।

एशियन रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड में उत्पादन

3359. **श्री स्वर्णसिंह सोखी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियन रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड में, जिसको सरकार ने अक्तूबर, 1971 में अपने नियंत्रण में लिया था, अब तक उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ हैं; और

(ख) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में कोई मुकदमा अनिर्णीत पड़ा है और कम्पनी के भूतपूर्व मालिकों द्वारा 'स्टे-आर्डर' लिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं । फिर भी यथा शीघ्र, उत्पादन आरम्भ करने के लिए उपाय किए जा रहे है ।

(ख) सरकार को कलकत्ता उच्च न्यायालय अथवा भारतीय सर्वोच्य न्यायालय में अनिर्णीत पड़े किसी मुकदमे का नोटिस नहीं मिला है और न ही कोई स्टे-आर्डर मिला है ।

कोयला और गैर कोयला खानन उद्योग के लिए उपकरणों का आयात

3360. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करकार को पता है कि प्राइवेट फर्में पश्चिम यूरोप, ब्रिटेन और अमरीका से कोयला और गैर-कोयला खानन उद्योग के लिए बहुत से उपकरण, मशीनें तथा फालतू पुर्जे आयात कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है; और

(ग) ये उपकरण देश में बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और उनका क्या परिणाम निकला है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी ।

Setting up of Aluminium Plant in Madhya Pradesh

3361. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether large deposits of Bauxite ore are available in Madhya Pradesh; and

(b) if so, whether Government propose to set up an Aluminium Plant there ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) The total reserves of bauxite in Madhya Pradesh are estimated to be about 52.9 million tonnes, of which measured and indicated reserves of metal grade bauxite are about 31.5 million tonnes.

(b) In addition to the existing aluminium smelter at Renukoot (U.P.) in the private sector, which is utilising the bauxite deposits in Madhya Pradesh, an integrated aluminium plant is being established at Korba in the Public sector based on the bauxite deposits available in that State.

वर्मा और श्रीलंका के विस्थापितों के लिये 'ओल्ड पीपल्स होम'

3362. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या बर्मा और लंका के वृद्ध और अपंग शरणार्थियों के लिये मैसूर में मून्दमोड के नमूने को एक 'ओल्ड पीपल्स होम' बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या बर्मा और लंका के इन वृद्ध और अपंग विस्थापितों के लिये कोई वैकल्पिक प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर): (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, बर्मा के आये वृद्ध और अपंग व्यक्तियों की देख-भाल आंध्र प्रदेश के जिला विशाखापट्टनम् में कचरापलेम में उनके लिए विशेष रूप से स्थापित किए गए गृह में केन्द्रीय सरकार द्वारा की जा रही है। अन्य राज्यों में इस प्रकार के व्यक्तियों के भरण-पोषण के लिए नकद अनुदान दिया जाता है श्रीलंका से आए वृद्ध और अपंग व्यक्ति यदि वे लंका से अपनी परिसम्पत्तियां या बचाया हुआ धन साथ न लाए हों तो उन्हें भी उस समय तक नकद अनुदान दिया जाता है, जब तक कि प्रशिक्षण आदि के द्वारा उनका पुनर्वास नहीं कर दिया जाता। उनके लिए कोई गृह स्थापित नहीं किया गया है।

Expenditure incurred on Development of Mines in Madhya Pradesh by N.M.D.C.

3363. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the National Mineral Development Corporation propose to spend money on the development of the mines of Madhya Pradesh ; and

(b) if so, the amount thereof and the expenditure incurred so far thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) Yes, Sir.

(b) The total estimated capital cost of Bailadila Iron ore deposit No. 14 and Panna Diamond mines, already developed by the N. M. D. C., is about Rs. 32.26 crores, of which the expenditure already incurred till 1971-72, is about Rs. 29 crores.

The estimated capital cost of Bailadila iron ore deposit No. 5, which is under construction, is about 50 crores (tentative) of which about Rs. 12.22 crores has already been incurred upto 1971-72.

Besides, the N.M.D.C., have also undertaken detailed exploration of Bailadila iron ore deposit No. 4 at an estimated cost of Rs. 28.47 lakhs. A scheme for the expansion of Majhgawan diamond mine in Panna is also being prepared by the N.M.D.C. Ltd.

E. P. F. in Cotton Textile Mills and other Industries in Madhya Pradesh

3364. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the number of members from Cotton Textile Industry and other factories in Private Sector in Madhya Pradesh included in the Provident Fund Scheme upto the 31st October, 1971;

(b) whether the results of this scheme have been encouraging; and

(c) the steps being taken by Government to make it a success and bring it on proper footing ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : The Provident Fund Authorities have reported as under :—

(a) Separate figures in respect of Cotton Textile Industry are not available. However, the number of members from textile industry in private sector in Madhya Pradesh included in the Provident Fund Scheme upto the 31st October, 1971 is 45,375 (exclusive of 13,067 members in five Textile Mills run by the Authorised Controllers). In other private factories, the corresponding figure is 1,61,872.

(b) From the increasing trend in the membership from year to year and the average amount of the claims received by outgoing members as also the number and amount of advances availed of by members, it can be said that the results of the Scheme have been encouraging.

(c) Government have under consideration proposals for making the penal provisions of the Act more deterrent to check defaults on the part of employers in payment of provident fund dues.

Family Pension Scheme in Textile Mills in Madhya Pradesh

3365. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the number of workers in textile mills in Madhya Pradesh who have accepted the family pension scheme upto the 31st October, 1971 and the number of workers working in textile mills in Madhya Pradesh;

(b) whether labourers have shown no interest in the said scheme; and

(c) if so, the action being taken by Government to popularise it ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) The Provident Fund Authorities have intimated that as on the 31st October, 1971, out of 0.58 lakh provident fund members in Textile Mills in Madhya Pradesh, 0.13 lakh members have joined the Employees' Family Pension Scheme, 1971.

(b) and (c). The response to the Scheme has not been as encouraging as expected. It is proposed to allow the Scheme to operate for some time before a proper evaluation is made.

Implementation of Coal Mines Wage Board Recommendations by Private Coal Mines in Madhya Pradesh

3366. SHRI G. C. DIXIT : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the recommendations of the Central Wage Board for Coal Mining Industry were accepted by the Government more than four years back;

(b) whether several private coal mines in Madhya Pradesh have not implemented these recommendations so far;

(c) whether the management have not so far made any change in their attitude despite the fact that several representations have been made to the management and higher authorities in this regard; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) Yes.

(b) There are 39 collieries in the private sector. Of these, two have implemented the recommendations in full and the remaining 37 have done so partially, the main deviations being in respect of dearness allowance.

(c) and (d). The officers of the Central Industrial Relations Machinery have been making and they continue to make efforts to persuade the concerned managements to implement the recomendations.

शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये मंत्री द्वारा बंगला देश का दौरा

3367. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेश लौटे शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्याओं का अनुमान लगाने के लिए पुनर्वास मंत्री या उपमंत्री बंगला देश गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य पुनर्विलोकन समिति का पुनर्गठन

3368. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में शरणार्थी पुनर्विलोकन समिति को पुनर्गठित करने का कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठित समिति के सदस्यों के नाम क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में बिलम्ब के क्या कारण हैं और समिति का पुनर्गठन कब तक हो जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० खाडिलकर) : (क) से (ग). समीक्षा समिति गत पांच वर्षों से अधिक अवधि से कार्य कर रही है और इसको जो काम सौंपे गए थे उसके पर्याप्त भाग को इसने पहले ही पूरा कर लिया है। अवशिष्ट कार्य के भी शीघ्र पूर्ण होने की संभावना है। इस को ध्यान में रखते हुए इस अवस्था में सरकार समिति के पुनर्गठन का विचार नहीं रखती।

भारतीय रेड क्रास द्वारा बंगला देश के शरणार्थियों के लिए धन एकत्र किया जाना

3369. **श्री वयालार रवि** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेड क्रास द्वारा बंगला देश के शरणरणार्थियों के पुनर्वास के लिए एकत्र की गई धनराशि के बारे में सरकार के पास कोई हिसाब किताब है; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कुल कितनी धनराशि एकत्र की है और कुल कितनी राशि खर्च की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैग्नीशियम का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन

3370. **श्री देवेन्द्रसिंह गरचा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैग्नीसाइट ब्राइन और सी बिटर्न जैसे कच्चे माल के बहुत बड़े भण्डार के बावजूद देश में मैग्नीशियम का बाणिज्यक स्तर पर उत्पादन नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इसका वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करने के लिये क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग). राष्ट्रीय धातुकर्मीय प्रयोगशाला, जमशेदपुर ने 200 टन से 250 टन मैग्नीशियम प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता

वाले संयंत्र को प्रतिष्ठापित किया है। उनका मैग्नीशियम के उत्पादन का प्रावस्थानुसार कार्यक्रम निम्न प्रकार से है :—

1972	175 से 200 टन
1973	225 टन
1974	250 टन

केन्द्रीय विद्युतरसायनिक अनुसंधान संस्थान, कराइकुडी भी मैग्नीशियम के कुल 72 से 75 टन प्रतिवर्ष उत्पादन के लिए 10,000 एम्पीयर वाले 4 कक्षो को प्रतिष्ठापित कर रहा है। प्रथम कक्ष जनवरी, 72 में प्रतिष्ठापित किया गया। द्वितीय कक्ष मई, 72 में चालू किया जाएगा। अगस्त, 72 में पूर्ण उत्पादन प्राप्त किया जायेगा।

———

दिल्ली में रोजगार कार्यालयों में दर्ज बेरोजगारों की संख्या

3371. **श्री अम्बेश** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रोजगार कार्यालय में कितने शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं; और

(ख) इनमें से उन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने अपने नाम हिन्दी तथा अंग्रेजी अशुलिपिकों के पदों के लिए दर्ज करा रखे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) :

(क) वर्ग	31-12-1971 का चालू रजिस्टर में दर्ज व्यक्तियों की संख्या
1. शिक्षित (मैट्रिक पास तथा अधिक योग्यता वाले)	76,582
2. अशिक्षित (मैट्रिक से कम जिनमें अनपढ़ भी शामिल हैं)	62,638
कुल :	1,39,220

(ख) वर्ग	31-12-1971 को चालू रजिस्टर में दर्ज काम चाहने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या
1. अंग्रेजी के आशुलिपिक	5
2. हिन्दी के आशुलिपिक	10

भारत और बंगला देश के बीच सम्बन्ध खराब करने के लिये प्रयत्नशील देश

3372. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या विदेश मंत्री** यह बताते कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने ढाका में एक प्रेस सम्मेलन में इस बात का संकेत दिया था कि कुछ देश भारत और बंगला देश के बीच सम्बन्ध खराब करने का प्रयत्न कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) ढाका में एक संवाददाता सम्मेलन में प्रधान मंत्री से इस तरह का एक प्रश्न पूछा गया था; प्रधान मंत्री के उत्तर का पाठ सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(ख) सरकार उन लोगों को—जो अब भी इस क्षेत्र में अस्थिरता लाना चाहते हैं—इस ओर से आश्वस्त करने का निरंतर प्रयत्न कर रही है कि इस क्षेत्र के लोगों में शांति, प्रगति और पड़ोसियों के साथ अच्छे सम्बन्धों की जो लालसा है उसे सब जगह से समर्थन मिलना चाहिए ।

विवरण

मैं नहीं समझती कि नाम बताने से कोई फायदा होगा । मैं समझती हूं कि उन लोगों को सभी जानते हैं जिन्होंने बंगला देश की मुक्ति का सदा विरोध किया और जो अत्याचारों, हत्याओं, बलात्कारों आदि के बारे में समाचार-पत्रों के संवाददाताओं के, बंगला देश के नहीं उनके अपने संवाददाताओं के, लिखे को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे । अब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें से कुछ लोग इस बात में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं कि किसी तरह यह सिद्ध हो जाए कि वे ही ठीक थे, हम नहीं । हमने कहा था कि बंगला देश आजाद होगा । बंगला देश एक नवजात देश है जो प्रगति करेगा और जिसका भविष्य अच्छा है । लेकिन मैं यह नहीं जानती कि शुरू में जो लोग इस सब के खिलाफ़ थे वे अब इस इच्छा का हृदय से समर्थन करते हैं या नहीं । यह तो साफ है कि वे अब कुछ खुलकर तो कह नहीं सकते क्योंकि बंगला देश एक वास्तविकता है, लेकिन मैं समझती हूं कि ये लोग इस उपमहाद्वीप को कमजोर करना चाहेंगे क्योंकि सदा से उनकी यही नीति रही है। यह सिर्फ बंगला देश का ही सवाल नहीं है । कुछ राष्ट्रों की यह नीति रही है कि इस उपमहाद्वीप को कमजोर बनाए रखा जाए । भारत के सिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्ता को भड़काने का यही उद्देश्य था ।

श्रमिकों को सरकारी उपक्रमों के शेयर खरीदने की अनुमति

3373. **श्री रणबहादुर सिंह : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्रमिकों को सरकारी उपक्रमों के शेयर खरीदने की अनुमति देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिकों द्वारा शेयर खरीदने से सम्बन्धित एक योजना विचाराधीन है।

अमरीका का झूठा प्रचार

3374. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमरीका के सैन्य विभाग (डिपार्टमेंट आफ आर्मी) से जारी किये गये दिनांक 17 फरवरी, 1972 के पत्र की एक फोटोस्टेट प्रतिलिपि की ओर दिलाया गया है जो 16 मार्च, 1972 के **'हिन्दुस्तान टाइम्स'** में प्रकाशित हुई है और जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि बंगला देश के शासक हिन्दू हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की क्यों कि ऐसा महसूस किया गया था कि यह खबर इस कदर गलत और बेबुनियाद है कि हमारी ओर से न तो इसके प्रतिकार की आश्यकता है और न प्रतिक्रिया की।

बंगला देश को शरणार्थियों की वापसी के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहायता

3375. **श्री इंद्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश को शरणार्थियों की वापसी की व्यवस्था करने में किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या किसी अन्य देश ने हमारी सहायता की थी; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कहां तक हमारी सहायता की थी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों के हाई कमीशन ने बंगला देश के शरणार्थियों के प्रत्यावासन के लिए 10,000,000, (7.20 करोड़ रुपये के बराबर) डालर नकद दिए हैं।

कोयम्बटूर में कपड़ा मिलों में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

3377. **श्री पी० वेंकटसुब्बया :**
श्री ए० के० गोपालन :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष फरवरी में कोयम्बटूर की कपड़ा मिलों में काम करने वाले कर्मचारियों ने हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) इस मामले में कौन से कदम उठाये गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). श्रमिकों द्वारा 19 मांगें प्रस्तुत की गई थीं और तमिलनाडु सरकार द्वारा, जो कि इस मामले में उचित सरकार है, उनके प्रतिनिधियों के साथ हुई बात चीत के फलस्वरूप एक समझौता हुआ था। इस समझौते के फलस्वरूप 11/12 मार्च, 1972 की मध्य रात्रि को हड़ताल वापस ले ली गई थी।

Distribution of Steel by Hindustan Steel Depot, Indore (Madhya Pradesh)

3378. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a the total quota of steel allotted by the Hindustan Steel Depot, Indore (Madhya Pradesh) to the various industrial establishments and individuals during the period from 1st April, 1971 to 31st January, 1972 ; and

(b) the names of such industrial establishments and individuals as have regularly been allotted quota during this period on year to year basis ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Decline in Production of Steel in Public Sector Steel Plants

3379. SHRI PHOOL CHAND VARMA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the production of Steel has declined in the public sector steel plants of Bhilai, Durgapur and Rourkela in the country in January, 1972, as compared to that in December 1971 ; and

(b) if so, the reasons therefor and the steps proposed to be taken by Government to ensure that the production of steel does not decline in future ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) The total production of saleable steel from the public sector steel plants, at Bhilai, Durgapur and Rourkela in the month of January, 1972 was higher than that in December, 1971.

(b) Does not arise in view of reply to (a) above.

Production Capacity of Khetri Copper Project

3380. DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of STEEL AND MIENS be pleased to state :

(a) the installed production capacity of Khetri Copper Project ; and

(b) the present position in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) and (b). The Khetri Copper Project is being developed for the production of 31,000 tonnes of electrolytic grade of copper metal per annum. The ore at Khetri & Kolihan is a sulphide one. The sulphur values of the ore will be used for the production of 600 tonnes of sulphuric acid per day which will in turn be used for the production of about 2 lakh tonnes of Triple Super Phosphate fertilizer per annum. The Project is still under construction. According to the revised time schedule, the concentrator plant will be commissioned by March, 1973. Smelter and Refinery will be commissioned by December, 1973. Acid-cum-fertilizer Plant is expected to be commissioned in February, 1974. The Project will be fully commissioned by last quarter of 1973-74.

त्रिपुरा में पारपत्र प्राधिकरण की स्थापना

3381. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के लिये पारपत्र जारी करने के लिये त्रिपुरा में कोई पारपत्र प्राधिकरण स्थापित किया गया है; और

(ख) इस कार्य के लिये नियुक्त अधिकारियों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : "भारत और बंगला देश के बीच यात्रा के लिए एक विशेष प्रमाणपत्र" द्वारा बंगला देश की यात्रा नियमित होती है जो 'भारत के राजपत्र—असाधारण—भाग 2—खण्ड 3—उप खण्ड (एक)' में प्रकाशित विदेश मंत्रालय की अधिसूचना सं० जी. एस. आर. 59 (ई) में विहित है।

इस राज्य में दो अधिकारियों को ऐसे प्रमाणपत्रों को जारी करने का अधिकार दिया गया है।

(ख) इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत अधिकारी ये हैं :

1. उप सचिव, त्रिपुरा सरकार, गृह (राजनीतिक विभाग) पासपोर्ट अनुभाग, अगरतला ।

2. त्रिपुरा सरकार के अवर सचिव, राजनीतिक विभाग, अगरतला ।

Mineral Deposits in Almora District (U. P.

3382. SHRI NARENDRA SINGH BISHT : will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether rich deposits of cement have been found in Khartti Patti of Almora district (U. P.) ;

(b) whether any other mineral deposits have also been found in this area ; and

(c) the time by which the glass deposits of Khartti Patti would be exploited ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) and (b). No, Sir.

(c) Does not arise.

Setting up of Magnesite Factory in Almora (U. P.)

3383. SHRI NARENDRA SINGH BISHT : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether a magnesite factory is being set up in Jhiroli in Almora District (U. P.) ;

(b) if so, the production capacity and the estimated cost thereof ;

(c) the number of persons likely to be employed therein ; and

(d) the time by which the factory would start production ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Return of Bangla Desh Refugees in Orissa and Madhya Pradesh

3384. SHRI JAGANNATHRAO JOSHI : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state the number of old refugees of Malkanagiri and

Amarkot in Orissa and also of Paralkote in Madhya Pradesh who have returned or have expressed their willingness to return to Bangla Desh ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : According to information received from the Dandakaranya Project Administration, 3,337 families had left the rehabilitation sites and villages upto 31st March, 1972. In addition, 3,105 families had left from the camps in Dandakaranya upto 25-3-1972. The information regarding the Zone-wise break-up of these families is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

These families left the Project on their own and would presumably have gone towards Bangla Desh.

———

भिलाई में दूसरे 'सिंटरिंग' संयंत्र का निर्माण

3385. **श्री वी० मायावन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि भिलाई के दूसरे सिंटरिंग संयंत्र का निर्माण इस समय किस अवस्था में है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : स्थल तैयार करने का काम हो रहा है, (जिसमें समतलीकरण तथा टुंडला नहर को मोड़ने का कार्य भी शामिल है) । मुख्य सिविल इंजीनियरी के कामों का ठेका मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० को दिया गया है । 50 प्रतिशत उपकरणों के लिए आर्डर दे दिए हैं और बाकी उपकरणों के आर्डर दिए जा रहे हैं । प्रायोजना को दिसम्बर 1974 के अन्त तक पूरा करने का कार्यक्रम है ।

———

भिलाई में 'रेफ्रेक्टरी' संयंत्र

3386. **श्री वी० मायावन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भिलाई में रिफ्रेक्टरी संयंत्र का निर्माण इस समय किस अवस्था में है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री शाह नवाज खां) : इस समय केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन ब्यूरों कारखाने का विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार कर रहा है ।

———

डल्ली खानों का मशीनीकरण

3387. **श्री वी० मायावन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डल्ली खानों का मशीनीकरण इस समय किस अवस्था में है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : औद्योगिक स्थल के समतल करने तथा तैयार करने का कार्य पूरा हो गया है । मुख्य सिविल इंजीनियरी कार्य का ठेका

मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि० को दिया गया है । अधिकतर उपस्करों के लिए आर्डर दिये जा चुके हैं तथा कुछ यातायात उपस्कर आ चुके हैं । कार्यक्रम के अनुसार यह प्रायोजना दिसम्बर, 1974 में पूरी हो जायेगी ।

राऊरकेला में कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरियंटेड शीटों के उत्पादन के लिए संयंत्र

3388. **श्री वी० मायावन** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राऊरकेला में कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरियंटेड शीटों में निर्माण के लिये संयंत्र का निर्माण इस समय किस अवस्था में है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खान) : राऊरकेला में कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरियंटेड चादरों की प्रायोजना की स्थापना के लिए बिदेशों सहयोगियों द्वारा प्रस्तुत किए गए करार के प्रारूप पर अभी बातचीत चल रही है ।

भारत-पाक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं के लिये नौकरियां

3389. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशभर के रोजगार कार्यालयों में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की पात्र विधवाओं तथा उनके परिवारों के अन्य सदस्यों के नाम दर्ज करने और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर नौकरियां देने के बारे में कोई प्रबंध किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किये गये प्रबंधों की मोटी रूपरेखा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : युद्ध में शहीद हुए रक्षा सेवा कर्मचारियों के आश्रिताओं को शीघ्र रोजगार दिलाने के लिए ये अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं कि समस्त देश में केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठान श्रेणी iii और iv के पद रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली, में स्थापित भूतपूर्व सैनिक सेल (Ex-Servicemen Cell) को अधिसूचित करें । इसके साथ-साथ ये आदेश भी जारी किए गए हैं कि रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशक युद्ध में शहीद हुए रक्षा सेवा कर्मचारियों के आश्रितों का ब्यौरा इस सेल को उपलब्ध कराए ।

इस सेल द्वारा आश्रितों को केन्द्रीय सरकार के श्रेणी-iii और iv के पदों के रिक्त स्थानों के लिए भेजा जाता है ।

उन्हें शीघ्र नौकरी दिलाने के लिए, भूतपूर्व सैनिक सेल द्वारा सम्बन्धित रोजगार कार्यालय को भी आश्रितों का ब्योरा भेजा जाता है । रोजगार कार्यालयों को भी विस्तृत अनुदेश जारी किये गये हैं कि वे उन्हें भेजे गये ब्यौरे के आधार पर पंजीकृत करें और

उपलब्ध स्थानीय रिक्त स्थानों के लिए उनके नाम भेजते समय विकलांगों की प्राथमिकता 1 तथा युद्ध में शहीद सैनिकों के आश्रितों को प्राथमिकता 2 ए दें ।

इस संबंध में 7-4-1972 को लोक सभा में दिए गए प्रश्न संख्या 2149 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

बंगाल देश से भारतीय सेनाएं न हटाने के बारे में अमरीकी प्रचार

3390. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस अमरीकी प्रचार की जानकारी है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि बंगला देश से भारतीय सेनाएं हटाई नहीं गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(ग) इस प्रकार का खंडन करने और संसार को वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपालसिंह) : (क) सरकार को अमरीकी अखबारों में छपी उन गलत खबरों के बारे में जानकारी है जिनमें बंगला देश से भारतीय सेना को न हटाने का आरोप लगाया गया है ।

(ख) और (ग). पाकिस्तान की ओर से थोपी गई लड़ाई के सिलसिले में जो भारतीय सेना बंगला देश में गई थी उसकी वापसी का काम 15 मार्च को पूरा हो गया था । बाद में बंगलादेश के प्रधान मंत्री के कहने पर चटगांव पहाड़ी क्षेत्र में मीजो और अन्य विद्रोहियों के बिरुद्ध कार्रवाई में बंगलादेश की सहायता के लिए छोटी सी टुकड़ी वहां तैनान कर दी गई है । 24 मार्च कों बंगला देश की सरकार ने एक बयान जारी किया था जिसमें अमरीकी अखबारों में छपी इस तरह की खबरों को "शरारतपूर्ण और सोद्देश्य प्रचार" बताया था और यह घोषणा की गई थी कि "बंगला देश के किसी भी हिस्से में भारतीय सेनाओं को स्वतंत्र रूप से कार्यवाई करने का कोई सवाल नहीं उठता ।" भारत सरकार इस बयान से पूरी तरह सहमत है ।

पाकिस्तान में भारतीय युद्ध-बन्दियों से दुर्व्यवहार

3391. **श्री एम. एम. जोजफ :**

श्री बी. के. दास चौधरी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय युद्ध-बंदियों के साथ दुर्व्यवहार का मामला पाकिस्तान सरकार के साथ उठाने के बारे में कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : (क) और (ख). भारतीय युद्ध-बन्दियों के साथ दुर्व्यबहार के मामले, जांच के लिए अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति के साथ औपचारिक रूप से उठाए गए हैं, क्योंकि यह पाकिस्तान द्वारा जेनेवा अभिसमयों का उल्लंघन है।

———

External Affairs Minister's Visits to Foreign Countries

3392. DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) the names of the countries visited by him during the last four months ; and

(b) the purpose of each visit and the achievements therefrom ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in the Library. See* No. LT-1810/72]

———

Labour Courts

3393. DR. LAXMINARAIN PANDEY : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the number of Labour Courts in the country at present ;

(b) the present procedure in regard to appointment of Judges in the said courts ;

(c) whether labour is dissatisfied with the present functioning and composition of the labour courts ; and

(d) whether Government have examined the same ; if so, the action taken in this regard ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) There are seven Industrial Tribunals-cum-Labour Courts appointed by the Central Government. In addition, there are Courts set up by the State Governments.

(b) So far as the Central Government Labour Courts are concerned, the appointment is made by selection from among persons who fulfil the conditions laid down in Section 7(3) and Section 7C of the Industrial Disputes Act, 1947.

(c) and (d). The National Labour Commission has made certain recommendations regarding the machinery and procedure for dispute settlement, including changes in the composition of Industrial Tribunals and Labour Courts. Government are processing these recommendations in consultation with the interests concerned.

———

वर्ष 1971 में घेराव की घटनाओं में वृद्धि

3394. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 में गत दो वर्षों की अपेक्षा घेराव की घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) गत दो वर्ष में इस कारण कितने श्रम-घंटों की हानि हुई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं।

(ख) घेराव में प्रत्यक्ष रूप से कानून और व्यवस्था सम्बन्धी कार्यवाहियां अन्तर्निहित होती हैं और इस संदर्भ में इनका मुख्यतः सम्बन्ध राज्य सरकारों से है। जहां तक इनका औद्योगिक विवादों पर प्रभाव का सम्बन्ध है, मामले पर मई, 1967 में हुई स्थाई श्रम समिति की बैठक में विचार किया गया। समिति ने औद्योगिक विवादों को हल करने के लिए 'घेराव' सहित अवपीड़क एवं भयोत्पादक युक्तियों की निन्दा की है। राज्य सरकारों को तदनुसार सलाह दी गई हैं।

(ग) कुल हानि हुए श्रम-घंटों में संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

———

विदेशों से भारत आये भारत मूलक व्यक्ति

3395. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत मूलक कितने व्यक्ति बर्मा, श्रीलंका तथा अन्य देशों से स्वदेश वापस आए और उनमें से, पाकिस्तान से आये व्यक्तियों सहित, कितनों को भारत में बसाया जा चुका है;

(ख) कितने व्यक्तियों को अभी तक बसाया नहीं जा सका है; और

(ग) गत दो वर्षों में उन पर कितना व्यय किया गया ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). एक विवरण, जिसमें भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासियों, बर्मा तथा श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतीयों के बारे में जानकारी दी गई है, संलग्न हैं। जहां तक अन्य देशों का सम्बन्ध है, जानकारी एकत्रित की जारी रही है।

विवरण

श्रेणी	आने वाले व्यक्तियों की संख्या	परिवारों की संख्या जो पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं	खर्च की गई राशि (रुपये लाखों में)	
			1970-71	1971-72 (जनवरी, 1972 तक)
भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्ति।	11,13,958	38,710	2,594.319**	8,290.912*
बर्मा से आए प्रत्यावासी।	1,90,989	3,000	224.017	284.244
श्रीलंका से आए प्रत्यावासी।	53,563	10,490	226.782	195.052

** इसमें पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों पर किया गया खर्च भी शामिल है।

* इसमें पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्ययों और बंगला देश से आए शरणार्णियों पर किया गया खर्च शामिल है।

———

केरल की फर्मों और फैक्टरियों की और कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की बकाया राशि

3397. **श्रीमती भागंवी तनकप्पन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य की बन्द पड़ी अनेक औद्योगिक फर्मों तथा फैक्टरियों ने मजदूरों की राशि कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना में जमा नहीं कराई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन फर्मों के नियोजकों की इस बात के लिए वाध्य करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि वे मजदूरों को वैध भविष्य निधि की राशि तथा कर्मचारी राज्य बीमा लाभों का भुगता करें ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख). भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकारियों ने निम्नानुसार सूचित किया है :—

कर्मचारी भविष्य निधि

47 प्रतिष्ठान जो भविष्य निधि अंशदानों के भुगतान के लिए दोषी हैं, स्थाई रूप से बन्द पड़े हैं। इनमें से, सात प्रतिष्ठानों को राज्य सरकार द्वारा किस्तों की सुविधा दी गई है और ये नियमत रूप से किस्तों का भुगतान कर रहे हैं।

बकाया भविष्य निधि राशि की वसूली के लिए शेष प्रतिष्ठानों के विरुद्ध फौजदारी और सर्टिफिकेट कार्यवाहियां की जा रही हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

1970-71 में, 20 बन्द कारखाने थे जिन्होंने कर्मचारी राज्यबीमा अधिनियम, 1948 के अधीन देय कर्मचारी के अंशदानों का भुगतान नहीं किया। इस हेतु ऐसे कारखानों द्वारा देय कुल राशि वर्ष 1970-71 के दौरान 17,812.00 रुपये थीं।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उपबन्धों के अधीन राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही की गई है। इस तथ्य के बाबजूद भी कि नियोजक अंशदानों के भुगतान में दोषी हैं, श्रमिकों को उनके लाभ, जिनके लिए वे पात्र हैं, दिए जा रहे हैं।

Central Government Officers in Employment Exchanges in Madhya Pradesh

3400. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state the number of the Central Government Officers in the Employment Exchanges in Madhya Pradesh at present ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : There are no Central Government officers in the Employment Exchanges in Madhya Pradesh as such. However, there is one Special Fmployment Exchange for East Pakistan Migrants functioning under the administrative control of the Central Government ; this is manned by a State Government Officer on deputation to Central Government.

Unrecognised Unions

3401. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1717 on the 25th November, 1971 regarding Unrecognised Unions and state :

(a) whether the primary membership of the concerned Labour Unions has since been verified by Government ; and

(b) if so, the membership thereof ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) and (b). The process of verification of membership of unions affiliated to the concerned workers' central organisations has not yet been completed.

———

दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र द्वारा क्रोमियम स्टेनलेस स्टील का उत्पादन

3402. **श्री डी.पी. जदेजा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र द्वारा उत्पादित उच्चश्रेणी के क्रोमियम स्टेनलैस स्टील को राजस्थान ऊर्जाशक्ति परियोजना ने अस्वीकार कर लिया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख). भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की राजस्थान परमाणु शक्ति प्रायोजन को दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने के द्वारा उत्पादित उच्च श्रेणी का क्रोमियम स्टेनलेस स्टील सप्लाई किया जा रहा है । उनको किये गये एक प्रेषण में यांत्रिक गुण आवश्यकता से कुछ कम पाया गया । इस माल को फिर से विधायन के लिये दुर्गापुर वापस लाया गया और परमाणु शक्ति प्राधिकारियों के संतोष के लायक बनाकर इसे पुनः प्रेषित किया गया ।

———

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के वेतनमानों में वृद्धि

3403. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री वयालार रवि :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों के वेतनमान समय-समय पर बढ़ाये गये थे;

(ख) क्या सेन्ट्रल बोर्ड आफ इंस्ट्रीज द्वारा संगठन के अन्य कर्मचारियों की ऐसी ही मांग को अस्वीकार कर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस विभेद के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों के साथ-साथ अन्य कर्मचारियों के भी वेतन-मानों को समय-समय पर संशोधित किया गया है ।

(ख) संगठन के कर्मचारियों के वेतन-मानों को वाणिज्यिक बैंकों आदि में चालू वेतन-मानों के स्तर पर जाने की उनकी मांग, न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

———

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बोर्ड के लिए प्रतिनिधियों की वृद्धि

3404. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोकसभा की प्राक्कलन समिति ने वर्ष 1970 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यकरण सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन में बताया था कि बोर्ड में श्रमिकों और नियोक्ताओं प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए;

(ख) क्या सरकार ने समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सिफारिश स्वीकार कर ली गई है। तथापि केन्द्रीय न्यासी बोर्ड में नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 में संशोधन होना आवश्यक है। इसे जितना शीघ्र हो सका किया जायेगा।

———

केन्द्रीय न्यास बोर्ड और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

3405. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा की प्राक्कलन समिति ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बारे में अपने प्रतिवेदन में कहा है कि सरकार को इस संगठन के दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए;

(ख) क्या सरकार इस संगठन के सभी कार्य वस्तुतः स्वयं कर रही है और केन्द्रीय न्यास बोर्ड केवल सिफारिश करने वाली संस्था बन कर रह गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस असंगति को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (ग). प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय न्यासी बोर्ड को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए ताकि इसे दिन प्रति दिन के कार्य में पर्याप्त नम्यता प्राप्त हो जबकि मंत्रालय निर्देशन और यदि आवश्यक हो तो, नीति के मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार अपने पास रख सकते हैं। सरकार ने पहले ही निम्न प्रकार उत्तर दिया :—

"इस समय भी दिन-प्रति-दिन के प्रशासन के सभी मामलों में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड को अपने स्तर पर कार्य करने के लिए सामर्थ बनाने हेतु पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की गई है। वास्तव में, कुछ मामलों में बोर्ड को केन्द्रीय सरकार के विभागों को प्राप्त वित्तीय शक्तियों से भी अधिक वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं।

2. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम या कर्मचारी भविष्य निधि योजना में संशोधन के लिए प्रस्तावों सहित सभी महत्वपूर्ण मामले, परिपाटी अनुसार पहले केन्द्रीय न्यासी बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं। बोर्ड को और शक्तियां सौंपने के लिए जब भी अनुरोध प्राप्त होंगे, उन पर केन्द्रीय सरकार गुण-दोष के आधार पर विचार करेगी।"

Workers' Participation in Management in Public Sector Undertakings

3406. SHRI M. C. DAGA : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the Department of Labour and Employment have written to the management of public sector undertakings to make labour equal participant in management ; and

(b) the number of such undertakings where labourers have been included in the management ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) and (b). Government have decided to introduce a scheme for the appointment of workers' representatives on the Board of Management of a few public sector undertakings on a trial basis. In the first instance, it has been decided to implement the scheme in the Hindustan Antibiotics Limited, Pimpri.

Amendment of Labour Laws

3407. SHRI M. C. DAGA : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether Government intend to amend labour laws ; and

(b) if so, the names thereof and the time by which these laws are proposed to be amended ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) and (b). Major amendments to some of the important Acts like the Industrial Disputes Act and the Trade Unions Act are under contemplation pursuant to the recommendations of the National Commission on Labour and the tripartite discussions thereon. In addition to these, the following are the principal Acts which are proposed to be amended :

(a) The Employees Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952.

(b) The Coal Mines Provident Fund, Family Pension and Bonus Schemes Act, 1948.

(c) The Plantations Labour Act, 1951.

(d) The Mines Act, 1952.

(e) The Employees' State Insurance Act, 1948.

(f) The Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947.

(g) The Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946.

(h) The Payment of Wages Act, 1936.

(i) The Factories Act, 1948.

It is not possible to indicate the time by which these amendments would be carried out, but Govt. are anxious that the principal Acts dealing with Trade Unions and Industrial Relations should be amended very early.

———

Survey of Mineral Deposits in Bundi Rajasthan

3408. SHRI ONKAR LAL BERWA : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether Government have conducted any survey of the hills of Bundi (Rajasthan) with a view to find mineral deposits ; and

(b) if so, the findings thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) ; (a) and (b). As a result of geological mapping and investigations conducted by the Geological Survey of India in Hilly Tracts of Bundi District, Rajasthan, substantial quantities of cement grade limestone and building stone, and minor occurrences of other minerals like clay, glass sand, manganese ore, Ochre, marble, copper, and iron have been reported.

———

क्षेत्रीय हुनर सर्वेक्षण योजना

3409. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यपद्धति और तकनीक को जानने हेतु क्षेत्रीय हुनर सर्वेक्षण कराने की कोई आदर्श योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या है;

(ग) क्या कार्यक्रम 1971-72 में आरम्भ किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो यह किन स्थानों पर आरम्भ किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना के अधीन, निकट भविष्य में कारीगरों की आवश्यकताओं की वर्तमान उपलब्धि, श्रमिकों के उत्पादन, जनशक्ति की कमी, स्व-नियोजन के मार्गों, प्रशिक्षण संस्थों की क्षमता तथा सबंद्ध मामलों के बारे में सूचना प्रतिष्ठानों, कृषि फार्मों, प्रशिक्षण संस्थाओं तथा विकास खण्डों से एकत्र की जाएगी। जिला स्तर पर बेरोजगारी की समस्याओं के समधान के उपाय शुरू करने के लिए सर्वेक्षण के परिणाम लाभदायक होंगे।

(ग) जी हां।

(घ) बंगलौर, लुधियाना और गोरखपुर।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा कुछ बड़े राज्यों में इस का स्टाक-यार्ड खोलने का प्रस्ताव

3410. **श्री आर. पी. उलगनम्बी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का कुछ बड़े राज्यों में इसका स्टाक-यार्ड खोलने का प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उक्त स्टाक-यार्ड से कितने माल की डिलीवरी की जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में हिन्दुस्तान स्टील लि० के पहले ही दो-दो स्टाकयार्ड है। उत्पादक स्टाकयार्ड राज्य सरकारों के परामर्श से खोलते हैं। स्टाकयार्ड खोलते समय कुछ अनुमानित बिक्री तथा आर्थिक क्षमता को ध्यान में रखा जाता है।

———

सोवियत रूस-पाकिस्तान संबंध

3411. **श्री राज राजसिंह देव।**
श्री ईश्वर चौधरी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान "टाइम्स आफ इंडिया", दिनांक 22 मार्च, 1972 में **"रूस द्वारा भुट्टो को गुप्त आश्वासन"** शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस समाचार का गंभीरता से अध्ययन किया है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने अखबारी खबरें देखी हैं। यह रिपोर्ट जिन स्रोतों पर आधारित है उनका पता नहीं चला है। यह संदिग्ध और पक्षपातपूर्ण स्वरूप की रिपोर्ट है और यह सरकार की नीति नहीं है कि ऐसी रिपोर्टों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दे।

———

अपंग जवानों के लिए नौकरियों के आरक्षण संबंधी योजना

3412. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के भारत-पाक युद्ध में अपंग हुए जवानों के लिए नियोजकों और श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों ने नौकरियां आरिक्षित करना मान लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर): (क) और (ख). 23 सितम्बर, 1971 को नई दिल्ली में हुई नियोजकों तथा श्रमिकों के कार्यकारी दल की पहली बैठक में रक्षा कर्मचारियों

के लिए रिक्त स्थानों के आरक्षण के विषय पर विचार-विमर्श किया गया । निम्नलिखित के लिए रिक्त स्थानों के उपयुक्त प्रतिशत के आरक्षण के पक्ष में था :—

(1) युद्ध में शहीद हुए रक्षा कर्मचारियों के आश्रित:/संबंधी;

(2) विक्लंगि सैनिक; और

(2) आर्मड् फोर्स से रिलीज हुए रक्षा कर्मचारी ।

इस सम्बन्ध में इस प्रकार की कोई योजना तैयार नहीं की गई है । तथापि जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन) का सम्बन्ध है, मुख्य कार्यकारियों को आदर्श अनुदेश जारी किये हैं कि वे विक्लंगि सैनिकों तथा आरिक्षतों सहित भूतपूर्व सैनिकों के लिए श्रेणी-III के $17\frac{1}{2}$ प्रतिशत पद और श्रेणी IV के $27\frac{1}{2}$ प्रतिशत पद आरक्षित करें ।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के अधीन श्रेणी III में रिक्त-स्थानों के 10 प्रतिशत के आरक्षित कोटे में खपाने के लिए भी विक्लंगि भूतपूर्व सैनिकों की प्राथमिकता दी जा रही है । राज्य सरकारों से भी तदनुरूप कार्यवाही करने के लिए कहा गया है ।

(ग) इतनी जल्दी परिणामों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता ।

———

भारत-पाकिस्तान वार्ता

3413. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच विद्यमान सभी समस्याओं को हल करने की दृष्टि से दोनों देशों के बीच वार्ता आरम्भ कराने के लिए भारत और इस्लामाबाद स्थित स्विस मिशनों द्वारा प्रक्रिया सम्बन्धी ब्यौरे को अन्तिम रूप देने के लिए कोई प्रयास किये गये है; और

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं । इस मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच स्विस मिशन के माध्यम से संदेश भेजे गए ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

———

बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण

3414. **श्री ज्योतिमर्य बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 से लेकर अब तक कितनी बार बोकारो इस्पात संयंत्र की निर्माण लागत के प्राक्कलनों में फेर बदल की गयी है और प्रत्येक अवसर पर इसको बदलने के क्या कारण है;

(ख) संयंत्र को चालू करने की मल समय सारणी क्या थी और इसमें कितनी बार परिवर्तन किया गया है; और

(ग) संयंत्र के कब तक चालू हो जाने की सभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालल में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) बोकारो इस्पात कारखाने के (17 लाख टन पिण्ड) प्रथम चरण की निर्माण लागत के प्राक्कलनों में सरकार द्वारा 1966 में स्वीकृति किये जाने के पश्चात् केवल एक बार संशोधन किया गया है। मुख्यत: देशीय उपकरणों की लागत में वृद्धि, इस्पात के मूल्य में वृद्धि तथा श्रमिकों के वेतन में वृद्धि के कारण ऐसा करना आवश्यक हो गया था।

(ख) दिसम्बर, 1966 में तैयार किये गये आरम्भिक निर्माण कार्यक्रम के अनुसार इस्पात कारखाने के प्रथम चरण को मार्च, 1971 के अन्त तक चालू किया जाना था। इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे कारणों की वजह से जिन पर बोकारो स्टील लि० का कोई वश नहीं था, तीन बार परिवर्तन किया गया है।

वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार कारखाने के प्रथम चरण की स्थापना का कार्य, मार्च, 1973 तक पूरा हो जायेगा तथा इसके चालू करने में उसे 6 महीने और लग जायेंगे। फिर भी प्रथम धमन भट्ठी दिसम्बर, 1971 के अन्त तक तैयार हो जाने के 3-6 मास पश्चात् उत्पादन करने लगेगी।

———

इस्पात टेक्नालोजी में आत्म निर्भरता

3415. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात टेक्नालोजी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) अब तक की गई कार्यवाही का क्या प्रभाव हुआ है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये कुछ मुख्य उपाय नीचे दिए गए हैं :—

(1) बेलन मिलों के उपकरणों का भारत में रूपांकन और निर्माण करने के लिए तकनीकी जानकारी प्राप्त करने हेतु हिन्दुस्तान स्टील लि० के केन्द्रीय इंजीनियरी तथा रूपांकन व्यूरो ने 1 अप्रैल 1969 को अमरीका की युनाइटेड इंजीनियरिंग और फाउण्ड्री कम्पनी के साथ एक करार किया है।

(2) इस्पात कारखानों के इंजीनियरी और रूपांकन कार्यों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु हिन्दुस्तान स्टील लि० ने 1 मई 1970 से सोवियत संघ के त्याजप्रोमेक्सपोर्त के साथ एक करार किया है। जिसका उद्देश्य केन्द्रीय इंजीनियरी तथा रूपांकन व्यूरो को सशक्त बनाना तथा इसका विकास करना है जिससे यह इस्पात कारखानों का रूपांकन कर सके।

(3) इस्पात कारखानों के प्रमुख उपकरणों का रूपांकन करने की अपनी क्षमता में सुधार करने हेतु भारी इंजीनियरी निगम ने भी दिसम्बर 1971 में सोवियत रूस के मेसर्स प्रोमेशएक्सपोर्त के साथ एक करार किया है। रेडियल तथा लगातार ढलाई की मशीनों का देश में निर्माण करने के लिए भारी इंजीनियरी निगम ने सोवियत रूस के लाईसेंसिनटोर्ग के साथ भी एक करार किया है।

(4) स्पंज आयरन के उत्पादन के लिए नई प्रौद्योगिकी के बिकास हेतु राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोग शाला, जमशेदपुर में एक पायलट प्लान्ट स्थापित किया जा रहा है। आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा आंध्र प्रदेश मे कुठागुडम के स्थान पर स्पंज आयरन के उत्पादन के लिए एक प्रदर्शन संयंत्र स्थापित करने का विचार है। यह कारखाना प्रतिदिन 100 टन स्पंज आयरन तैयार करेगा।

(5) राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में उच्च तापमानों पर इस्पात के परीक्षण के लिये एक प्रयोगशाला खोली जा रही है।

(6) देश में कोल्ड रोल्ड ग्रेन अरिएन्टेड वैद्युतिक चादरों के उत्पादन के लिए तकनीकी जानकारी प्राप्त करने हेतु विदेशों में बड़े-बड़े उत्पादकों से बातचीत शुरू की गई है।

(7) देश में एयर गैस पृथक्कीकरण संयंत्रों (आक्सीजन संयंत्रों) के निर्माण के लिए भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्ज लि० विशाखापत्तनम, ने फ्रांस की एयर लिक्विड के साथ एक करार किया है।

(8) स्टेकर और रीक्लेमर जैसे बल्क हैंडलिंग उपकरणों के जिनकी इस्पात कारखानों में आवश्यकता पड़ती है, निर्माण के लिए माइनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लि० दुर्गापुर ने भी पश्चिमी जर्मनी के मेसर्स डेमाग के साथ एक करार किया है।

(ख) चूंकि इस्पात उद्योग में जैस्टेशन अवधि बहुत लम्बी होती है अतः उपर्युक्त (क) में उल्लखित बड़े-बड़े कदमों का प्रभाव तभी नजर आएगा जब नए इस्पात कारखाने और विभिन्न विस्तार कार्यक्रम पूरे हो जाएंगे और उत्पादन करना आरम्भ कर देंगे तथा राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला में विकसित प्रौद्योगिकी के आधार पर देश में स्पंज आयरन के उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित हो जाएंगे। फिर भी सोवियत रूस के त्याजप्रोमेक्सपोर्त के साथ किए गए करार के फलस्वरूप केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन ब्यूरो के लिए नए इस्पात कारखानों (वर्तमान कारखानों के विस्तार कार्यक्रम भी शामिल है) का समस्त इंजीनियरी तथा रूपांकन कार्य करना सम्भव हो सकेगा।

सेलम हास्पेट और विशाखापत्तनम में स्थापित किए जाने वाले तीन नए इस्पात कारखानों तथा भिलाई बोकारो और दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने की विस्तार योजनाओं के इंजीनियरी तथा रूपांकन कार्यदेशीय परामर्श संगठनों द्वारा किए जा रहे हैं।

अमरीका यूनाइटिड इंजीनियरी एण्ड फाउण्ड्री कम्पनी तथा रूस के प्रोमेशएक्सपोर्त और लाइसंसिनटोर्ग के साथ किये गये करारों से देश में इस्पात संयंत्र के उपकरणों के विकास और निर्माण में सहायता मिलेगी।

स्पंज आयरन के उत्पादन के लिए जमशेदपुर में लगाये जाने वाले बड़े पैमाने के पाइलट प्लांट और आंध्र प्रदेश में लगाये जाने वाले प्रदर्शन संयंत्र से देश में इस्पात बनाने की नई प्रौद्योगिकी के विकास से सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला में उच्च तापमान पर परीक्षण करने वाली प्रयोगशाला की स्थापना में बायलरों, टरबाइनों, जेट इंजिनों आदि के निर्माण में काम आने वाला इस्पात देश में ही बनने लगेगा।

तकनीकी जानकारी की प्राप्ति से देश में कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरियेन्टिड चादरों के उत्पादन में आधुनिक प्रोद्यौगिकी का प्रयोग किया जाने लगेगा। ये चादरें बिलली के ट्रांसफार्मरों के निर्माण में काम आती है और इनका उत्पादन काफी जटिल होता है।

फ्रांस के एयरलिक्विड तथा पश्चिमी जर्मनी के डेमाग के साथ किये गये करारों से क्रमशः आक्सीजन संयंत्रों और स्टैकर और रीक्लेमरों जैसे बल्क हेन्डिलिंग उपकरणों का देश में ही निर्माण होने लगेगा। इस्पात कारखाने के लिये ये आवश्यक उपकरण होते हैं।

———

पश्चिमी बंगाल में सूती कपड़ा मिलें

3416. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 से 1971-72 तक वर्ष-वार पश्चिम बंगाल की सूती कपड़ा मिलों में कुल कितने व्यक्ति काम करते थे ?

(ख) 1969-70 से 1971-72 तक वर्ष-वार विभिन्न सूती कपड़ा केन्द्रों में कर्मचारी वर्ग के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या था;

(ग) 1969-70 से 1971-72 तक वर्ष-वार पश्चिम बंगाल में सूती कपड़ा बनाने वाले मजदूरों द्वारा कुल कितना धन अर्जित किया गया; और

(घ) जीवन निर्वाह सूचकांक में वृद्धि से सूती कपड़ा मजदूरों की वास्तविक आय में जो कमी हुई थी क्या वह मंहगाई भत्ते में वृद्धि से पूरी हो गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत लाये गये पश्चिम बंगाल के सूती कपड़ा एककों में कुल अनुमानत दैनिक औसत नियोजन, 1969 में 49,416 और 1970 में 42,656 था। 1970 के लिए, आंकड़े अन्तिम हैं। 1971 के लिए, आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) कलकत्ता और हावड़ा केन्द्रों के औद्योगिक श्रमिकों के लिए 1960—100 के आधार पर वर्षवार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	निम्नलिखित के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	
	कलकत्ता	हावड़ा
1969	171	176
1970	181	184
1971	185	188

(ग) पश्चिम बंगाल में सूती कपड़ा बनाने बाले श्रमिकों की, 1969 और 1970 वर्ष के लिए, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय निम्न प्रकार थी :—

वष	प्रति व्यक्ति वार्षिक आय
1969	2,311.00 रुपये
1970	2,461.00 रुपये

1971 के लिए आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) 1969 और 1970 के बीच, प्रतिदत्त प्रति व्यक्ति की मंहगाई भत्ते सहित वार्षिक आय में 6.5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, उसी अवधि के दौरान कलकत्ता केन्द्र के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 5.9 प्रतिशत वृद्धि से अधिक प्रतीत होती है।

Export of Pig Iron

3417. SHRI MOHAN SWARUP : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether export of pig iron during 1971-72 was 4 lakh tons less than that in 1970-71 ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) and (b). Against about 4.6 lakh tonnes of pig iron exported in 1970-71, the exports during 1971-72 were of the order of 2.2 lakh tonnes. The main reason for the reduction in exports in 1971-72 was the steep decline in the demand abroad particularly in Japan which has been the traditional export market for Indian pig iron.

आजीविका परामर्शदाता कार्यक्रम

3418. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आजीविका सूचना साहित्य की मुख्य बातें क्या है और आजीविका सेवा में अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण के केन्द्रीय संस्थान आजीविका अध्ययन केन्द्र द्वारा 1970-71 के दौरान बनाए गए आजीविका परामर्शदाता कार्यक्रम के मूल्यांकन और कार्यान्वयन विधियां क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : 1970-71 के दौरान केन्द्रीय रोजगार सेवा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में वृत्ति अध्ययन केन्द्र और रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय में मूल्यांकन और कार्यान्वयन एकक स्थापित करने के लिए प्रारम्भिक कार्यवाही की गई। 1971-72 के दौरान इस कार्य में तेजी आई।

वृत्ति अध्ययन केन्द्र द्वारा उत्पादित वृत्ति सूचना साहित्य की मुख्य-मुख्य बातें तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम के मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन के तकनीक संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

(1) वृत्ति अध्ययन केन्द्र द्वारा उत्पादित वृत्ति साहित्य की मुख्य-मुख्य बातें निम्न-लिखित हैं :—

(क) **वृत्ति सूचना सीरीज** : इन प्रकाशनों में छात्रों को (i) शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर (ii) विशेषज्ञता के विभिन्न विषयों के अनुसार (iii) व्यवसाय ढूंढने वालों की विशेष श्रेणियों के लिए और (iv) विभिन्न व्यावसायिक ग्रुपों के लिए उपलब्ध वृत्ति और रोजगार तथा स्वनियोजन का ब्यौरा दिया जाता है।

(ख) **प्रशिक्षण सुविधाओं सम्बन्धी पुस्तिकाएं** : ये राज्यवार तथा अखिल भारतीय खण्ड हैं, जिनमें सभी संस्थाओं और सयंत्र में प्रशिक्षण सुविधाओं का ब्यौरा दिया जाता है, जो छात्रों को कुछ व्यवसायों के लिए लैस करता है।

(ग) **भारत में रोजगार अवसर संबंधी बुलेटिन** : प्रत्येक वर्ष चार त्रैमासिक और एक वार्षिक बुलेटिन जारी किया जाता है। इनमें ऐसे सभी रिक्त-स्थानों (संघीय लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों, रेलवे सेवा आयोगों द्वारा अधिसूचित रिक्त स्थानों तथा रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम के अधीन अधिसूचित रिक्त स्थानों सहित) का ब्यौरा दिया जाता है जिनके लिए स्नातक और डिप्लोमाधारी हकदार हैं।

(घ) **वृत्ति चुनाव पोस्टर** : इनका उद्देश्य शिक्षा और उम्मीदवारों की विशेष श्रेणियों के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं वृत्ति के बारे में संक्षिप्त सूचना दी जाती है।

2. रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशालय के मूल्यांकन और कार्यान्वयन एकक द्वारा फील्ड यूनिटों अर्थात रोजगार कार्यालयों के व्यावसायिक मार्गदर्शन यूनिटों और विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन केन्द्र में व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम के मूल्यांकन लिए अपनाए गए तकनीक निम्नलिखित हैं :—

(1) रोजगार कार्यालयों तथा विश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन केन्द्र में कार्यक्रम का अनुपालन;

(2) रोजगार कार्यालयों तथा बिश्वविद्यालय रोजगार सूचना और मार्गदर्शन केन्द्र में रखे गए संबंधित अभिलेखों की जांच;

(3) संबंधित अधिकारियों के साथ साक्षात्कार और विचारविमर्श;

(4) राज्यों के साथ अनुवर्ती कार्यवाही, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि मूल्यांकन के बाद की गई सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही है।

फेरो-वैनेडियम का उत्पादन करने के लिये "आशय-पत्र" जारी करना

3419. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फेरो-वैनेडियम का उत्पादन करने के लिए किन पार्टियों को "आशय-पत्र" जारी किये गये हैं; और

(ख) इन 'आशय-पत्र' के द्वारा कितनी क्षमता स्थापित हो गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख). फेरो-वैनेडियम का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित पार्टियों को दो आशय-पत्र जारी किये गये हैं।

(1) 480 टन प्रतिवर्ष की क्षमता के लिए मेसर्स उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम तथा (2) 350 टन प्रतिवर्ष की क्षमता के लिए मेसर्स एस. एन. ढींगरा आफ फेरो-वैनेडियम कारपोरेशन आफ इण्डिया, नई दिल्ली। ये इकाइयां अभी तक स्थापित नहीं हुई है।

'कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स' मिश्रित इस्पात और स्टेनलैस स्टील स्ट्रिप्स के उत्पादन के लिए "आशय-पत्र" जारी करना

3420. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स, मिश्रित इस्पातऔर स्टेनलैस स्टील स्ट्रिप्स के उत्पादन हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र में अतिरिक्त नई क्षमता के लिए 1970-71 के दौरान जारी किये गए आशय-पत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन आशय-पत्रों के द्वारा कितने एकक स्थापित किए गए हैं और उनकी क्षमता क्या है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख). 1970-71 में कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप्स के उत्पादन के लिए केवल एक आशय पत्र जारी किया गया था। यह आशय पत्र मेसर्स आन्ध्रा-स्टील कारपोरेशन लि० कलकत्ता को प्रतिवर्ष 7000 टन कोल्ड रोल्ड नैरो स्ट्रिप्स तथा 3000 टन पेटी पट्टक के निर्माण के लिए हैदराबाद में औद्योगिक उपक्रम लगाने के लिए दिया गया था। 23-11-71 को इसे औद्योगिक लाइसेन्स में बदल दिया गया और इसे इस योजना को कार्यान्बित करने के लिऐ बनाई गई एक नई कम्पनी अर्थात् मेसर्स सदन स्टील लि० कलकत्ता को दे दिया गया। पता चला है कि यह कारखाना स्थापित हो चुका है।

मैसर्स इलैक्ट्रो स्टील कास्टिंग द्वारा वायर राड का उत्पादन

3421. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष रूप से हार्ड कार्बन तथा अन्य बिशेष किस्म का वायर राड के उत्पादन के लिए नये यूनिट स्थापित करने के लिए क्या प्रोत्साहन दिया गया है;

(ख) कितनी क्षमता उत्पन्न की गई है; और

(ग) क्या मेसर्स इलैक्ट्रो स्टील कास्टिंग के प्रतिवर्ष 40,000 टन वायर राड बनाने की क्षमता उत्पन्न कर ली है और यदि हां, अब तक हुए उत्पादन का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) वायर राड के उत्पादन के लिए कोई विशेष सहायता नहीं दी जा रही है, क्योंकि देश में पहले ही इसकी पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है।

(ख) अनुमान है कि देश में साधारण इस्पात तथा हाई कार्बन स्टील वायर राड के उत्पादन की वर्तमान उपलब्ध क्षमता 900,000 टन प्रतिवर्ष है।

(ग) जी नहीं। मेसर्स इलैक्ट्रो-स्टील कास्टिक्स को 40,000 टन तार छड़ का उत्पादन करने के लिए दिये गये आशय-पत्र को अभी कार्यरूप नहीं दिया गया है।

———

Survey of Minerals in mountains of Rajasthan

3422. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether there are mountains in Udaipur and other districts in Rajasthan where there are possibilities of various kinds of minerals being located ; and

(b) if so, whether Government propose to conduct a survey there ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) and (b). The Geological Survey of India have already carried out Geological mapping and survey in the hilly tracts of Udaipur and other Districts of Rajasthan. As a result of this survey, deposits of lead, zinc phosphorite, iron ore, and occurrences of beryl, emerald, mica, steatite, manganese and building materials have already been located in the hilly tracts of Udaipur District. Occurrences of asbestos, baryte, beryl, building materials, emerald, feldspar, flourspar, glass sand, iron ore, Kynite, Kaolin, lead-zinc and copper ores and limestone, mica, pyrite have also been located in hilly tracts of Ajmer, Alwar, Banswara Bhilwara, Bharatpur, Bundi, Chittorgarh, Dungarpur, Swai Madhopur, Sikar, Sirohi and Tonk Districts of Rajasthan. Further Geological Surveys are being conducted in these districts.

———

कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन द्वारा चलाये जा रहे आयुर्वेदिक औषधालय

3423. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन कुछ राज्यों कोयला क्षेत्रों में 30 आयुर्वेदिक औषधालय चला रहा है;

(ख) क्या इन औषधालयों को चलाने में सरकार उनकी सहायता करती है और यदि हां, तो कितनी; और

(ग) क्या सरकार का विचार समूचे देश में कोयला-खान मजदूरों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें देने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन, धनबाद, असम, आंध्रप्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में कोयला खनिकों के लाभ के लिए 29 आयुर्वेदिक औषधालय और एक आयुर्वेदिक फार्मेसी चला रहा है।

(ख) इन आयुर्वेदिक औषधालयों को चलाने का सारा व्यय कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि में से किया जाता है।

(ग) इस समय सभी कोयला-क्षेत्रों में 500 रुपये तक मूल वेतन पाने वाले कोयलाखानों के सभी श्रमिकों और उनके आश्रितों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधायें दी जा रही हैं।

———

Survey of Minerals in Gaya District (Bihar)

3425. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether there are possibilities of various minerals being found in the mountains of Gaya District, Bihar ;

(b) if so, whether Government would conduct any survey in this regard ; and

(c) if so, by what time and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) As a result of geological investigations already carried out by the Geological Survey of India, workable deposits of mica have been located in the hilly tracts of Gaya district, Bihar. Minor occurences of Ochre, tin ore, pitchblende and columbite-tentalite have also been recorded in the area.

(b) and (c). Further work of systematic mapping and mineral investigations in the area is in progress.

———

Utilization of Foreign Aid for Bangla Desh Refugees

3426. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the percentage of the amount spent out of the assistance received from foreign countries for refugees from Bangla Desh ; and

(b) the items on which Government propose to spend the remaining amount ?

THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI R. K. KHADILKAR) : (a) and (b). Against the estimated expenditure of about Rs. 326 crores, on the

refugees from Bangla Desh, the Government of India have so far received only a sum of Rs. 136.77 crores both in cash as well as in kind from the foreign countries, international agencies etc. As the amount received is far below the expenditure, the question of spending the remaining amount on the other items does not arise.

———

Distribution of Coal to Retail Dealers in Delhi

3427. SHRI ISHWAR CHAUDHRY : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the retail dealers of coal in Delhi are not being allotted the quota of coal to the extent of their demand ;

(b) the rules governing fixation of quota of coal to retail dealers ; and

(c) the number of applications from the retail dealers seeking an increase in the quota pending with Government and the reasons for which Government do not take any decision thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) The quota of coal (Soft Coke only) in Delhi is allotted to retail dealers by the Delhi Administration on the basis of their assessed demand only.

(b) The quotas of Soft Coke were fixed by Delhi Administration on the basis of average of actual purchases made by the retail dealers during the period from July-September, 1971.

(c) The quota system was introduced by the Delhi Administration from the middle of November, 1971. From December, 1971 onwards, many applications seeking increase in their allocated quotas were received. With a view to dispose of these applications, a general policy decision was taken by the Delhi Administration to increase the earlier quotas in the following manner :—

(i) Quotas of all retail dealers drawing less than a wagon per month were increased to one wagon each per month ;

(ii) quotas fixed at 1-1/3, 2-1/3 and 3-1/3 wagons were increased to $1\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{2}$ and $3\frac{1}{2}$ wagons per month respectively ; and

(iii) quotas fixed at 1-2/3, 2-2/3 and 3-2/3 wagons were increased to 2, 3 and 4 wagons per month respectively.

———

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा किये गए विज्ञापनों पर व्यय

3428. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा विज्ञापनों पर कुल कितना व्यय किया गया;

(ख) 31 मार्च, 1972 तक कुल कितना पूंजी निवेध हुआ; और

(ग) 31 मार्च, 1972 तक कुल कितनी संचित हानि हुई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) 1971-72 में हिन्दुस्तान स्टील लि० ने विज्ञापन पर कुल 15,90,4000 रुपये खर्च किये ।

(ख) 31 मार्च, 1972 को हिन्दुस्तान स्टील लि० में सरकार की कुल 1,011.07 करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई थी (जिसमें इक्विटी 594.37 करोड़ रुपये है और बकाया पूंजीगत ऋण 416.7 करोड़ रुपये का है) ।

(ग) वर्ष 1971-72 के हिसाब-किताब अभी तैयार किये जा रहे हैं और उनकी लेखा-परीक्षा की जा रही है । अतः 31-3-72 तक कम्पनी को हुई कुल हानि की जानकारी देना अभी संभव नहीं है ।

हड़तालों और तालाबंदियों के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति—दिनों की हानि

3429. **श्री योगेन्द्र झा :**
श्री वाई ईश्वर रेड्डी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हड़तालों और तालाबन्दियों के परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों में वर्ष वार और राज्य-वार कितने प्रति व्यक्ति—दिनों की हानि हुई; और

(ख) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) जैसा आवश्यक होता है, वर्तमान सांविधिक तंत्र और स्वेच्छिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत औद्योगिक संपर्क तंत्र काम बंदियों को घटाने के लिए प्रारम्भिक बातचीत, समझौता और न्याय निर्णय या मध्यस्थता द्वारा प्रयास करना जारी रखता है । सरकार औद्योगिक सम्पर्क पद्धति में सुधार लाने के लिए सम्मत उपाय उद्भूत करने हेतु श्रमिकों और नियोजकों के संगठनों सहित, सम्बन्धित हितों से बातचीत भी कर रही है ।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	हानि हुए श्रम-दिनों की संख्या		
		1969	1970	1971(अ)
1.	आंध्र प्रदेश	5,26,101	6,63,234	3,03,871
2.	असम	63,118	27,948	60,978
3.	बिहार	19,91,831	9,83 480	1,43,544
4.	गुजरात	1,32,816	3,60,199	1,29,502
5.	हरियाणा	2,72,228	1,42,709	85,433
6.	जम्मू और कश्मीर	1,149	28,161	234
7.	केरल	16,27,919	6,85,054	20,15,482
8.	मध्य प्रदेश	6,85,821	3,51,063	1,95,170
9.	महाराष्ट्र	12,72,455	23,63,751	17,94,782
10.	मैसूर	7,64,714	4,42,809	6,62,072
11.	उड़ीसा	39,867	1,54,431	25,927
12.	पंजाब	99,992	1,37,704	1,58,202
13.	राजस्थान	1,35,976	1,75,337	1,17,603
14.	तमिल नाडू	7,36,668	18,21,137	13,02,438
15.	उत्तर प्रदेश	4,26,900	6,31,551	5,18,651
16.	पश्चिम बंगाल	98,80,856	1,11,58,031	50,54,644
17.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	399	7,406	3,429
18.	चण्डीगढ़	—	38,960	495
19.	दिल्ली	2,69,022	2,05,628	1,34,646
20.	गोवा	50,930	22,066	4,923
21.	हिमाचल प्रदेश	32,000	40,258	उपलब्ध नहीं
22.	मणिपुर	—	—	—
23.	पाण्डिचेरी	6,221	64,265	—
24.	त्रिपुरा	31,305	53,199	38,218

'अ'—अनन्तिम

खोतड़ी तांबा परियोजना के लिए ब्रिटिश सहायता

3430. **श्री पी. वेंकटासुब्बया** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन ने खोतड़ी तांबा परियोजना की सहायतार्थ लगभग 830,000 पौंड स्टर्लिंग का नियतन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सहायता को किस रूप में उपयोग में लाने का विचार है; और

(ग) उक्त परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई हैं और यदि कोई बिलम्ब हुआ है तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, हां। ब्रिटिश सरकार द्वारा खोतड़ी तांबा प्रायोजना के लिए ऋण के रूप में 1.5 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

(ख) 1.5 करोड़ रुपयों में से लगभग 56 लाख रुपयों की राशि को, खोतड़ी में स्थापित की जाने वाली परिकरणशाला के कैथोड़े पिघलाने और तार छड़ ढलाई अनुभाग के लिए, जिसके आदेश ब्रिटेन की एक फर्म को दिए गए हैं, निर्धारित किया गया है। अतिशेष राशि को प्रायोजना की खानों और संयंत्रों के लिए प्रकीर्ण उपकरण के आयात के लिये प्रयुक्त किया जा रहा है।

(ग) अपेक्षित जानकारी को दर्शित करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

प्रायोजन द्वारा अभी तक की गई प्रगति

(i) **खानन** : खोतड़ी और कोलिहान दोनों खानों में कुछ उच्च स्तरों पर खान विकास कार्य सम्पूरित किया गया है। खान के माध्यमिक स्तरों का विकास कार्य किया जा रहा है। तार अयस्क का उत्पादन सीमित मापमान पर (लगभग 1000 टन प्रतिदिन) दो खानों में इस समय अभिप्राप्त किया जा रहा है। 1973 से 3600 टन प्रतिदिन की दर से नियमित उत्पादन प्रारम्भ हो जाएगा और 1977 से धीरे-धीरे इसे लगभग 10,000 टन प्रतिदिन तक बर्धित किया जाएगा।

(ii) **प्रतिक्रिया संयंत्र** :

(क) **संकेन्द्रक** : संयंत्र के लिए 98% सिविल सन्निर्माण कार्य सम्पूरित हो गया है। परिनिर्माण का कार्य और इस्पात सरंचना और प्रक्रिया उपकरण प्रगति पर है। संकेन्द्रक संयंत्र के मार्च 1973 तक पूर्णतः चालू हो जाने की संभावना है।

(ख) **प्रद्रावक** : 35% सिविल सन्निर्माण कार्य सम्पूरित हो गया है। संयंत्र के लिए अपेक्षित अधिकांश उपकरण के आदेश पहले ही दिए गये हैं। प्रद्रावक संयंत्र के दिसम्बर, 1973 तक चालू हो जाने की सम्भावना है।

(ग) **परिकरणशाला** : परिकरणशाला के इलैक्ट्रोलाइटिक कक्ष अनुभाग के लिए 60% सिविल सन्निर्माण कार्य सम्पूरित हो चुका है। उपकरणों को उप्पात करने का कार्य प्रगति पर है। संयंत्र की रूप रेखा के रूपांकन और कैथोडे पिघलाने और तार छड़ ढलाई अनुभाग का कार्य भी किया जा रहा है। परिकरणशाला को दिसम्दर, 1973 तक चालू किया जाएगा।

(घ) **अग्ल-सह-उर्वरक संयंत्र** : संयंत्र के लिए सिविल सन्निर्माण कार्य हाल ही में किया गया है। संयंत्र के लिए अपेक्षित 25% उपकरण के लिए आदेश दिए गए हैं। संयंत्र के फरवरी, 1974 तक चालू हो जाने की सम्भावना है।

प्रायोजना के सम्पूर्ण में हुई देरी के कारण

1968 में तैयार की गई समय सारणी के अनुसार, खेतड़ी तांबा प्रायोजना को 1971-72 में सम्पूरित हो जाना था। तथापि, प्रायोजना के कार्यान्वयन की प्रगति प्रारम्भ में मंद रही और 1970 में एक पुनरीक्षित समय सारणी तैयार की गई जिस के अनुसार प्रायोजना 1973-74 के अन्तिम तिमाही तक चालू हो जाएगी।

धातु लौह खानन और धातुकर्मीय क्षेत्र में प्रशिक्षित और अनुभवी तकनीकी कर्मिकों की कमी के कारण मुख्यत: प्रायोजना के कार्य में देरी हुई। प्रायोजना के लिए अपेक्षित उपकरण और संयंत्र के कतिपय विशिष्ट मदों के डिजायन, विनिदेशों इत्यादि को अन्तिम रूप देने में हुई देरी, उपकरण के स्वदेशी स्तर पर उपाप्त करने में हुई देरी और संकेन्द्रक संयंत्र के लिए सिविल सन्निर्माण कार्य के सम्पूर्ण में मन्द प्रगति ने भी प्रायोजना के सम्पूरण के विलम्ब में योगदान दिया।

इनमें से अधिकांश समस्याओं को अब हल किया जा चुका है। पुनरीक्षित सारणी के अनुसार प्रायोजना के सम्पूरण को सुनिश्चित करने के लिए यथा सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

———

तामिलनाडु में इल्मेनाइट और गार्नेट सेन्ड के निक्षेप

3431. **श्री एस. ए. मुह्मानन्तम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु के तिरुचेन्दुर समुद्र तटीय क्षेत्र में इल्मेनाइट और गार्नेट सेण्ड के निक्षेपों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो पाये गये निक्षेपों की किस्म क्या है तथा ये कितनी मात्रा में हैं; और

(ग) क्या निक्षेपों का वाणिज्य आधार पर दोहन करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख). परमाणु खनिज प्रमाण द्वारा 1964-65 और 1968-69 के दौरान किए गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप, तमिलनाडु के तिरुचेन्दुर के तटवर्ती क्षेत्र में पुचीकाडु और नालुमावाड़ी के नजदीक कुछ रेतों और टेरी मिट्टियों में इलमेनाइट और गारनेट के अंश पाए गए हैं। रेतों में इलमेनाइट की प्रतिशतता 4.9 से 8.2 के बीच है और इस खनिज की कुल उपलभ्य राशियां 46,16,458 टन अनुमानित की गई है। गारनेट 0.005 प्रतिशत की औसत से बहुत ही निम्न संकेन्द्रय में विद्यमान है। क्षेत्र में गारनेट की कुल उपलभ्य राशियां 2724 टन प्रावकलित की गई है। तामिलनाडु सरकार ने भी इस क्षेत्र में अन्वेषण किए हैं। उनके कार्य के विस्तृत ब्यौरे अभी तक केन्द्रीय सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) चूंकि मानावलग्कुरीचि (तामिलनाडु) और चावारा (केरल) के समृद्ध भारी खनिज रेतों का इस समय वाणिज्य समुपयोजन हो रहा है अतः तिरुचेन्दुर के तटवर्ती क्षेत्रों के रेतों और टेरी मिट्टियों का खनन और उपयोगीकरण अभी नहीं किया गया है।

———

Work in Hindi in Indian Embassies

3432. SHRI SUDHAKAR PANDEY : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS pleased to state :

(a) the names of Indian Embassies located abroad where work is being done in Hindi indicating the extent thereof ;

(b) whether many countries are interested in Hindi ; and

(c) if so, the nature of assistance given to the Indian Embassies in those countries for development of Hindi ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) All Indian Missions/Posts abroad are equipped to deal with Hindi-speaking visitors. Most of them are also in a position to deal with relatively simple correspondence in Hindi. 12 Missions (those at Gangtok, the Hague, Kathmandu, London, Mauritius, Moscow, New York, Peking, Suva, Tokyo, Trinidad and Santiago) have been supplied with Hindi type-writers and carry on a part of their correspondence in Hindi.

(b) Generally speaking, it is the persons of Indian origin living abroad who have evinced the greatest interest in Hindi. The persons not belonging to this category who are keen to learn Hindi are comparatively few,

(c) Hindi books are supplied to all the libraries maintained by our Missions or Posts abroad ; some Embassies also arrange for the holding of Hindi classes for the local people ; the Indian Council for Cultural Relations sends out Hindi men of letter, scholars and lecturers.

थाइलैण्ड के साथ सम्बन्ध

3433. **श्री एस. सी. सामन्त** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रपति की हाल की थाईलैण्ड की यात्रा के परिणामस्वरूप भारत और थाईलैण्ड के बीच मैत्री-सम्बन्धों में कितना सुधार हुआ हैं;

(ख) क्या थाईलैण्ड के सम्राट को भारत यात्रा के लिए कोई निमन्त्रण दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सम्राट की यह यात्रा कब तक होगी ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपालसिंह) : (क) राष्ट्रपति की थाईलैण्ड-यात्रा के समय दोनों देशों के प्रतिनिधिमण्डलों के बीच, सामान्य हित के मामलों पर बातचीत करने का अवसर मिला। इस बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच संभव आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र दृष्टिगोचर हुए।

(ख) और (ग). राष्ट्रपति ने थाईलैण्ड के नरेश को भारत आने का निमंत्रण दिया। इस यात्रा की तारीख अभी निश्चित नहीं की गई है।

अविभाजित पंजाब और हिमाचल प्रदेश के निवासियों की दुकानों के बारे में भारत के कस्टोडियन जनरल के पास पड़े अनिर्णीत मामले

3434. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के कस्टोडियन जनरल, नई दिल्ली के पास 1964 से लेकर अब तक अविभाजित पंजाब और हिमाचल प्रदेश के निवासियों की दुकानों के, जो कि उनके द्वारा 1947 से पूर्व खरीदी गई भूमि पर बनाई गई थीं और जिस भूमि को बाद में गलती से निष्क्रांत सम्पत्ति घोषित कर दिया गया था और कस्टोडियन कार्यालय द्वारा जिसकी नीलामी का आदेश दे दिया गया था, कितने मामले अनिर्णित पड़े है;

(ख) जांच के बाद दुकानों को उनके उचित मालिकों को देने सम्बन्धी 1970 के निष्क्रांत सम्पत्ति के कस्टोडियन जनरल के आदेशों के अनुसरण में निष्क्रान्त सम्पत्ति के प्रादेशिक कस्टोडियनों

द्वारा अभी कितने मामलों की जांच करनी शेष है और क्या उक्त भूमि पर बनाई गई कोई दुकान उसके मालिक को दी जा चुकी है, और यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी हैं; और

(ग) कितने मामलों में मालिकों ने मामलों को निपटाने में विलम्ब करने के बारे में प्रधान मंत्री को अपील की है और ऐसी अपीलों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) और (ख). इस प्रकार का कोई मामला कस्टोडियन जनरल, नई दिल्ली के पास लम्बित नहीं पड़ा है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में स्थित उन निष्क्रांत सम्पत्तियों और कृषि भूमियों से संबंधित रिकार्ड, जिनका अभी निपटान होना बाकी हैं इन राज्य सरकारों के साथ की गई वित्तीय तथा प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसरण में संबंधित राज्य सरकारों को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। इस प्रकार के मामलों का निपटान करने के लिए राज्य सरकारों के अधिकारियों को निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 के अंतर्गत आवश्यक शक्तियां प्रदान कर दी गई है। इन राज्यों में निष्क्रांत सम्पत्ति के अभिरक्षकों (कस्टोडियन्स) से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

(ग) निष्क्रांत सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम में की गई व्यवस्था के अधीन केन्द्रीय सरकार के पास कोई अपील नहीं की जाती। उक्त अधिनियम की धारा 54 के अधीन केन्द्रीय सरकार पर्यवेक्षण सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग करती है। जहां तक उन मामलों का सम्बन्ध है जिनमें मालिकों ने निपटाने में होने वाले विलम्ब के विरुद्ध अध्यावेदन दिए है, जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

———

उड़ीसा में लोह अयस्क खनन उद्योगों के लिए केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति

3435. **श्री डी. के. पंडा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में विशेषकर बारबील क्षेत्र में, लौह अयस्क खनन उद्धोगों के बारे में केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशें लागू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और इन्हें शीघ्रता से कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) बारबिल क्षेत्र में 11 खानों में और सुन्दरगढ़ क्षेत्र में 2 खानों में, सिफारिशों को पूर्णतः कार्यान्वित किया जा चुका है।

(ख) पहली जनवरी, 1967 से ।

(ग) बारबिल और राज्य के अन्य क्षेत्रों की शेष खानों में, प्रोत्साहन और सलाह द्वारा कार्यान्वित को सुनिश्चित करवाने के प्रयास जारी हैं ।

———

भिलाई इस्पात कारखाने की प्लेट मिल के लिये डिजाइनों का आयात

3436. **श्री बरके जाजं** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार कार्यक्रम हेतु वहां पर लगाई जाने वाली प्लेट मिल के लिये डिजाइन रेखा चित्रों और निर्माण शाप रेखाचित्रों का आयात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) उनकी अनुमानित लागत क्या है और सेंट्रल इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्यूरो इस कार्य के लिये कितनी धन-राशि लेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) आजकल केन्द्रीय इंजीनियरी और रूपांकन ब्यूरो, भारी इंजीनियरी निगम और सोवियत विशेषज्ञों का एक दल संयुक्त रूप से इस बात का पता लगा रहे हैं कि भिलाई इस्पात कारखाने के विस्तार कार्यक्रम के लिए रूपांकन कार्य किस सीमा तक भारत में केन्द्रीय इंजीनियरी औ रूपांकन ब्यूरो तथा भारी इंजीनियरी निगम द्वारा किया जायेगा । संयुक्त रूप से यह अध्ययन पूरा हो जाने के पश्चात ही भिलाई में लगाई जाने वाली प्लेट मिल के लिए रूपांकन तथा निर्माण के नक्शों के आयात करने के बारे में विचार करना संभव हो सकेगा ।

(ख) अभी तक इसका हिसाब नहीं लगाया गया है ।

Filing up of Posts in Drilling Department of Khetri Copper Project

3437. SHRI SHIVNATH SINGH : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to stase :

(a) whether 95 candidates were selected for the various posts in the Drilling Department of Khetri Copper Project some months back but none of them has been appointed so far ;

(b) whether the Management of the said Project informed the Employment Exchange, Jhunjhunoo about the selection of the said candidates against the posts in the Drilling Department of the Project ;

(c) whether after receiving the information the Employment Exchange, Jhunjhunoo struck off, the registration of the said candidates, as a result of which these candidates can neither go to the Employment Exchange nor have they been appointed in the Khetri project ; and

(d) if so, the reasons therefor and the authorities responsible for this policy ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) In May 1971, 95 candidates sponsored by the Employment Exchange, Jhunjhunu, were selected for inclusion in a panel for appointment to the posts of Drillmen at the Khetri Copper Project against future vacancies. However, none of these candidates could be offered an appointment in the Project.

(b) The Employment Exchange, Jhunjhunu, was informed that these candidates have been kept on panel and were to be considered against the future vacancies in the cadre.

(c) It is understood that on receipt of information regarding empanelment from the Khetri Copper Project, the Employment Exchange, Jhunjhunu struck off the registration of these candidates. However, in February, 1972, when Hindustan Copper Ltd. completed a comprehensive study of their drilling requirements, it was possible to effect a considerable reduction in the quantum of diamond drilling to be undertaken by Hindustan Copper Ltd. and hence these candidates could not be offered appointment as drillmen. The Company advised the Employment Exchange accordingly and requested that these candidates may be sponsored for alternate jobs.

(d) The entire ore reserve estimation and mining programme of Khetri and Kolihan mines were reviewed in July-August, 1971 by U. N. D. P. expert whose evaluation contributed to a substantial increase in the ore reserves. As a result of this review, the diamond drilling requirements of Khetri and Kolihan were further assessed by the U. N. D. P. expert and it was possible to effect considerable reduction in the quantum of diamond drilling. Hence it was not considered necessary to recruit additional drillmen. However, the Company, conscious of the hardship which might have been caused to these candidates, requested the Employment Exchange to sponsor their names against future recruitment in other categories in the project.

———

Selection of Miners in Khetri Copper Project

3438. SHRI SHIVNATH SINGH : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether some labourers, whose land was acquired, were selected and imparted training for the post of Miners in Khetri Copper Project but other labourers were appointed while filling up the posts ;

(b) whether the Project authorities have framed rules for providing employment to the persons, whose lands are acquired in the interest of the Project and if so, the reasons for violating the said rules ; and

(c) the action being taken against the persons responsible for the violation of the rules ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) Some labourers, whose land was acquired, were selected and imparted training for the post of miners in Khetri Copper Project. As on date, persons whose lands have been acquired and who have completed training for the post of miners, have been issued letters of appointment.

(b) As per the Government instructions, the Project authorities have framed rules to give perference during appointments, to persons whose lands are acquired for the project. This policy is being complied with.

(c) Does not arise as the instructions are being complied with.

Report of Study Group on Khetri Copper Project

3439. SHRI SHIVNATH SINGH : Will the Minister of STEEL AND MIENS be pleased to state :

(a) whether the Study Group appointed by Government on the Khetri Copper Project has submitted its report to Government ;

(b) if so, whether the said report would be laid on the Table of the House ; and

(c) the steps taken to implement the suggestions made by the study Group for removing technical defects ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) to (c). No such Study Group was appointed by the Government on Khetri Copper Project. However, the Committee on Science and Technology (COST) in the Cabinet Sectt. had set up a Working Group on Non-Ferrous Metals and Minerals. A sub-Committee was constituted as a result of the interim report of this Group, to study the specific issues raised about the Copper Projects in the country. The Working Group and the Sub-committee submitted their reports in July, 1971 to COST, which have been considered by them. Final recommendations are now under considerations of this Ministry, in consultation with Hindustan Copper Limited. The question of laying these reports on the Table of the House does not arise at this stage.

Distribution of Publicity Material by Chinese Embassy in New Delhi

3440. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the officials of the Chinese Embassy in New Delhi had distributed some publicity material to some Indian journalists and intellectuals in December, 1971 containing a charge that India and Russia were to blame for the Indo Pak war ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action taken in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) Yes, Sir. The Government is aware that the Chinese Embassy in New Delhi had distributed such news bulletins in December, 1971.

(b) The facts about Pakistani invasion of India are too well-known to need reiteration. The war was imposed on India by Pakistan by the latter's premeditated attack on 3rd December, 1971. Whatever view the Chinese Government choose to take in disregard of these patent facts, is their concern.

Government has made the position clear in statements in the U. N. and in Parliament and the facts are well understood by the international community.

तामिलनाडु में जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक का कम होना

3441. **श्री के. बालदन्डायुतम:** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तामिलनाडु के फरवरी, 1972 के जीवन निर्वाह सूचकांक तेजी से 38 अंक तक गिर गये थे जबकि आवश्यक वस्तुओं के वास्तविक मूल्यों में वृद्धि हुई थी जिसके परिणामस्वरूप मंहगाई भत्ते में भारी कमी कर दी गई थी और इससे राज्य में औद्योगिक अशान्ति हो गई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक तैयार करने के बारे में जांच करेगी ताकि जनता में व्याप्त आशंका कि इसमें कुछ गड़गड़ी की गई है, को दूर किया जा सके ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री आर. के. खाडिलकर) : (क) और (ख). मद्रास नगर के लिए फरवरी, 1972 हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 1935-36—100 आधार में बदलने पर, जनवरी, 1972 हेतु सूचकांक की तुलना में 38 अंक गिर गया था। किन्तु यह कहना उचित नहीं है कि सूचकांक तब भी गिरा था जबकि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही थी। वस्तुतः, फरवरी, 1972 में बहुत सी वस्तुओं, मुख्यतः खाद्य वर्ग की वस्तुओं के मूल्य में कमी हुई थी। उदाहरण स्वरूप, चावल के औसत बाजारी मूल्य में प्रति किलोग्राम 1.40 रुपये से 1.23 रुपये तक कमी हुई। अतः विषय में कोई छानबीन करने का प्रश्न नहीं उठता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling attention to a matter of urgent Public importance

भारत में पाकिस्तानी रजाकारों के घुस आने का समाचार

श्री आर० वी० बड़े (खरगोन) : यह विवरण अभी-अभी परिचालित किया गया है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इसको पढ़ना भी मुश्किल है।

अध्यक्ष महोदय : ये प्रस्ताव केवल एक दिन पहले अध्यक्ष के पास पहुंचते हैं। फिर उनकी स्वीकृति दी जाती है और लगभग पौने ग्यारह बजे सम्बन्धित मंत्रालय को भेजे जाते हैं। अतः समय बहुत कम होता है। जानकारी एकत्र करने में भी कभी-कभी अधिक समय लग जाता है। फिर भी मैं कहता रहा हूं कि यह वक्तव्य माननीय सदस्यों को आधा घण्टा पहले मिल जाये।

श्री एस. एम. बनर्जी : आपको यह प्रस्ताव कल मिला था। इसका बैलट 1 बजे हुआ था और इसकी जानकारी माननीय सदस्यों को 3 बजे मिल गई थी। अतः यह बात सही नहीं है कि इस प्रस्ताव को सम्बन्धित मंत्रालय को पौने ग्यारह बजे भेजा गया था।

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : राज्यों से सम्बन्धित मामलों के बारे में हमें राज्यों से जानकारी प्राप्त करनी होती है। कभी-कभी उनसे स्पष्टीकरण भी मांगना पड़ता है, यदि इस वक्तव्य की छपाई ठीक नहीं है तो मैं इसे पढ़ देती हूं।

SHRI R. V. BADE : Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

"Reported infiltration of more than two thousand armed Pakistani Razakars into Bihar, Bengal and Assam."

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सरकार का ध्यान 18 अप्रैल, 1972 को समाचार-पत्रों में छपी रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है कि बिहार में 1806 सशस्त्र रजाकारों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार सरकार से पूछताछ की गई थी उन्होंने बतलाया है कि खबर सही नहीं है। बिहार सरकार ने यह भी सूचित किया है कि सन्थाल परगना, राजमहल पुलिस स्टेशन के प्यारेपुर दायरा क्षेत्र में 29 मार्च को 18 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। इसी क्षेत्र में 19 और 20 मार्च के बीच की रात को बंगला देश के छः गैर-बंगाली मुसलमान भी पहले गिरफ्तार किये गये थे। 29 तारीख को गिरफ्तार 18 व्यक्तियों में से केवल नौ बंगला देश के थे। गिरफ्तार व्यक्तियों में से एक के रजाकार होने का सन्देह है। इस प्रकार मार्च के उत्तरार्ध में वैध दस्तावेज न होने के कारण बंगला देश के केवल 15 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। उनसे कोई हथियार और गोला-बारूद बरामद नहीं हुआ। हाल के सप्ताहों में सीमावर्ती राज्यों में से किसी में बंगला देश से रजाकारों की किसी घुसपैठ की भी कोई सूचना नहीं मिली है। हमारे सीमावर्ती अधिकारी पूरी तरह सजग हैं और सीमा पार से व्यक्तियों के अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाये गये हैं। बिहार सरकार ने यह भी सूचित किया है कि 29 मार्च को गिरफ्तार किये गये नौ भारतीय नागरिकों के अतिरिक्त वैध यात्रा दस्तावेज के बिना विदेशी नागरिकों को अवैध शरण देने के लिए 19 तारीख की रात को तीन अन्य भारतीय नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया था।

SHRI R. V. BADE : It has been reported in **'Pradeep'** published from Patna that 1800 Razakars have been arrested in Santhal Pargana The Minister of State of Bihar has also told the Press correspondents that as a result of joint efforts made by the police and military, 1806 Razakars equipped with lethal weapons have been arrested who had infilterated through Bangla Desh. He has also stated that the persons giving shelter to these Razakars will be severely punished. They are inciting the activities of Naxalits. Similar news have been published in other newspapers also. These Razakars have come through Dinajpur in Bangla Desh. The border of 112 Kilometres along Dinajpur is lying unguarded. It is understood that Bihari Muslims are stall entering India. Certain unsocial elements are also there. I wanted to know as to why the reply given by the hon'ble Minister and the one given by Shri Ramesh Jha, the Minister of State in Bihar are different. My second question is as to when 1500 Pakistanis arrested in Gujarat will be repartriated ?

SHRI K. C. PANT : My reply is based on the reply received from Bihar Government. They have stated that it is not correct that 1806 Razakars have infiltrated. They say that once 18 persons were arrested and then another 9 persons were arrested. There were 9 Indians among the arrested persons. They had given shelter to them but had not informed the Goverment.

SHRI R. V. BADE : I wanted to know whether our border along Dinajapur is well protected. The people of Dinajpur say that there is no proper protection there.

SHRI K. C. PANT : It is just possible that the figure of 1806 might have been formed from 18 and 6 persons arrested in Bihar in two groups, seperately. The report published in Hindi daily **'Aryvarat'** also says that 18 armed razakars have been arrested in Rajmahal Sarai. In so far as the question of security arrangements is concerned, I had told in reply to a short notice question that Border Security Force have been asked to be more vigilant. I have visited this area recently and impressed upon the police and Border Security Force to be more vigilant.

श्री आर. के. सिंह (फैज़ाबाद) : मैं समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बंगला देश सरकार द्वारा एकत्र किये गये दस्तावेजों से पता चला है कि पाकिस्तानी प्रशासन ने बंगला देश में 1,00,000 रज़ाकार प्रशिक्षित किये थे। भारत में गत चुनावों में भी बिहारी मुसलमानों के मामले को उठाया जाता रहा है। सरकार को इस प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय षडयन्त्र से सावधान रहना चाहिये। 'ला इन्स्टीच्यूट' में भाषण देते हुए प्रो. ग्रीन ने कहा था कि हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि नये देश में बिहारी मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने इसी प्रकार की और भी कुछ आपतिजनक बातें कही थीं। कुछ लोग बंगला देश और भारत के सम्बधों को बिगाड़ना चाहते हैं। इस लिये मंत्री महोदय को अधिक सतर्क रहना चाहिये।

श्री एस. एम. बनर्जी : क्या उस बैठक की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधिपति कर रहे थे।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हम सीमा पर सतर्क हैं परन्तु सभा को रज़ाकारों और तथा कथित बंगाली मुसलमानों में अन्तर समझना चाहिये। रज़ाकार बंगाली भी हो सकते हैं और गैर-बंबाली भी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधिपति को उस बैठक की अध्यक्षता करने की अनुमति क्यों दी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुख्य न्यायाधिपति को इस बात की जानकारी नहीं होगी अन्यथा वह उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करते।

श्री एस. एम. बनर्जी : इस बैठक के अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधिपति थे।

अध्यक्ष महोदय : आप इस चर्चा में मुख्य न्यायाधिपति का नाम क्यों घसीट रहे हैं। 'ला इन्सीटीच्यूट ने उन्हें भाषण देने के लिये आमंत्रित किया था। इसमें उनका क्या दोष है। हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिये।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मुख्य न्यायाधिपति 'ला इन्स्टीच्यूट' के पदेन चेयरमैन हैं और वह संयोगबश वहां उपस्थित थे।

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : We should keep close watch on the foreigners who speak against Bangla Desh. We should not bring in the Chief Justice.

श्री एस. एम. बनर्जी : आप कई बैठकों के सभापति बनते हैं। यदि कोई विदेशी वियतनाम अथवा बंगला देश के बारे में भारत सरकार की नीतियों के विरुद्ध बात करे तो क्या आपका यह कर्तव्य नहीं होगा कि आप ऐसी गलतफहमी को दूर करें ? मुख्य न्यायाधिपति ने ऐसा नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की संस्थाएं सभी प्रकार के विचारों वाले विद्वानों को आमंत्रित करती हैं। कुछ वक्ता ऐसे विचार व्यक्त करते हैं जो अस्वीकार्य होते हैं परन्तु दूसरी बार कोई और वक्ता उनका खंडन कर देता है। इन बातों को चर्चा में नहीं लाया जाना चाहिए।

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK (Rohtak) : The question of infiltration has been in the news for a pretty long time. May I know whether attention of the hon'ble Minister was drawn to the infiltration taking place in Assam, Bengal, Gujarat and Bihar through press cuttings and whether he had made any enquiries from these States ? I would also like to know whether any foreign pressure is being exercised on India to take back Bihari Muslims ?

SHRI K. C. PANT : The Government is quite vigilant about it that no unauthorised person infiltrates in our territory. The Home Ministry is aware of the news published in the newspapers from time to time and we have our own agencies as well.

It would be wrong to suggest that any country is exercising pressure on us. This charge is baseless. The Razakars have been infiltrating into India even before the war, during the war and after the surrender that took place in Bangla Desh. But they have been arrested.

श्री डी. के. पंडा (भंजनगर) : सभी गैर बंगाली मुसलमानों को रजाकार बनाना उचित नहीं होगा। अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा प्रायोजित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक संगठन और उनकी एजेंसियां प्रचार कर रही हैं कि बंगला देश में गैर-बंगाली मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और उन्हें बंगला देश छोड़ने पर विवश किया जा रहा है। क्या सरकार ने इस बात की ओर बंगला देश सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और क्या इस सम्बन्ध में कोई और कार्यवाही की गई है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : बंगला देश सरकार ने इस प्रकार का कई बार खण्डन किया है कि बंगला देश सरकार गैर-बंगाली मुस्लमानों को परेशान कर रही है। बंगला देश के प्रधान मंत्री ने

कई बार इस आशय के वक्तव्य दिये हैं कि उनकी शासन व्ययवस्था में प्रत्येक नागरिक के साथ एक जैसा व्यवहार किया जायेगा। अतः इसमें बंगला देश सरकार का ध्यान आकर्षित करने वाली कोई बात नहीं है। बंगला देश में रहने वाले सभी लोगों को इसी भावना से कार्य करना चाहिये।

श्री डी. के. पंडा : इस बात का कैसे पता लगाया जायेगा कि अमुक व्यक्ति रज़ाकार है अथवा निर्दोष गैर-बंगाली मुसलमान है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जो व्यक्ति वैध यात्रा पत्रों के बिना हमारे देश में दाखिल होता है, उसे गिरफ़्तार कर लिया जाता है। इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

SHRI SHASHI BHUSHAN (South Delhi) : I want to know the agency which is responsible for the propaganda that Bihari Muslims living in Bangla Desh are being harassed ? It has already been stated by the Foreign Minister of that country that these people are leading a peaceful life there. It is being proporgated that Razakars are infiltrating into India. May I know as to what is the difference between Hindu Razakars and Muslim Razakars ? Hindu Razakars are creating an atmosphere of fear and I want to know the steps being taken to counter such propaganda ?

SHRI K. C. PANT : I agree with the hon'ble Member that while making statements we should be careful that an atmosphere of fear is not created. If the news are exaggerated the atmosphere will be spoiled.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : The hon'ble Minister should contradict as and when such news are published.

लोक-लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

36वां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुटबाकोणम) : मैं नौवहन और परिवहन मंत्रालय के संबंध में विनियोग लेखे (सिविल) 1969-70 और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1969-70 के प्रतिवेदन, केन्द्रीय सरकार (सिविल) और लेखापरीक्षक प्रतिवेदन (सिविल) 1970, के बारे में लोक लेखा समिति का 36वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अनुदानों की मांगें 1972-73
Demands for Grants 1972-73

गृह मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा की जायेगी। जो सदस्य कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं वे अपने कटौती प्रस्तावों पर्चिया 15 मिनट के भीतर सभा-पटल पर भेज दें।

गृह मंत्रालय की वर्ष 1972-73 को अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
37	गृह मंत्रालय	1,39,76,000
38	मंत्रि-मण्डल	70,60,000
39	कार्मिक विभाग	3,84,61,000
40	पुलिस	92,36,38,000
41	जनगणना	3,37,78,000
42	सांख्यिकी	4,34,77,000
43	प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें	1,89,96,000
44	गृह मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	11,93,55,000
45	दिल्ली	58,89,85,000
46	चण्डीगढ़	7,06,01,000
47	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10,10,32,000
48	अरूणांचल प्रदेश	13,51,11,000
49	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र	76,03,000
50	लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह	2,06,69,000
51	मीज़ोरम	54,14,000
118	संघीय राज्य क्षेत्रों का पूंजी परिव्यय	22,72,60,000
119	गृह मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	2,10,42,000

श्री ज्योतिमर्य बसु (डायमंड हाबर) : मैं अपने वे सभी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं जिनकी सूचना मैंने दे रखी है। गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के लिये आज का दिन बहुत ही उपयुक्त है क्योंकि केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस अधिनियम को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शक्ति-बाह्य घोषित कर दिया है और यह निर्णय दिया है कि संघीय विधान मंडल को ऐसा विधान पास करने का अधिकार नहीं है। न्यायाधीश ने केन्द्रीय सरकार की ओर से दिया गया संवर्ती सूची सम्बन्धी तर्क भी स्वीकार नहीं किया। अतः जब तक यह निर्णय बदला नहीं जाता

है तब तक केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस या किसी अन्य केन्द्रीय पुलिस अथवा गुप्तचर विभाग के लिए, जो किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए नहीं है 32 करोड़ रुपये की राशि मंजूर करना संसद के क्षेत्राधिकार से परे है। केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस के मध्यम से शासक दल राज्यों में अत्याचार कराता है। इंडियन सिविल सर्विस और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारीगण केन्द्रीय सरकार की एक अन्य ऐसी मशीनरी है जिसके माध्यम से वह राज्यों में अपनी नीतियां क्रियान्वित कराती है और राज्यों को अपने नियंत्रण में रखती है। इन अधिकारियों पर राज्य सरकारों का नियंत्रण नहीं होता। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों में उनकी पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था के समानान्तर अपनी केन्द्रीय पुलिस और गुप्तचर-व्यवस्था स्थापित कर रखी है। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है उनमें केन्द्रीय सरकार की यह व्यवस्था और भी दृढ है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि केन्द्र के हाथों में राज्य कठपुतली बने हुए हैं। राज्यों में राज्यपाल-भारतीय प्रशासनिक सेवा और इन्डियन सिविल सर्विस तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस के अधिकारी गृह मंत्रालय के ऐजेंटों के रूप में कार्य करते हैं। और अब तो मुख्य मंत्रियो का चयन भी प्रधान मंत्री द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के कार्यलय स्थान-स्थान पर खुले हैं जो राजनीतिक गतिविधियों और टेलीफोनों के बारे में जासूसी करते हैं। पश्चिम बंगाल के उप मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु के टेलीफोन केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा चोरी से सुने जाते थे। मंत्रि-मंडलीय सचिवालय में अनुसंधान एंव बिश्लेषण नामक एक विंग है जो जासूसी करता है और इसे अमरीकी गुप्तचर विभाग का भारतीय संस्करण कहा जा सकता है। इस यूनिट से सम्बन्धि ब्यौरा हमें प्राप्त होना चाहिए।

यदि हम केन्द्रीय पुलिस के लिए बजट में नियत राशि का अध्ययन करे तो हमें पता चलेगा कि वर्ष 1950-51 में यह राशि 3 करोड़ रुपये थीं और 1971-72 में बढ़कर यह 114.57 करोड़ रुपये हो गई। इससे स्पष्ट होता है कि हमारा देश लोकतंत्र की राह छोड़कर पुलिस राज की ओर बढ़ रहा है। अनुदान संख्या 44 'अन्य राजस्व व्यय' के अन्तर्गत 8,32,61,000 रुपये की राशि रखी गई। यह राशि भी दूसरे शब्दों में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग के लिए ही है। इसी प्रकार 'स्व-विवेकाधीन खर्चे' शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 1970-71 में 6,06,68,000 रुपये की राशि रखी गई थी किन्तु वर्ष 1972-73 में यह बढ़कर 13,88,00 000 रुपये कर दी गई है। केन्द्रीय पुलिस पर लगभग 130 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाती है जबकि राज्यों की पुलिस पर लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च किये जाते हैं। अकेले पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय पुलिस पर 1970-71 में 17,48,06,000 रुपये की राशि खर्च की गई और 1971-72 में यह बढ़कर 28 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष 1965 से 1967 के बीच भी केन्द्रीय सरकार ने एक जाल फैलाया था ताकि पूर्वी भारत, विशेषकर पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों को सत्ता में अलग रखा जा सके। केन्द्रीय गुप्तचर विभाग ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों को एक पत्र भेजा था कि पश्चिम बंगाल में होने वाली हत्याओं में साम्यवादों (मार्क्सवादी) दल के लोगों को फसाया जाये। मेरा विचार है कि पश्चिम बंगाल में यह हत्याएं अनुसंधान और विश्लेषण विंग कराता था। इनमें पुलिस और गुप्तचर विभाग दोनों का ही हाथ था। इन्होंने नक्सलवादियों से भी साम्यवादियों (मार्क्सवादियों) के विरुद्ध कार्य कराये।

यह अनुसन्धान और विश्लेषण विंग नक्सलपंथियों का प्रयोग करती है और जो कांग्रेस के लिए कार्य करने से इन्कार करते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है । उनको जेल में भी नहीं छोड़ा जाता । पश्चिम बंगाल में वर्ष 1971 के ग्यारह महीनों के दौरान जेलों में मारने और गोली चलाने की ग्यारह घटनाए हुई और बाकी को कन्डालोर जेल में भेज दिया गया है ।

पुलिस और गुप्तचर विभाग ने हथियार, गोला बारुद और विस्फोटक सामग्री उपलब्ध की । मगर केन्द्रीय सरकार इससे भी सन्तुष्ट नहीं है । केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय ऐजेन्सियों को और अधिक अधिकार देना चाहती है । यही नहीं, केन्द्रीय सरकार कानून और व्यवस्था के प्रश्न को समवर्ती सूची में शामिल करके केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कार्य क्षेत्र को व्यापक बनाना चाहती है ।

चुनाव के बाद मजदूर संघ कार्यालयों पर बलात् कब्जा दिया गया है । चालीस हत्याकांड हो चुके हैं और मजदूरों के 20,000 परिवारों को बड़ानगर, बेलियाघाट, बेलगाचिया, दम दम, टौलीगंज, जादवपुर, काशीपुर, सोनारपुर, महेशटोला और बर्दवान स्थित मकानों से निकाल दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य और अधिक समय ले सकते हैं, परन्तु उतना समय उनकी पार्टी के सदस्यों के लिए निर्धारित समय में से कम कर दिया जायगा । वह मध्यान्ह-भोजन के पश्चात् अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

(तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई)

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock)

(मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर चार मिनट म. प. पर पुनः समदेत हुई)

(The Lok Sabha reassembled after lunch at for minutes past fourteen of the Clock)

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
The Deputy-Speaker *in the Chair*]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैंने यहां यह प्रश्न उठाया था कि कानपुर में कपड़ा मिलों के 13,000 से भी अधिक कर्मचारियों ने 28 मार्च, 1972 से हड़ताल कर रखी है, वे खाडिलकर फार्मूला के अनुसार बोनस की मांग कर रहे हैं । उन्होंने बोनस अधिनियम के संबंध में एक फार्मूला दिया था । उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि वे इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री से वार्ता करेंगे । प्रधान मंत्री जी ने भी इसी प्रकार का आश्वासन दिया था । परंतु आज मुख्य मंत्री जी ने एक वक्तव्य जारी करके कर्मचारियों को बिना समझौता हुए काम पर आने को कहा है ।

कानपुर की कपड़ा मिलों के सभी कर्मचारी इन 13,000 कर्मचारियों के समर्थन में कल से हड़ताल करेंगे । मेरा अनुरोध है कि प्रधान मंत्री और श्रम मंत्री महोदय इस समस्या को सुलझायें ।

खाडिलकर फार्मूलों का पालन किया जाना चाहिए । संसदीय कार्य मंत्री महोदय इस तथ्य को ध्यान में रखें ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने नोट कर लिया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कार्मिक संघों के साथ हुए व्यवहार के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि वामपंथी मोर्चे के समर्थक कर्मचारियों के लगभग 20,000 परिवारों को बड़ानगर, बलियाघाटा उत्तर, दम दम, टौलीगंज आदि स्थानों से उनके घरों से बलात् बे दखल किया गया है। लगभग 30,000 कर्मचारियों और वामपंथी मोर्चे के समर्थकों पर लगातार हमला किया जा रहा है। पुलिस को आदेश है कि वे इन मामलों में हस्तक्षेप न करें ।

सी. आई. टी. यू. से सम्बन्धित जिन कार्मिक संघों पर अत्याचार किये गये उनके आंकड़े इस प्रकार हैं—खरदाह में 10, बड़ानगर में 35, बेलियाघाटा में 40, दम-दम में 50 आदि। जिन कार्मिक संघों के कार्यालयों पर ब्लात अधिकार किया गया था वे हैं जैसा मजदूर यूनियन, त्रिबनी टिसस्यू फैक्टरी, श्री अन्नपूर्ण काटन मिल वर्कस यूनियन डनवार काटन मिल्स यूनियन आदि, कैटन कारपेन्टरी, बर्ड एण्ड कंपनी, दक्षिपादरी, प्रोसेस एण्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड आदि यूनियों के कार्यालयों को लूटा गया तथा जलाया गया ।

टौलीगंज—जादवपुर क्षेत्र, आसनसोल स्थित सेन-रैले साईकल इंडस्ट्री, बैंक पुर औद्योगिक क्षेत्र आदि दोनों में कर्मचारियों को इंटक यूनियन में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया ।

एयर इण्डिया के एक विज्ञापन में लिखा गया था "एक टापू, एक नेता, एक भारत, जयहिंद। जर्मनी और इटली में भी फासिस्ट शासन के समय ऐसा कहा गया था । वहां कार्मिक संघों का दमन किया गया ।

लगभग 300 कारखानों में कार्मिक संघों के कार्य को बन्द कर दिया गया है। 1959 में केरल सरकार को पदच्युत कराने के प्रयास के बारे दिनगत फिरोज गांधी ने कहा था कि इस देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया है ।

पश्चिम बंगाल में आंतक और दमन का साम्राज्य फैलाने में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का बड़ा हाथ है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस शैक्षणिक संस्थाओं में तैनात की गई है । कई राज्यों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को वापिस बुला लेने की मांग की है, सीमा सुरक्षा दल ने मुर्शिदाबाद जिले में भय का वातावरण बना दिया है । अल्पसांकर वर्ग को डराया जा रहा है तथा उनके सदस्यों की पिटाई की जा रही है ।

इस देश को पुलिस राज्य की ओर ले जाया जा रहा है । गृह मंत्रालय में सबसे अधिक अनियमित रूप से लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं । इसी के द्वारा वे गस्टापो राज्य का निर्माण कर सकते हैं । खुफिया विभाग को अब संघ लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत लाया गया है ।

यहां राजनीतिक दलों को विदेशी धन मिल रहा है तथा चुनावों में भी इसका प्रयोग हुआ है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट दी थी, उसका क्या हुआ है ? इसे प्रकाशित क्यों नहीं किया गया है ?

नागरवाला कांड एक आश्चर्यजनक घटना है। एक सभ्य देश में यह कैसे हो सकता है कि केवल टेलीफोन पर आदेश मिलते ही 60 लाख रुपये किसी व्यक्ति को दे दिये जायें, जनता इस रहस्य को जानना चाहती है कि नागरवाला और इस मामले की जांच करने वाले अधिकारी की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई। मैंने कई बार ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के दौरान कहा है कि कांग्रेस दल ने यह धन चुनावों के लिए एकत्रित किया था तथा बिना उसका हिसाब दिखाये स्टेट बैंक आफ इंडिया में रखा गया था। हम इस संबंध में पूरा ब्यौरा जानना चाहते हैं।

इन 25 वर्षों के कांग्रेस राज्य में भ्रष्टाचार खूब पनपा है। संधानम समिति ने इस सम्बन्ध में विशेष सिफारिशें की थी। उन सिफारिशों का क्या हुआ है ?

कुछ संसद सदस्यों और विधायकों ने एक ज्ञापन दिया था जिस में बताया गया था कि छोटी कार परियोजना के लिए हरियाना में किस प्रकार भूमि अर्जित की गई है। समाचारपत्रों में विस्तृत रूप से यह प्रकाशित हुआ था कि किस प्रकार इस भूमि को बहुत कम मूल्य पर खरीदा गया था। हम चाहते हैं कि इस बारे में सभा को सभी तथ्यों से अवगत कराया जायें। इस सम्बन्ध में 27 अक्तूबर 1971 को जो ज्ञापन भेजा गया था उसका उत्तर अभी स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। चूंकि इसमें प्रधान मंत्री तथा उनके लड़के का नाम अन्तर्गस्त है अतएव इसका स्पष्टीकरण अविलम्ब किया जाना चाहिए।

पुलिस का कार्य अपराधियों पर नियंत्रण रखना है। पर वे क्या कर रही है ? पुलिस अपराध रोकने में पूर्णतया असफल रही है। पुलिस और खुफिया विभाग के लिए बजट में प्रति वर्ष और अधिक धन की मांग की जाती है। ये सब उनको सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। पुलिस वस्तुतः अपने कार्य को करने में रुचि नहीं लेती है, यदि हम अपराधों के आंकड़ों को देखें तो पायेंगे कि इनकी संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

केन्द्रीय सतर्कता विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश में घूसखोरी और भ्रष्टाचार फैल रहा है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारी गैर-सरकारी पार्टियों का आतिथ्य स्वीकार करते हैं और अपना आडम्बपूर्ण जीवन-स्तर बनाए रखते हैं, आज के दैनिक समाचार पत्र "**टाइम्स आफ इंडिया**" में प्रकाशित एक लेख के अनुसार सतर्कता आयोग दुःख पूर्वक यह स्वीकार करता है कि भ्रष्टाचार सरकारी कर्मचारियों में काफी सीमा तक फैला हुआ है।

यह सरकार अपनी पूरी शक्ति अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति संघर्ष में लगा रही है। मेरा अनुरोध है कि प्रधान मंत्री दिनांक 16 मई, 1971 के "**हिन्दुस्तान टाइम्स**" में प्रकाशित "**केस आफ दी एफ्लुएन्ट पोलीसमैन**" शीर्षक के लेख को पढ़ कर बतायें कि उनका उस बारे में क्या विचार

है। दिल्ली में पुलिस थानों की नीलामी होती। पुलिस में भ्रष्टाचार व्याप्त है यदि सरकार पुलिस के माध्यम से पार्टी के हितार्थ कुछ कार्य कराती हैं तो वे उनसे आवश्यक कार्य नहीं करवा सकती।

हमारा गुप्तचर विभाग देश को गस्टापों राज्य बना रहा है। इसी लिए गुप्तचर विभाग के लिये अनुदानों की मांगों में 110 प्रतिशत वृद्धि हुई है जनता को समझ लेना चाहिए कि देश में अधिनायकवाद आ रहा है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगम सराय): जब गृह विभाग प्रधान मंत्री के अधीन है तो उससेबड़ी आशायें की जा सकती हैं। जब प्रधान मंत्री ने इस मंत्रालय का कार्य-भार सम्भाला तो हमने सोचा था कि अब एक नया मोड़ आयगा और इस मंत्रालल को जो महत्वपूर्ण समस्याएं सौंपी जाती हैं उनके प्रति एक व्यापक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाया जायगा, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। अनुभव से हम पाते हैं कि हम इस मंत्रालय के लिए प्रसंशापूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। इसका उदाहरण लीजिये। दिल्ली नगर में ही आज से छः सात मास पूर्व जंतर मन्तर अभियान नायक घटना घटी जिसमें दिल्ली पुलिस का संरक्षण प्राप्त था। इसी प्रकार के अभियान बंगाल राज्य में भी हुए। उड़ीसा में भी वही कुछ हुआ। परन्तु हमारी प्रधान मंत्री इन बातों की ओर ध्यान देने की बजाय यह समझती हैं कि उनके दल के लोग गलती कर ही नहीं सकते।

निश्चय ही प्रधान मंत्री ने महान राजनीतिक सत्ता प्राप्त की है। उन्हें इसके अनुरूप ही महान राजनीतिक कार्य करने चाहिए जो देश को एकता के सूत्र में बांध सकें।

कांग्रेस अपने दल के सदस्यों के प्रति एक प्रकार का व्यवहार करती है और दूसरों के साथ दूसरे प्रकार का। उदाहरणार्थ, हरियाणा के बारे में कई ज्ञापन राष्ट्रपति को दिये गये मुख्य मंत्री के विरुद्ध जांच करने के लिये, परन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, परन्तु पंजाब में एक ही व्यक्ति के ज्ञापन पर जांच प्रारम्भ कर दी गई। गृह मंत्रालय को हरियाणा में जांच की मांग का विरोध नहीं करना चाहिए था। हरियाणा की विधान सभा के अध्यक्ष ने कहा है कि हरियाणा के चप्पे-चप्पे में भ्रष्टाचार पाया जाता है। अतः प्रधान मंत्री को चाहिए कि वह वहां के मुख्य मंत्री के बारे में लोगों के मन से भ्रम दूर करें।

नागरवाला के मामले में स्टेट बैंक द्वारा अथवा सरकार द्वारा कोई वक्तव्य दिया जाना चाहिए था और यदि संसद अनुभव करे तो न्यायिक जांच न करवाई जाये।

अध्यक्ष महोदय: आप का समय 12 मिनट का है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र: दल-बदल सम्बन्धी समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं। उसकी अधिकांश सिफारिशें असंतोषजनक हैं, परन्तु कुछ सिफारिशों पर मतैक्य था और उन्हें लागू कर देना चाहिए था, परन्तु इस बारे में कुछ नहीं किया गया। सरकार को दल-बदल रोकने के लिये कानून बनाना चाहिए। यदि कोई पार्टी दल-बदल पर रोक नहीं लगाना चाहती तो उसे संसद में स्पष्ट रूप से ऐसा कहना चाहिए।

शासक दल दल-बदल को प्रोत्साहन देता है और दल-बदलुओं को सम्मान देता है। इस प्रकार की घटना मैसूर में घटी है।

मेरी एक शिकायत यह है कि सरकार के आदेशों से राज्यपाल के पद को जनता में बदनाम किया जा रहा है। निर्वाचन के समय राज्यपालों ने शासक दल के हित में अनेक कार्य किये। क्या उन्हें इन बातों के लिये दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए ? अभी हाल में उड़ीसा के राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा भर्त्सना की गई है।

केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए। आज मुख्य मंत्रियों को राष्ट्रीय मामलों में साथ नहीं लिया जाता। राष्ट्रीय विकास परिषद् भी अपना प्रभाव खो चुकी है। मुख्य मंत्रियों को विदेशी मामलों की जानकारी नहीं दी जाती। उन्हें दिल्ली आने पर उचित सम्मान नहीं मिलता। इन सब बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

गृह मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

भाग संख्या	क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
37	10.	श्री ज्योतिर्मय बसु	विकास प्रयोजनों की धन राशि को पुलिस और अफसरशाही पर व्यय करना।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
,,	11.	,,	भारतीय संघ की अखण्डता के अनुरूप राज्यों को अधिक राजनीतिक और अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने में असफलता।	,,
',	12.	,,	हरियाणा मंत्रिमंडल के विरुद्ध कई संसद सदस्यों द्वारा लगाये गये भ्रष्टाचार, पक्षपात, कुनबापरस्ती के आरोपों की जांच के लिये एक जांच आयोग का गठन करने में असफलता।	,,
,,	13.	,,	उच्च पदों पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए विशिष्ट तथा प्रभावी कदम उठाने में असफलता।	,,
40	14.	,,	भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची (सूची 1) के उपबन्धों के अनुधार पश्चिम बंगाल में विस्फोटकों और बारूद के प्रयोग पर नियंत्रण रखने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
40	15.	श्री ज्योतिर्मय वसु	केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल तथा सीमा सुरक्षा दल का पश्चिम बंगाल में श्रमिकों, किसानों, महिलाओं, छात्रों, शिक्षकों तथा सफ़ेदपोश कर्मचारियों के जनतंत्री अन्दोलनों को दबाने के लिये प्रयोग।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाय।
,,	16.	,,	पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस के अत्याचारों को रोकने में असफलता।	,,
,,	17.	,,	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की आनवश्यकता, क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य-सूची का विषय।	32,27,49,000
44	18.	,,	लोगों के लोकतांत्रिक अन्दोलनों को दबाने के लिए पश्चिम बंगाल में गृह मंत्रालय का एक विशेष कक्ष स्थापित करना।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
,,	19.	,,	पश्चिम बंगाल में "अनुसंधान और विश्लेषण कक्ष" नामक एक गुप्त संगठन की रचना।	,,
,,	20.	,,	पश्चिम बंगाल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करने के लिए गुप्तचर विभाग का उपयोग।	,,
,,	21.	,,	1972 के सामान्य निर्वाचनों की पूर्वसंध्या में कलकत्ता में गुप्तचर विभाग के कतिपय सहायक अधिकारियों को तैनात करने की आवश्यकता।	,,
,,	22.	,,	गुप्तचर विभाग पर अनावश्यक व्यय।	8,32,61,000
37	36.	श्री ज्योतिर्मय बसु	केन्द्र का पश्चिम बंगाल राज्य के प्रति सभी मामलों में सौतेला रवैया।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाय
,,	37.	,,	1972 के निर्वाचन में पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, त्रिपुरा और बिहार राज्यों में अपने पक्ष के हित में गड़बड़ी की जाने की विस्तृत जांच के लिए आदेश देने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
37	38.	श्री ज्योतिर्मय वसु	सत्ताधारी दल द्वारा एक अर्थ-तानाशही ढंग के राज्य की स्थापना की दिशा में अभियान, जो विभिन्न राज्यों में 1972 के निर्वाचन के बाद की घटनाओं से स्पष्ट होता है।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाय
,,	39.	,,	सरकारी कर्मचारियों की भर्त्ती के सम्बन्ध में पुलिस से चरित्र सत्यापन कराने की पद्धति को समाप्त करने में असफलता।	,,
,,	40.	,,	राजनीतिक आधार पर बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी।	,,
,,	41.	,,	एक मंत्री द्वारा विपक्षी दलों के संसद सदस्यों के पत्रों के उत्तर न दिया जाना।	,,
40	49.	,,	केन्द्रीय आरक्षित पुलिस, सीमा सुरक्षा दल तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जैसे समानांतर पुलिस बल स्थापित करने और इससे राज्यों को उनकी उन शक्तियों से वंचित करना जिनकी गारंटी संविधान द्वारा दी गई है।	,,
,,	129.	,,	देश के विभिन्न भागों में जनता के बहुत बड़े भाग द्वारा तथा अनेक राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अधिनियम, 1949 को समाप्त कराने के लिये बार-बार उठाई गई मांग के बावजूद उस अधिनियम को समाप्त करने में असफलता।	,,
,,	130.	,,	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनिमम, 1949 को तुरन्त समाप्त करने की आवश्यकता, क्यों कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री सव्यसाची मुखर्जी द्वारा 19 अप्रैल, 1972 को दिये गये निर्णय में, इस अधिनियम को शक्ति से बाहर और बुरा कानून घोषित किया है।	100 रुपये

1	2	3	4	5
37	23.	श्री भोगेन्द्र झा	ऐसे व्यक्तियों की सम्पत्ति जप्त करने में असफलता जिन्होंने झूठे तरीकों से सम्पति बनाई है ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
,,	24.	,,	देश में संकट कालीन स्थिति को शीघ्र समाप्त करने में असफलता ।	,,
,,	25.	,,	काला धन जमा करने वालों, कर अपवंचकों तथा गैर-कानूनी महाजनों को जेल में डालने में असफलता ।	,,
,,	26.	,,	उच्च अधिकारियों को सेवा निवृत्त होने पर देशी तथा विदेशी पूंजीपतियों के अधीन नौकरी करने से रोकने में असफलता ।	,,
40	27.	,,	सामान्य जनता के प्रति पुलिस के दमनकारी रवैये तथा धनी लोगों के प्रति पक्षपात के रवैये को बदलने में असफलता ।	,,
,,	28.	,,	पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने अथवा कम करने में असफलता ।	,,
,,	29.	,,	संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस के सिपाहियों के वेतनमानों को बढ़ाने और उनके रहन-सहन के स्तर तथा काम की शर्तों में सुधार करने में असफलता ।	,, ,,
,,	30.	,,	पुलिस अधिकारियों का पुलिस के सिपाहियों के प्रति अपमानजनक तथा अफसरशाही का रवैया ।	
,,	31.	,,	पुरानी पुलिस संहिता को लोकतांत्रिक बनाने में असफलता ।	,,
,,	32.	,,	पुलिस के सिपाहियों द्वारा 1967 की हड़ताल में भाग लेने पर उनके विरुद्ध अदालत में दायर मामलों को वापस लेने तथा उन्हें फिर से सेवा में लेने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
41	33.	श्री भोगेन्द्र झा	जनगणना के समय मैथिली-भाषी लोगों की कम संख्या दर्ज करना ।	राशि घटा कर 1 रु० कर दी जाय
45	34.	,,	दिल्ली को अलग राज्य का दर्जा देने में असफलता ।	,,
46	35.	,,	चण्डीगढ़ में केन्द्रीय प्रशासन समाप्त कर उसे पंजाब में मिलाने में विलम्ब ।	,,
37	89.	,,	राष्टपति शासन के दौरान गत फरवरी में दरभंगा जिले में बिहार विधान सभा के चुनावों के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक हजार से अधिक कार्यकर्त्ताओं को जेल में बन्द रखना ।	,,
,,	90.	,,	राष्टपति शासन के दौरान बिहार में हत्या, हिंसा और दंगे करने वाले बडे भू-स्वामियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने में असफलता ।	,,
,,	91.	,,	किसी राज्य द्वारा मांग न किये जाने पर भी उस राज्य में केन्द्रीय सुरक्षा बल के जवानों को तैनात करने से रोकने की आवश्यकता ।	,,
,,	92.	,,	राष्ट्रपति शासन के दौरान बिहार के मधुबनी अनुमण्डल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लगभग एक हजार कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को बन्दी बनाना ।	100 रुपये
,,	93.	,,	राष्ट्रपति शासन के दौरान बिहार विधान सभा के लिये गत चुनावों में मधुवनी अनुमण्डली में भारतीय कयुनिस्ट पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बन्दी बनाना ।	,,
,,	94.	,,	बिहार में राष्ट्रपति शासन के दौरान विधान सभा के गत चुनावों के समय चुनाव एजेंटों को बन्दी बनाना ।	,,

1	2	3	4	5
37	95.	श्री भोगेन्द्र झा	बिहार में राष्ट्रपति शासन के दौरान बिस्फी तथा अन्य क्षेत्रों में चुनाव बूथों पर शांति भंग करना ।	100 रुपया
37	43.	श्री के. बालकृष्णन	राज्य की विधि और व्यवस्था की समस्याओं में सरकार का आवांछनीय हस्ताक्षेप ।	,,
,,	47.	,,	सरकार को कम से कम संघीय ढांचे का स्वरूप देने में असफलता ।	,,
37	50.	डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	स्वर्गीय पं० दीनदयाल उपाध्यक्ष के हत्यारों को पकड़ने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाय ।
,,	51.	,,	हरियाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में कार्यवाही करने में असफलता ।	,,
,,	52.	,,	केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के वेतनमानों में वृद्धि करने में असफलता ।	,,
,,	53.	,,	केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के विभिन्न मुख्यालयों में समुचित आवास व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
,,	54.	,,	राज-भाषा सम्बन्धी घोषित नीति को कार्यान्वित करने में विलम्ब तथा उपेक्षा ।	,,
,,	55.	,,	सरकार की दोषपूर्ण नीति के कारण राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने में असफलता ।	,,
,,	56.	,,	पुलिस संहिता में संशोधन करने की आवश्यकता ।	,,
,,	57.	,,	देश में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण लोगों में व्याप्त असुरक्षा की भावना को दूर करने में असफलता ।	,,
,,	58.	,,	प्रशासनिक सुधारों को तेजी से कार्यान्वित करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
39	59	लक्ष्मी नारायण पांडेय	अखिल भारतीय सेवाओं के गिरते हुए स्तर को सुधारने में असफलता ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाय
40	60	,,	पुलिस अकादमी को सुधारने में असफलता ।	,,
,,	62	,,	जनगणना कर्मचारियों को स्थायी बनाने में असफलता ।	,,
37	64.	,,	पाकिस्तानी जासूसों को पकड़ने में असफलता ।	,,
,,	65.	,,	भारत में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने में असफलता ।	,,
,,	75.	,,	किसानों को अपनी फसलों की रक्षा के लिये मज़ल लोडिंग बन्दूकों के लिए लाइसेंस से छूट देने में असफलता ।	,, ,,
,,	76.	,,	युवकों को अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण देने की उपेक्षा ।	,,
40	96.	श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव	बिहार में राष्ट्रपति शासन के दौरान गत फरबरी में विधुपुर प्रखण्ड के सोनवर्षा गांव में पुलिस के अत्याचार की जांच कराने के लिये जनता की मांग की अवहेलना ।	100 रुपये ।
41	97.	,,	बिहार के प्रखण्डों विशेषकर उत्तर भागलपुर के प्रखण्डों में, जनगणना के समय हजारों व्यक्तियों के नाम दर्ज करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाय ।
38	100.	श्री था किरुतिनन	मंत्रियों के यात्रा भत्तों के सम्बन्ध में मित-व्ययता करने में असफलता ।	100 रुपये ।
,,	101.	,,	राज्य सरकारों की शक्तियों का अतिक्रमण ।	,,
39	102.	,,	अखिल भारतीय सेवाओं के गिरते हुए स्तर को सुधारने की आवश्यकता ।	,,
,,	103.	,,	अखिल भारतीय सेवाओं में कुशलता और प्रतिभा को उचित महत्व देने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
39	104.	श्री था किरूतिनन	अखिल भारतीय सेवाओं में चयन तथा पदोन्नति में पक्षपात रोकने में असफलता ।	100 रुपया
,,	105.	,,	अखिल भारतीय सेवाओं के लिए केवल अंग्रेजी में ही परीक्षायें लेने में असफलता ।	,,
40	106.	,,	केन्द्रीय आरक्षित पुलिस तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को समानान्तर पुलिस बल के रूप में स्थापित करना जिसके द्वारा राज्यों को संविधान द्वारा गारंटी दी गई उनकी शक्तियों से वंचित करना ।	,,
,,	107.	,,	केन्द्रीय पुलिस के लिए अधिक अच्छे रहन सहस की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
41	108.	,,	जगणना कर्मचारियों को अन्य केन्द्रीय सरकारी बिभागों में लेने में असफलता ।	,,
,,	109.	,,	जनगणना कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित बनाने में असफलता ।	,,
44	110.	,,	पिछड़े वर्ग के लोगों, जिनकी जनसंख्या देश की जनसंख्या का 70 प्रतिशत है, सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व तथा प्राथमिकता देने में असफलता ।	,,
47	111.	,,	अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में अधिकारियों द्वारा तमिल मजदूरों को अनावश्यक रूप से तंग किये जाने तथा सताये जाने को रोकने की आवश्यकता ।	,,
,,	112.	,,	द्वीपसमूह में तमिल माध्यम वाले विद्यालय की व्यवस्था करने में असफलता ।	,,
37	115.		राज्यों में विधि और व्यवस्था की समस्याओं के सम्बन्ध में भारत सरकार और केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा अनाबश्यक हस्तक्षेप ।	,, ,,

1	2	3	4	5
37	116.	श्री था किरूतिनन	राज्य सरकारों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करके भारत में शासन की पूर्ण संघीय व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपया
,,	117.	,,	द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम् और अन्य क्षेत्रीय और कुछ अखिल भारतीय दलों द्वारा राज्यों को अधिक स्वायत्तता देने की मांग स्वीकार करने में असफलता ।	,,
,,	118.	,,	तमिल नाडु सरकार द्वारा गठित "राजमन्नार समिति" द्वारा उठाई गई बातों पर विचार करने के लिये विधि पण्डितों की एक समिति गठित करने में असफलता ।	,,
,,	119.	,,	केन्द्र में, उन कतिपय विषयों, जो मुख्यत: राज्य सरकारों से सम्बन्धित हैं, के लिये बनाये गये कतिपय मंत्रालयों को समाप्त करके व्यय कम करने में असफलता ।	,,
,,	120.	,,	प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की कार्यन्वित करने में असफलता ।	,,
,,	121.	,,	राज भाषा के नाम पर 'हिन्दी' पर अनावश्यक व्यय ।	,,
,,	122.	,,	अहिन्दी भाषी क्षेत्रों पर, विशेषकर केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों पर जो अहिन्दी भाषी राज्यों से आये हैं, 'हिन्दी' थोपना ।	,,
,,	123.	,,	सत्तारूढ़ दल के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के तन्त्र का दुरुपयोग ।	,,
,,	124.	,,	छात्र-अशान्ति दूर करने में असफलता ।	,,
,,	125.	,,	साम्प्रदायिक समस्याओं को हल करने में असफलता ।	,,
,,	126.	,,	सरकार की दोषपूर्ण नीति के कारण राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
37	127.	श्री था किरूतिनन	भारत को एक धर्म निरपेक्ष देश के रूप में स्थापित करने के लिए सरकारी उपक्रमों और सरकारी संस्थाओं में 'हिन्दुस्तान' शब्द को जहां कहीं भी इसका प्रयोग हुआ है, हटाने में असफलता ।	100 रुपया
37	113.	श्रीमती विभा घोष गोस्वामी	आन्तरिक्ष सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम का दुरुपयोग और इसका समस्त भारत में, विशेषकर पश्चिम बंगाल में, विरोधी दलों के राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध प्रयोग ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाय ।
,,	114.	,,	आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनिनियम के अधीन नजरबन्द लोगों को पश्चिम बंगाल से बाहर की जेलों अर्थात् कुड्डालोर जेल में भेजा जाना और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाना ।	,,
38.	128.	,,	वर्ष 1969-70 के दौरान तदर्थ आधार पर नियुक्त/पदोन्नत कनिष्ठ स्नतकोत्तर अध्यापकों को नियमित करने में दिल्ली प्रशासन की धांधली का पता लगाने में असफलता ।	,,

SHRIMATI SUBHADRA JOSHI (Chandni Chowk) : While I was listening to the speech of Shri Jyotirmoy Bosu, I recalled the day I had spent in Calcutta when his party was in power and the Home Minister was to address a rally. People were coming to Calcutta equipped with various types of arms. I was told that his party men used to snatch purses and money from the people. Now that the hon. Member talks of democracy, how has he developed love for it ? The people of West Bengal have changed his mind.

The wrong policies pursued by his party have turned a large number of young people, including students, into Naxalites. I request the Minister of Home Affairs to try to rehabilitate these confused young people so that they could become good citizens of the country.

The parties which have no faith in democracy are charging that elections were rigged. If this party continues to pursue these policies, the people of India will see that this party is no longer remains in existence. The people of West Bengal have trounced their parties.

We have seen that a huge amount is being spent in Calcutta for slum clearance. The hon. Minister has direct responsibility towards slum clearance in Delhi.

Some years ago a Master Plan was devised for slum clearance in Delhi. A new scheme should be formulated replacing that Plan. According to the report of the Ministry of Home-

Affairs 2144 houses have been demolished. To-day the condition of slum-clearance in Delhi is horrible. Those areas are neglected.

A large number of houses in Delhi are evacuee properties. Their ownership is changing from one hand to another. No attention has been paid to them. Clean and cheaper houses should be allotted to the slum-dewellers.

The people in Delhi have no faith in the Delhi Police. People are having an impression that if a murder is Committed and the case is handed on to C. B. I. for invetigation, the murderer will not be arrested. The Government should tone up police administration and the C. B. I. should be strengthened. So far as the Intelligence Department is concerned, I am sorry to say that it is not functioning efficiently in Delhi. Two months back a certain Anand Murti, a person from Anand Marg, was arrested by C. B. I. It is reported that Anand Marg is responsible for 38 murders. The irony is that even highly placed officers are members of this Organisation. It is not known wherefrom they get money. The Intelligence Department should try to find out the main source of this money.

It was stated earlier that a Council would be set up for minorities. So far as services are concerned the Ministy of Home-Affairs should have a Department for protecting the interests of the minorities. They have not been given enough representation in services by Government.

It is good that Government propose to bring forward a legislation to check communal activities. At least the existing Provisions of this law should be enforced. A Government emplo yee cannot become a member of any political party but he is suggested to become a member of Rashtriya Swayam Sewak Sangh. This should be checked.

श्रीमती टी. लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : 1972 के विधान सभा के चुनावों में प्रधानमंत्री को भारी बहुमत मिलने से सिद्ध हो गया है कि जनता का उनमें कितना विश्वास है ।

आज लोगों को विरोधी दलों में विश्वास नहीं रहा है क्योंकि विरोधी दल कोई भलाई नहीं कर सकते । चुनावों में अनियमिततायें होने के आरोप लगाना, विरोधी दल का एक बहाना मात्र है ।

तेलंगाना की जनता ने समझ लिया है कि प्रधानमंत्री के हाथों में उनके हित सुरक्षित हैं । तेलंगाना प्रजा समिति, जिसने पृथक् राज्य के लिए आन्दोलन किया था, कांग्रेस के साथ मिल गई हैं । चाहे निराशावादी भविष्यवक्ताओं ने कितना कुछ ही कहा हो, तेलंगाना सेवाओं में अन्याय मिटाने के लिए अविचल रूप से प्रगति कर रहा है । दूसरे दिन परामर्शयात्री समिति से हमें पता चला कि सेवाओं में शिकायतें दूर करने के मामले में तेलंगाना क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है । आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मुल्की कानून को रद्द कर दिया है तथा उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति दे दी है । इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए युक्तिसंगत उपाय किये जाने चाहिएं ।

तेलंगाना के लिये एक अलग प्रारूप तैयार किया गया है तथा उस राज्य के सदस्यों में उसे परिचालित किया गया है । तेलंगाना एक पिछड़ा क्षेत्र है, अतः भविष्य में

इसके लिए पर्याप्त विकास कार्यक्रमों पर विचार किया जाना चाहिये । चौथी योजना में इस क्षेत्र के विकास के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये ।

तेलंगाना में 1956 के करार के अनुसार, नागार्जुनसागर के पानी का तेलंगाना के भाग के अनुसार पूरा उपयोग तथा निजामसागर में सिंचाई क्षमता बढ़ाने आदि के प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है ।

नागार्जुनसागर के संबंध में योजना में भारी कटौती के कारण लगभग 590 जूनियर इंजीनियरों, 148 एसिस्टेंट इंजीनियरों, 37 एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों तथा तीन सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरों की छंटनी की जाने की आशंका है । गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री महोदय को नागार्जुनसागर का दौरा करके स्थिति सामान्य बनानी चाहिये ।

मैं श्री जयप्रकाश नारायण जी को डाकुओं का हृदय परिवर्तन करने तथा उन्हें आत्म-समर्पण करने के लिये प्रेरित करने के लिए बधाई देती हूं । डाकुओं की समस्या का केवल तभी समाधान किया जा सकता है जब इस समस्या के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक पहलुओं पर नियंत्रण किया जाये । गावस्कर जांच समिति ने कहा है कि इस समस्या का समाधान सामाजिक-आर्थिक सुधारों से हो सकता है । इस समिति ने यह भी कहा है कि डाकुओं के पुनर्वास, उन्हें रोजगार प्रदान करने आदि का सरकार का कर्तव्य है । इन क्षेत्रों के विकास के लिये अधिक धन राशि आबंटित की जानी चाहिये ।

हाल ही में उस्मानिया विश्वविद्यालय के मेधावी छात्र की हत्या कर दी गई । ऐसी अप्रिय घटनाओं को भविष्य में होने से रोकने के लिये ध्यान रखा जाना चाहिये ।

सौराष्ट्र तथा बंगाल में महिलाएं आत्म-हत्या करती हैं । इसका कारण यह है कि उन्हें समान सम्पति का अधिकार नहीं है । अतः उन्हें यह अधिकार दिया जाना चाहिये ।

अब मैं सेवाओं के बारे में कुछ कहना चाहती हूं । प्रशासन सुधार आयोग ने सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिये आयु सीमा 24 वर्ष से बढ़ाकर 26 वर्ष करने की सिफारिश की है । मुझे एक अभ्यावेदन मिला है जिसमें कहा गया है कि इंजीनियरों आदि के लिये एक वर्ष तक के लिये आयु सीमा 35 वर्ष कर दी जाये और बाद में यह फिर घटाकर 24 वर्ष कर दी जाये । ऐसा एक पूर्वोधारण भी है ।

SHRI BHOGENDRA JHA (Jainagar) : The Border Security Force deserves congratulations from the whole House and the country which did excellent and commendable work at the time of recent crisis.

Our hon. Minister the ministry of Home Affairs and so many members of the ruling party sinncerly believe that they help in the establishment of law and order but those who are responsible for checking exploitation openly violate the law. Our Department of Home-Affairs is obsolutely helpless in this respect. To-day corruption is rampant. An

Corruption Depatment was establithed to remove this evil but its results were contrary to which were desirable. It utterly failed to root out corruption. There is no such place where Moneylenders Act is not being violated why such persons who violate such laws are not prosecuted.

Similarly there are so many people in each village and town, so many political leaders and Government Officials who have earned huge money through illegal means. An inquiry should be conducted to unearth their black money and they should be prosecuted. The abrupt closure of the case of Nagarwala has created an atmosphere of suspicion. I hope that Government will order a thorough inquiry into this matter.

The Government support the exploiters, which is its utter failure. The policemen of the Delhi Police went on strike five years ago and they were tried. The cases against them have not so far been withdrawn, In 1968 the Kerala High Court gave verdict in favour of Government employees but the Government has not taken any decision so far in the light of that verdict. When injustice and atrocity is committed in any State it is said that the particular case relates to the State. Centre will not intervene. Some workers of the Communist Party including a District Secretary of Communist Party were arrested in Darbhanga District and they were not released even at the time of election. 13 members of the Communist Party were murdered by the landlords in district Darbhanga only, but since the Judges are also from landlord families, they show partiality towards landlords. At the time of last elections an S.D.O. slapped a child at a booth at Madhubani. An inquiry should be conducted in such cases.

Not only this, an M.L.A. Shri Manzoorulhasan was shot dead in the broad day light during last elections. I do not level the charge on the ruling party but people have a suspicion about it.

In this context, I would like to cite an example. There was Congress Party Goverment in Bihar and we supported the Government. The Legislative Assembly and the Legislative Council passed 'Tata Zamindari Eradication Bill' and that Bill was referred to the Central Government but they detained the Bill for about fifteen months. The decision of the Central Government went in favour of Tata. We want an assurance that in future when the Government of Bihar refers the Bill as passed again to the Government, the Central Government will not turn it down. In this way efforts are being made to spoil Centre-State relations.

The Seventh Schedule of the Constitution should be amended to give more financial powers to the State.

The Government should give an assurance that special privileges of the I.C.S. Officers will be done away with during the current session.

Is it in the national interest to allow the Rashtriya Swayam Sewak Sangh to exist legally in this country which imparts secret training ? Shri Golvalkar delivers speeches in R.S.S. Camps and levels charges against our leaders of freedom movement. So, such an institution should not be allowed to carry on its activities and the secret training in violence should be checked.

Then, I wish to state that there is a good number of non Bengali Muslim Children and Women whose farthers or husbands were killed or arrested. Time and again, I have drawn the attention of the Government and the Prime Minister towards this fact. In a reply given

to me on 16 June, 1971 it was stated that 729 men, 191 women and 237 children were kept in coustody under Foreigners Act in Assam and other States. I want to submit that these children and women should not be prosecuted. At the same time, I want to stress that alongwith maintenance of Law and Order in the Country, Home Ministry should also pay proper heed to safeguarding the interests of labour class.

श्री के. सूर्यनारायण (एलूरू) : सबसे पहले मैं प्रधान मन्त्री को इस बात के लिऐ बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए पेंशन योजना आरम्भ की है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जो संसद सदस्य, स्वतन्त्रता सेनानी हैं, उनकी सदस्यता की अवधि की समाप्ति पर उन्हें भी यह पेंशन दी जानी चाहिये, क्योंकि उनके पास आय का और कोई साधन नहीं होता। श्रीमान जी, हाल ही में जो लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव हुए हैं उनमें 100 प्रतिशत महिलाओं ने और लगभग 60-70 प्रतिशत पुरुषों ने कांग्रेस को वोट दिया है। 90 प्रतिशत श्रमिकों ने भी प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है। अत: अब लोगों को दिये गये आश्वासनों और कांग्रेस दल की प्रगतिवादी नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए हर सम्भव उपाय किया जाना चाहिये। इस बहुमत का पूरा-पूरा लाभ उठाते हुए कांग्रेस दल को अपनी सभी नीतियों को क्रियान्वित करने में अब देरी नहीं करनी चाहिये।

कुछ सदस्यों ने हरियाणा राज्य के कुछ मंत्रियों पर भ्रष्टचार का आरोप लगाया है। इसकी पूरी पूरी जांच की जानी चाहिये। अभी श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा ने जब शक्ति का उल्लेख किया। कृषि पर निर्भर रहने वाले हमारे श्रमिक, वर्ष के 365 दिनों में से 150 दिन बेकार रहते हैं। अत: व्यर्थ जा रही इस जनशक्ति का पूर्ण उपयोग किया जाना चहिये। हमारे देश में कुछ लोग अपनी जीविका के लिए केवल चोरी और डाके पर निर्भर रहते हैं। चोर बाजारी करने वालों की समृद्धि में आज चार—चांद लगते जा रहे हैं, परन्तु उन पर कोई कानून लागू नहीं होता। भूमि सुधार और भूमि सुधार कानून के बारे में नित्य नारे लगाये जाते हैं, परन्तु कभी उन कानूनों को ईमानदारी से क्रियान्वित नहीं किया जाता। दिल्ली के आस-पास जिन लोगों के पास 150 एकड़ से अधिक भूमि है, वे इसे बेचने के लिए विज्ञापन दे रहे हैं। गैर-कानूनी ढंग से चतुर लोग यह भूमि न्यासों के नाम करते चले जा रहे हैं। मेरे अपने ही जिले पश्चिम गोदावरी में वापिरान्पू धर्म संस्था है जिसके पास 500 एकड़ भूमि है। इस संस्था को स्टेट बैंक द्वारा पांच लाख रुपये का कर्ज़ भी दे दिया गया था। परन्तु अब दो तीन वर्षों के बाद भी बैंक इस कर्ज की वसूली नहीं कर सका। इस प्रकार न्यासों द्वारा सरकार को धोखा दिया जा रहा है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय यह कहा गया था कि राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य यही है कि बैंकों से छोटे विकासों को लाभ प्राप्त हो सके। इसी नाते मैंने इंडियन ओवरसीज बैंक से ऋण मांगा परन्तु मुझे यह कह कर ऋण देने से इन्कार कर दिया गया कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित हो जाने के बाद आप भूमि बेच नहीं सकेंगे और आप की आय का भूमि के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। प्रधानमंत्री द्वारा इस सम्बन्ध में लोगों को जो आश्वासन दिये गये हैं, उन्हें पूरा किया जाना चाहिये। इन न्यासों (व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो एक अलग विषय है। मूल विषय से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री के. सूर्यनारायण : परन्तु यह सब मैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए बता रहा हूं कि यह न्यास राजनीतिक लाभ उठा कर किस प्रकार सरकार को धोखा दे रहे हैं, किस प्रकार सरकार का शोषण किया जा रहा है। न्यास की भूमि खेती के लिए दी गई थी परन्तु यदि लोग वहां मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है। यह न्यास 60 या 70 स्कूल चला रहा है और उसे सरकार द्वारा 1.25 लाख रुपया प्रति माह अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। इस अनुदान का दुरुपयोग हो रहा है। अध्यापकों और चपरासियों के जाली हस्ताक्षर करवा कर 12 महीनों का वेतन सरकार की अनुदान में से ले लिया जाता है। इन सब कारनामों का पूरा रिकार्ड मेरे पास है।

अंत में मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं। मेरे ही चुनाव क्षेत्र में लगभग 200 व्यक्तियों को गिरफतार किया गया था और उनमें से 44 व्यक्तियों पर सैशन कोर्ट में मुकदमा चलाया गया था। इससे पूर्व भी वहां 44 व्यक्तियों को गिरफतार किया गया था। इस सम्बन्ध में उन व्यक्तियों ने प्रधानमंत्री को भी लिखा था परन्तु ऐसा करने के लिए उन्हें उल्टे फिर पुलिस द्वारा धमकी दी गई। इन सब मामलों के पूरे कागजात मेरे पास हैं और मुझे इन की पूरी जानकारी है। मैं यह सभी बातें संसद से बाहर भी कहने को तैयार हूं। मेरा गृह मंत्रालय से यह विनम्र निवेदन है कि इन सभी मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करवाई जानी चाहिये। मैंने इस धर्म संस्था का मामला विस्तार से इस लिए रखा है कि इसकी अवश्य जांच की जानी चाहिये।

मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उसने बिना किसी के प्रभाव में आये अपना कार्य पूर्ण सतर्कता से किया है।

SHRI NAVAL KISHORE SHARMA (Dansa) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the opposition is opposing each and every measure of the Government simply for the sake of opposition. But, as a matter of fact, the performance of Home Ministry during the last year has been quite satisfactory. The Ministry has fully succeeded in maintaining the Communal harmony and law and order despite elections. The Border Security Force has set up a new example of sacrifice.

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shsi K. N. Tiwary *in the Chair*]

I would like to tell my friends in the opposition that Congress Party and its Leader have succeeded in regaining the confidence of the people. People have welcomed the leadership of Shrimati Gandhi. But my friends in the opposition, whether they are in Jan Sangh. CPM or Swatantra, should not feel frustrated.

During elections some of my friends tried to disturb the meetings of the Prime Minister. But all in vain. The electrote was quite wise to understand the policies of the Congress. The fate of disturbing element has also been rightly decided by the electorate. It is high time that opposition should understand the reality of the situation.

An hon. Member referred to the Nagarwala case. He has not tried to understand the real situation. I think nothing can be done in Nagarwala case now when he has expired. People should not suspect unnecessarily. Since he has died, no proceedings can take place against him now.

There has been a lot of improvement in the law and order situation in the country. Some new States have been created. Our Eastern and Northeastern region is now quite safe. The Home Ministry has settled some of the problems and it is a great achievement.

The Telengana problem has been solved.

Government has abolished the privy purses of the ex-rulers. I do not know whether anything is being done for abolishing the privileges of the ex-rulers. It is a serious matter and this problem should be solved early. Government should bring a Bill to abolish these privileges without delay.

In order to Implement the policies of the Government, the Cooperation of the services is essential. Some steps should be taken to remedy the situation, if necessary, the constitution should be amended.

Although there is a provision of reservation for the scheduled castes and scheduled tribes in the Government services, yet this is not being Implemented properly. One representative of the scheduled castes and tribes should be included in U.P.S.C. and in each of the State Public Service Commission.

With the formation of Rajasthan, a High Court bench was set up at Jodhpur and Jaipur. In 1956, a decision was taken to abolish the High Court bench at Jaipur. A large number of people were taking advantage of this Bench. They were getting Cheap Justice. This matter should be considered carefully and a Bench should be there at Jaipur.

With these words I support the Demands of the Minisry of Home Affairs.

श्रीमती शीला कौल (लखनऊ) : पुलिस प्रशासन में तेजी से सुधार किये बिना जनसाधारण को स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र और समाजवाद का फल नहीं मिल सकता । पुलिस के कार्य में सुधार लाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है । पुलिस के सामने आई समस्याओं को हल करने के लिये अखिल भारतीय पुलिस आयोग की स्थापना करने की आशा दिलाई गई थी । लेकिन जब अखिल भारतीय पुलिस समिति का गठन किया गया तो उसके निर्देश पदों में बहुत कमी कर दी गई । उसका क्षेत्र केवल पुलिस कर्मचारियों के प्रशिक्षण तक ही सीमित था । पुलिस कर्मचारियों के प्रशिक्षण मात्र से ही वर्तमान बुराइयों को दूर नहीं किया जा सकता । 100 वर्ष पुराने पुलिस प्रबन्ध में परिवर्तन किया जाना चाहिये ।

वर्तमान प्रणाली में एक पुलिस अधिकारी को चाहे वह कितना ही वरिष्ठ हो और उसकी सेवावधि कितनी ही अधिक हों, एक मैजिस्ट्रेट से, चाहे वह उससे कनिष्ठ हो अथवा कम अनुभवी हो, आदेश लेने पड़ते हैं । जब तक वरिष्ठ अधिकारियों की निर्णय लेने की क्षमता में काफी वृद्धि नहीं होगी तब तक पुलिस बल में सुधार की बहुत कम आशा है ।

देश के विकास का ध्यान में रखते हुए जिला मैजिस्ट्रेट के पास कानून और व्यवस्था की समस्याओं को हल करने के लिये बहुत कम समय और शक्ति रहती है। आज वह एक समन्वित एजेंसी के समान है। वर्तमान जिला मैजिस्ट्रेट प्रणाली के स्थान हर देश में कानून और व्यवस्था के लिये पुलिस आयोग की स्थापना की जानी चाहिये। जिला और सेशन न्यायधीश न्यायालयों के प्रशासन की जांच कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस आयोग ने पुलिस प्रशासन के मूल ढांचे में परिवर्तन करने का सुझाव दिया था। उसने पुलिस आयुक्त प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की थी। यह प्रणाली कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, बंगलौर, नागपुर और पूना में बहुत सफल रही है। उस प्रणाली के लाभ से दिल्ली को वंचित रखने पर बहुत आश्चर्य होता है।

पुलिस कर्मचारियों के कार्य की लम्बी सूची पर फिर से गौर किये जाने की आवश्यकता है। उन्हें सप्ताह में एक छुट्टी दिये जाने से भी इन्कार किया जाता है। क्या 75 रुपये मासिक वेतन पाने वाले एक पुलिस कर्मचारी से यह आशा की जा सकती है कि वह तेज धूप और वर्षा में आठ घण्टे की डयूटी ईमानदारी से दे सकेगा। इसके अतिरिक्त, उन्हें आक्रमणात्मक स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। दुर्भाग्य से एक पुलिस कर्मचारी की क्षमता का अनुमान उसके द्वारा किये गये चालानों से लगाया जाता है। इस बारे में पूरी जांच की जानी चाहिये और उन्हें उचित सुविधाएं दी जानी चाहिये।

संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना इस सदन की सीधी जिम्मेवारी है। इस सदन में दिल्ली पुलिस, तथा अन्दमान द्वीप समूह जैसे राज्य के छोटे पुलिस दल के अलावा अभी तक किसी भी केन्द्र शासित राज्यों के बारे में चर्चा नहीं की गई है। पुलिस कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता और उनको अतिरिक्त वेतन भी नहीं दिया जाता। पुलिस कर्मचारियों की काम दशा में सुधार किया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

***श्री सी. टी. डण्डापाणि** (धारापुरम) ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि प्रशासन ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रशासन में सुधार के तरीकों का सुझाव दिया था। आयोग ने अपने विभिन्न प्रतिवेदनों में 578 सिफारिशें की हैं। गृह मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि केवल 271 सिफारिशों के बारे में निर्णय किया गया है। इनके बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी सिफारिशें स्वीकार की गईं तथा कितनी सिफारिशें अस्वीकार की गईं।

गृह मंत्रालय ने यात्रा भत्ते पर 9,10,50,000 रुपए खर्च किये, जो बहुत अधिक राशि है।

तामिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised Translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil

केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। केन्द्र में मंत्रिमंडल स्तर के 14 मंत्रियों में से केवल एक मंत्री अनुसूचित जाति के हैं। यह दुःख की बात है कि किसी भी अन्य देश में अनुसूचित जाति का राजदूत नहीं है। कोई भी राज्यपाल अनुसूचित जाति का नहीं है। अतः यह कैसे विश्वास किया जा सकता है कि केन्द्रीय सरकार अनुसूचित जातियों के लोगों के हितों के लिये कार्य कर रही है।

राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए इस वर्ष सात करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस धनराशि को कैसे खर्च किया जायगा। तमिलनाडु में अनेक पुलिस स्टेशनों पर टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है और पुलिस कर्मचारियों के लिये परिवहन की सुविधा नहीं है। उनके लिये पर्याप्त आवास की व्यवस्था भी नहीं हैं। केन्द्र द्वारा अनेक गलत नीतियों के अपनाने और गलत नीतियों के गलत ढंग से क्रियान्वित किये जाने के परिणामस्वरूप अनेक बार राज्य सरकारों को कानून और व्यवस्था सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकारों को स्थिति का सामन्य बनाने के लिए बहुत अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ती है। राज्यों में होने वाले अतिरिक्त व्यय को केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिये।

तमिलनाडु के गुप्तचर विभाग ने बहुत ही सफल कार्य किया है। उसने 73 प्रतिशत मामले निपटाये हैं। अतः केन्द्रीय सरकार को राज्य के गुप्तचर विभाग को खुले दिल से सहायता देनी चाहिये।

देश में कानून और व्यवस्था बनाये रखने की राज्य तथा केन्द्रीय सरकार पर बराबर की जिम्मेवारी है। राज्यों में विधान सभाओं के चुनावों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और केन्द्रीय सरकार के उच्च अधिकारियों ने दबाने के अनेक तरीके अपनाये हैं। राज्यों में चुनावों के पश्चात् भी कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है।

यदि किसी दल की सरकार बनी हुई है और उसे हटाना हो तो प्रजातांत्रिक तरीकों से हटाया जाना चाहिये। आंध्र प्रदेश में एक निर्वाचन क्षेत्र में द्रमुक को मत देने वाले हरिजनों आदि को पीटा गया तथा उन्हें मतदान करने से रोका गया।

प्रवर्तन निदेशालय का केन्द्र द्वारा संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों के लिये प्रयोग किया जा रहा है। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है कि हरियाणा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध पेश की गई याचिका पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसी तरह केन्द्रीय मंत्री भी ऐसे कार्य समान रूप से करते हैं। इन पर कौन देख-रेख करता है। जब यह प्रश्न उठाया गया तो कहा गया कि 'लोकपाल विधेयक' लाया जायेगा। परन्तु उसमें इतना असाधारण विलम्ब होने का क्या कारण है ?

वांचू समिति के अनुसार 1968 में देश में लगभग 7000 करोड़ रुपये के बराबर काला धन था जिसमें से इस प्रवर्तन निदेशालय ने केवल 6.99 करोड़ रुपये का पता लगाया जो 0.01 प्रतिशत भी नहीं है। इस काले धन का कब पता लगाया जायेगा ?

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अपने नवीनतम प्रतिवेदन में कहा है कि उच्चाधिकारियों में से भी बहुत से लोग भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। सरकार इन उच्चाधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ? यह सर्वविदित है कि भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को सेवा निवृत्ति के पश्चात् सरकारी उपक्रमों में चेयरमैन अथवा राज्यपाल बना दिया जाता है। सरकार को इस प्रथा को समाप्त करना चाहिए।

दक्षिण भारत के लोगों को सर्वोच्च न्यायालय से न्याय पाने हेतु दिल्ली आना पड़ता है जो बहुत मंहगा पड़ता है अतः उनकी सुविधा के लिये सर्वोच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच की दक्षिण भारत में किसी भी स्थान पर स्थापना की जानी चाहिये। इसी प्रकार तमिलनाडु उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बैंच की कोयम्बटूर अथवा मदुरे में स्थापना के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव सरकार के पास भेजा गया था, उस पर अनुमति दी जानी चाहिए।

राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत अपमान को रोकने के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज को जलाना, फाड़ देना आदि कार्यों को रोकने के लिये कानून सहायक नहीं हो सकता है।

देश की जनता के मस्तिष्क में राष्ट्र-गान तथा राष्ट्रीय ध्यज के प्रति आदर की भावना भरनी होगी तथा उनमें राष्ट्रीयता एवं देश भक्ति की भावना जागृत करनी होगी।

हाल ही में राज्य सभा में योजना मंत्री ने कहा कि भारत बहु-भाषी देश है, वहु जातीय देश नहीं हैं। ऐसा कह कर उन्होंने तामिल जाति का होना भी स्वीकार नहीं किया है। भारत में विविधताएं होते हुए भी एकता है। हम एक राष्ट्र हैं। स्व० पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक "लेटर्स फ्राम ए फादर टु हिज डाटर" में द्राविड़ों को बहुत प्रगतिशील बताया है तथा तामिल, तेलुगु, मलयालम एवं कन्नड़ को प्राचीन द्रविड़ परिवार बताया है।

मेरे पूर्व-वक्ताओं ने राज्यों की स्वायत्तता का उल्लेख किया। देश का वित्तीय प्रशासन पूर्णतया केन्द्रीय सरकार के हाथ में हैं। अतः राज्यों को वित्तीय मामलों में केन्द्र पर निर्भर रहने के प्रश्न की जांच की जाकर उपचारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये।

दक्षिण भारत के विद्यार्थी अब तक संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षाएं अंग्रेजी में देते रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि संघ लोग सेवा आयोग की परीक्षाएं हिन्दी अथवा अंग्रेजी में दी जायेंगी। हिन्दी-भाषी छात्र अपनी मातृ-भाषा में परीक्षा दे सकेंगे परन्तु अहिन्दी भाषी छात्रों के लिये उनकी अपनी भाषा में परीक्षा देने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है अतः जब तक भारत रहे, अहिन्दी लोगों पर हिन्दी थोंपी नहीं जानी चाहिये।

SHRI H. K. L. BHAGAT (East Delhi) : After the last elections, the D. M. K. has been much perplexed.

[उध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

Almost all the opposition parties used to criticise the Central Government before the last election that law and order situation in West Bengal had been deteriorating and the Central Government had failed to perform their duty properly. And to day when the law and order situation has improved it is also being criticised.

It is surprising to note that the hon. Member from D. M. K. came out with a peculiar opinion about the constitution. The Central Government always helped the Tamil Nadu Government but after the elections when the public has given massive mandate, the hon. Member from D. M. K. is criticising the Government. The picture of India has altogether changed to-day and every citizen of the country is proud of this changed picture.

The Ministry of Home-Affairs has faced many problems. At the time of crisis in the country, the law and order situation did not deterirorate. Even then the Ministry is being criticised.

Reference has been made about defections. The Prime Minister dissolved Lok-Sabha before a year and fresh elections were held. The people are more able to check defection than law. The Prime Minister sought mandate and the people gave massive mandate. During war time posters depicting 'One Nation, One Leader, One Country' were displayed. Some hon. Members may have objection to 'One Leader'. It is also said that the country is being led towards Fascism. The Prime Minister does not want to become the only leader of the country. She said that the Nation is to be built up and strengthened.

It is wrong to say that the Delhi Police is not efficient and it indulges in corruption. There is much strain on the Delhi Police, its being the Police of the capital city and International Centre. The Delhi Police have been able to handle many complicated cases. The salaries of the constables should be increased.

About 80-85 per cent of the suspended policemen have been reinstated. The remaining policemen should also be reinstated.

SHRI N. E. HORO (Khunti) : The Ministry of Home Affairs deserves congratulations for the creation of three new States in the eastern region of the country and for adopting some measures for improving administrative machinery. In this context, I would like to draw the attention of the Government to Chhota Nagpur Pathar. It is a backward area, but rich in minerals. A separate State comprising of Chhota Nagpur, Santhal Pargana, Keonjhar, Mayurbhanj, Sambhlpur, Raigah, Surguja etc. should be created which was earlier known as Jharkhand. The tribals and the backward people live in these areas. It is necessary to have administration there for geographical and economical reasons.

The creation of a separate State for these areas which fall in four States will be beneficial to the whole country.

The area of this new State will be 1,87,828 square Kilometres with a population of 2,52,65,498.

The natural and mineral resources in this region are in abundance.

In Chhota Nagpur and Santhal Pargana areas, no irrigation facilities are available. The Bihar Government recieve 50 per cent of their revenue from these areas but only 20 per-cent of the money is allocated for the development of these areas.

Since people have given massive mandate, it is the duty of the Government to prepare a Master Plan for the development of this region. The Government should give special attention to this region.

It is said that Adivasis and Harijans do not possess requisite qualifications and as a result of that they are not taken in services in adequate number. It is not true. Orders issued by the Central Government in this regard are not being implemented properly. Government should pay attention to it.

There should be a separate quota of houses for allotment to these people in Delhi.

SHRI K. N. TIWARY (Gopalganj) : Sir, the very first speech on the Demands for Grants in respect of the Ministry of Home Affairs made by Shri Jyoti Basu started on a wrong note with the result that the course of all the subsequent speeches was directed in the sames strain, replying to the irrelevant points raised by him. Shri Basu's charges about the atrocities committed by Congressmen, Nagarwala case etc. are completed wrong. I am a resident of Bihar and have frequently visited Calcutta and I konw that it is now a city breathing fresh airs and the atmosphere of terror and uneasiness that existed during Shri Jyoti Basu's regime no longer exists there.

No criticism is fair unless it has a look at both sides of the coin. I dare say that the achievements of the Home Ministry during the last year or so are most promising. Criticism must be constructive in order to be effective.

One of the main draw backs in the Report of the Ministry is that mention has not been made of the various steps taken by it and the results achieved. There is no mention in the Report of the progressive use of Hindi in official work. The teaching of Hindi to Government employees is useless unless they are asked to use it also in their official work.

Everyone will agree that one of the achievements of the Ministry is that there were no communal riots in the country although we hosted about one crore refugees from Bangla Desh. The country also achieved stability.

In the past, corruption existed only in three departments—Police, Courts and Railways now, corruption is rampant in all Government departments including the judiciary.

Taking law in one's own hands is a very dangerous tendency that has developed in the country. The Home Ministry should think over it and take effective measures to end this tendency.

Bogus Voting was indulged in on a big scale in the mid-term 1967 poll in West Bengal This spread to Bihar and subsequently to other States. In West Bengal, 20-25 persons armed with lathis etc. Surrounded the booths, paid Rs. 100/- to 200/- to the Presiding Officer and did whatever they liked with ballot Boxes.

SHRI JYOTIRMOY BASU : This is counter propoganda ...(*Interruption*). It is my Parliamentary right to Interrupt.

अध्यक्ष महोदय : बाधा डालने का आपको कोई अधिकार नहीं है ।

SHRI D. N. TIWARI : Democracy is in danger. As I was saying, the booth, capturing was indulged in on such a large scale that an enquiry into this is imperative. I can even say that no one here has been returned without adopting such tactics. That is why we have asked the Ministry to do something in the matter.

The Ministry should also ensure that Government employees who own houses and who retired should be made to vacate Government accomodation.

SHRI S. D. SINGH (Chatra) : Sir, After the last year's Budget Demands of Home Ministry were discussed here, both historical and Geographical changes have taken place in and around the country. We have not only liberated Bangla Desh from West Pakistani terrorists but have also liberated West Bengal from Communists tyranny.

The political climate of the country has changed for the better. I, therefore support the Ministeries Demands for Grants.

The way of life and the manner of thinking of the bureaucracy is entirely different from that of the masses. It shall have to be changed radically. Expenditure on the bureaucrats should be slashed and their mental attitude should be improved.

I feel that the States do not have the right approach to the problems of the masses of which Centre is siezed.

I also feel that as far as possible Government officials should not be appointed as Governors. Instead, public-men, educationists etc. should be appointed Governors. A permanent watch has to be kept over the Ministers in every State.

According to the Official Languages Act. Q. 63. Hindi shall be used alongwith English in all Treaties and International Agreements and corresopondence etc. I don't know what is the progress in this regard. I, therefore, urge that Hindi should be accorded its proper status to ensure unity, progress and development and emotional integration of the country. Unless we, including the DMK voting of English, shake off English which stands for our subservince, we cannot call ourselves truly liberated.

Lastly, I oppose the demand made by Shri Horo for a separate state comprising Chota Nagpur and some parts of other states. I am not in favour of further fragmentation of the country into more and smaller states.

MR. SPEAKER : As those opposition Members who had sent in their names are not present, I call Shri A. N. Vidyalankar.

SHRI AMAR NATH VIDYALANKAR (Chandigarh) : I agree with Shri Tiwary that the criticism of the Ministry was misdirected from the very start. But there is no gainsaying

the fact that the political climate of the country has changed for the better and for this the Home Ministry deserves a pat on its back. There has also been a general improvement in the law and order situation in the country. But as far as the public participation in the affairs of the state, which is the essence of Democracy, is concerned, much remains to be done. The A. R. C. gave many good suggestion but all of them concerned the upper strata of Administration. The common man still feels harmed form Government officials. Government should, therefore, bring improvement in the working at lower levels of the set up also so as to make people feel that the Government works for their welfare and they feel a sense of participation in the Government.

National integration is also the responsibility of this Ministry and I feel that the existing National Integration Committee is not so very effective for this purpose.

Government employees are prove to agitation for their demands. Whereas they should be made to feel that they are members of the Government of a free country, their legitimate demands should be immediately exceded to.

Now, regarding my own constituency, its fate is hanging fire for a pretty long time now. The people of Chandigarh are denied the development being undertaken by Punjab and Haryana. Chandigarh is in the grip of an autocratic and bureaucratic administration. The villages around this city are worth affected by this state of affairs. Chandigarh is an ideal and beautiful city. Its administration should also be such. The Central Government should give up is step-motherly attitude towards it and mete out better treatment to it.

SHRI HARI SINGH (Khurja) : Sir, I am very glad to support these Demands. The role of C. R. P. in Akhnoor Sector and on the Eastern border have really been praise worths. The role of the Ministry in maintaing law and order in West Bengal and rehabilitating democratic values is also laudable.

MR. SPEAKER : It is 6 Q'clock. He may continue his speech tomorrow.

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 21, अप्रैल, 1972/

1 वैशाख, 1894 (शक) के 11 बजे म० पू० के तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, April 21, 1972/

Vaisakha 1, 1894 (Saka)

Printed at The Bengal Press, Delhi-6.